राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ३६वां दिवस [संख्या २१

शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम सुधार के इन्सपेक्टर द्वारा झूंठा बिल बनाकर रकम हजम कर लेना

८८३. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम कनवास-ज़िला कोटा के ग्राम सुधार के इन्सपेक्टर श्री ठाकुरदत्त को ८००० रु० के झूंठे बिल्स बनाकर देने तथा रकम हज़म कर जाने के अपराध में सस्पेन्ड किया गया था ?

(ख) क्या उक्त व्यक्ति के सस्पेन्ड किये जाने के बाद सरकार की ओर से उसकी जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने ग्राम में एक चबूतरा बना कर धर्मशाला के नाम पर भारी रकम का पेमेन्ट ले लिया है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति ने ग्राम के ही श्री बेनीराम नामक एक कांग्रेसी से रेडियो सैट की झूंटी रसीद प्राप्त कर ली है, जब कि श्री बेनीराम एक मामूली बिसायती है और रेडियो का कभी व्यापार नहीं करता ?

उप सहकारी मंत्री : (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी नहीं।

(ख) श्री ठाकुरदत्त निरीक्षक ग्राम सुधार केन्द्र कनवास लक्ष्य के अनुसार पूरा ब्योरा नहीं करने, अधीनस्थ कर्मचारियों पर पूर्ण अधिशासन नहीं रखने तथा केन्द्र पर उपलब्ध सामान का पूरा उपयोग नहीं करने आदि के अपराध में पंजीयक, सहकारी समितियां राजस्थान की आज्ञा दिनांक २०-६-५७ के अनुसार निलंबित (मोअत्तिल) किया गया था, जिसकी विभागीय जांच की गई व उक्त निरीक्षक के उपरोक्त दोषारोपण स्वीकार करने पर पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर की आज्ञा दिनांक २६-९-५७ के अन्तर्गत अग्रिम दो साल की वेतन वृद्धि रोकी जाकर निलंबन काल में अर्ध वेतन दिये जाने का आदेश देते हुए उन्हें बहाल किया गया।

(ग) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही

Page No.2

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है कि कनवास की धर्मशाला का निर्माण हो गया है ?

श्री दौलतराम सारण : एक चबूतरे का निर्माण हुआ बतलाया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस चबूतरे के निर्माण पर कितना खर्च हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : कुल खर्चा चबूतरा व धर्मशाला का मिला कर १८२१ रु० ६३ नये पैसे हुआ।

श्री दयाकृष्ण विजय : धर्मशाला पर कितना हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : दोनों का सम्मिलित बतलाया गया है, १८२१ रुपया ६३ न. पै.।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इसकी तफसील आप बता सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इसमें धर्मशाला बनाने का प्रोविज़न था ?

श्री दौलतराम सारण : यह मैं नहीं कह सकता।

श्री पी० के० चौधरी : इस पर जो आरोप सिद्ध हो गये तो उसको क्या सज़ा दी गई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

महाराणा कॉलेज उदयपुर के खज़ान्ची की बकाया रकम

८८४. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) श्री भंवरलाल चपलोत, खज़ान्ची, महाराणा कॉलेज, उदयपुर को कब व किस आरोप में निलम्बित किया गया ?

(२) क्या श्री चपलोत को निर्दोषी घोषित करने के बाद पुनः नौकरी में ले लिया गया है ?

(३) क्या श्री चपलोत ने इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान समय समय पर आकर्षित किया और उनके प्रयत्न करने पर भी उनको अब तक कोई आदेश प्रदान नहीं हुआ ?

(४) क्या निर्दोषी घोषित किये जाने की तारीख से लगा कर अब तक की तनख्वाह श्री चपलोत को दिये जाने का सरकार विचार कर रही है ? अगर नहीं, तो किन आधारों पर ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (१) कॉलेज का असन्तोषजनक हिसाब रखने एवं गबन के मामले में मई १६४६ में निलम्बित किया गया था।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं। क्योंकि इस मामले में विभागीय जांच हो रही है।

श्री पी० के० चौधरी : यह जांच कब तक चलेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब तक गवाह सुबूत आदि होकर चार्ज शीट का जवाब न आ जाय तब तक चलेगी।

श्री पी० के० चौधरी : क्या आपने उनको चार्ज शीट दे दी है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस बारे में निश्चित रूप से कह नहीं सकता कि २५-८-५८ को डॉइरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा डिप्टी डॉइरेक्टर को इसके लिये कहा गया है ।

श्री पी० के० चौधरी : सन् १९४९ से दस साल होने आये, क्या अभी तक चार्ज-शीट भी नहीं बना पाये ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रिन्सिपल द्वारा यह मामला क्रिमीनल कोर्ट में भेज दिया था । बाद में विभागीय जांच के आदेश दिये गये ।

श्री पी० के० चौधरी : उसके बाद भी क्या तीन साल लग गये, चार्जशीट देने में ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : १९५६ में जब बरी हुआ तब उसकी रिपोर्ट आयी तो उसको वापिस रीइन्सटेट किया जाय या नहीं, इस बारे में समय लग गया । उस पर विभागीय जांच कराना लाज़िमी पाया गया है । बेनीफिट ऑफ डाउट होने से उसको रिहा किया गया था ।

श्री पी० के० चौधरी : सर्विस रूल्स के आर्टिकल ५४ के हिसाब से जिस व्यक्ति को रिएम्पलॉय किया जाता है, उसको फुल पे नहीं दी जाती है, सस्पेन्शन पीरियड की ?

श्री अध्यक्ष : यह तो राय का सवाल है, नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८८५

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८८६

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८८७

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

वन विभाग कोटा के अधिकारियों द्वारा एक ठेकेदार के साथ दुर्व्यवहार

८८८. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष कोटा में वन विभाग के ठेकों के समय वन विभाग के अधिकारियों ने किसी एक ठेकेदार के साथ दुर्व्यवहार किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि वन विभाग के उक्त अधिकारियों ने इस ठेकेदार को दूसरे दिन भी बोली नहीं लगाने दी ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि वन विभाग के इन्हीं अधिकारियों ने इसी ठेकेदार के सुपुत्र को जो ठेकेदार के सकुटुम्बी हैं, कई हज़ार रुपयों के ठेके दिये हैं ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इसकी जांच की जा रही है ।

(२) जी हां । क्योंकि इस ठेकेदार ने पिछले दिन नीलाम में गड़बड़ पैदा की थी किन्तु इसकी भी जांच की जा रही है ।

(३) जी हां । इस ठेकेदार के एक लड़के को १५००० का ठेका दिया गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने, प्रश्न के भाग दो के उत्तर में बताया कि क्योंकि ठेकेदार ने पहले दिन गड़बड़ी की थी, इसलिये दूसरे दिन बोली नहीं लगाने दी गई। तो आपने यह बिना जांच किये कैसे जान लिया कि काफी दिन हो गये हैं? अभी तक जांच नहीं होने का क्या कारण है?

श्री नाथूराम मिर्धा : काफी हद तक हो चुकी है। काफी हद तक यह बात सामने आ गई है कि उस ठेकेदार ने डी० एफ० ओ० को काफी ऐसी बातें कहीं, काफी हल्ला-गुल्ला करना शुरू कर दिया, यह बात फैक्ट है। उसको कानून की तहत कहा गया कि तुम बाहर निकल जाओ। उस दिन की कार्यवाही रोक दी और दूसरे दिन फिर उसको शुरू करना पड़ा, वे आये नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : ये बहुत सी बातें क्या कही गईं, जिसकी वजह से निकालना पड़ा?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक कूप की बोली लगाई, ६ हज़ार की लगाई। वह ओपन बिड पर खत्म हो गई, उसके नाम पर। पर वह बोली तीन साल के एवरेज को देखते हुए और दूसरे कूपों के एवरेज को देखते हुए १३ हज़ार की होती थी। तो उसने कहा कि नीलाम की बोली खत्म नहीं करते, दुबारा बोली नीलाम करेंगे। इस पर वह बहुत नाराज़ हो गया और कहने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है, पक्षपात क्यों किया जाता है, दूसरों से तो इस तरह नहीं करते, नीलाम की बोली क्यों नहीं खत्म करते हैं? इस पर कहा गया कि तेरह हज़ार के एवरेज का कूप है, इसलिए नहीं खत्म करते। तो इस पर गुस्सा होकर काफी बड़बड़ाने लगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि उसमें फोरेस्ट विभाग के रुपये बाकी थे, इसलिये बोली नहीं लगाने दी?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, रुपये की वजह से नहीं। वह तो नीलाम के सम्बन्ध में इस तरह की गड़बड़ थी, इसलिये किया गया। नहीं तो, उसमें कोई ६००) रु० निकलता था उस पर उसको डिबार नहीं किया गया था।

श्री दयाकृष्ण विजय : फिर उसके लड़के को ठेका क्यों दिया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : बाप के एक्शन के लिये बेटे को थोड़े ही पनिश करना था।

श्री दयाकृष्ण विजय : बेटा अलग से काम करता है क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो शायद घर में ही है। पर वह बोली लगा सकता है, मना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ट्यूशन फीस

८८६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नवीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं में ट्यूशन फीस किन किन डिविजनों में छात्रों से ली जाती है?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की ट्यूशन फीस उदयपुर व कोटा डिविजन में छात्रों से नहीं ली जाती है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या सरकार ट्यूशन फीस के बारे में सभी डिविजनों में एक ही प्रकार की

Page No.5

(श्री लक्ष्मीचन्द)

नीति अपनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) नवीं कक्षा के आगे ट्यूशन फीस सभी डिविज़नों में स्कूलों की सभी कक्षाओं में ली जाती है। केवल बीकानेर और उदयपुर डिविज़नों के कुछ भागों में हाई स्कूल तक ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। इन भागों में भी ट्यूशन फीस लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) कोटा डिविज़न में तो छात्रों से ट्यूशन फीस ली जाती है, परन्तु उदयपुर डिविजन के कुल स्कूलों में राजस्थान के निर्माण के पूर्व से ही ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। इन स्कूलों में भी ट्यूशन फीस लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या कोटा डिविजन के खानपुर तहसील में ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ली जाती है।

श्री तनसिंह : यहां जिन जिन स्कूलों को छोड़ा गया, उसका कारण क्या है ? कि पहले से वसूल नहीं होती थी या बाद में वसूल करना बन्द कर दिया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इन्टीग्रेशन से पहले ही वसूल नहीं होता था।

श्री दयाकृष्ण विजय : बीकानेर और उदयपुर डिविज़नों के कुछ भागों ही में ऐसी विशेषता रखने का क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बीकानेर रेन्ज से इसका मतलब है तो सीकर-झुंझुनू उसमें आते हैं, जो पहले जयपुर स्टेट के हिस्से थे, इस वास्ते वहां यह लागू हुआ। इसी तरह से उदयपुर डिविज़न में कई रियासतें मिलाकर, वह एक डिविज़न बना है तो अलग अलग रियासतों में अलग अलग नियम थे, इसके बारे में।

श्री दयाकृष्ण विजय : सीकर-झुंझुनू के अलावा बाकी के दूसरे भागों में वसूल होती थी, जयपुर स्टेट के ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने यह नहीं कहा कि बीकानेर का हिस्सा है। जयपुर का वह पहले का हिस्सा था, उसमें फीस नहीं ली जाती थी और जयपुर में ली जाती थी, क्योंकि सीकर और झुंझुनू जयपुर से निकल कर बीकानेर रेन्ज में आ गये हैं हमारे एज्युकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से, इसलिये इन दो में ली जाती है इस तरह से निवेदन किया गया था।

प्रश्न संख्या ८६०-८६१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

बूसी बृहत सहकारी समिति का ऑडिट

श्री मनरूपराम परिहार (खारची) : क्या मन्त्री, सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि बूसी बृहत् सहकारी समिति का ५७-५८ का ऑडिट हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(श्री मनरूपराम परिहार)

(ख) क्या यह भी सही है कि ऑडिट के वक्त फर्जी इन्द्राज़ पाये गये ? यदि हां, तो कितने रुपयों का ?

(ग) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने गोदाम के रुपये, पर्सनल अकॉउन्ट में जमा कराये थे और अपने निजी कार्य में लिये थे ?

(घ) क्या यह सही है कि गोदाम का कार्य तीन-माह तक ठेकेदार को रकम नहीं मिलने के कारण बन्द रहा था और भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार को पर्सनल अकॉउन्ट्स बीकानेर बैंक का चैक देने पर पेमेन्ट नहीं हुआ ?

(च) क्या यह सही है कि ऑडिट से स्पष्ट पाया गया कि भूतपूर्व अध्यक्ष व खज़ान्ची ने खयानत की है ? यदि हां, तो सरकारी विभाग इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां, दिनांक ८-६-५८ को।

(ख) जी नहीं, ऐसे कोई फर्जी इन्द्राज़ नहीं पाये गये।

(ग) यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने २५०० रुपये गोदाम के, अपने पर्सनल अकॉउन्ट में जमा कराये, जिसका कारण यह है कि सहकारी समिति का अकॉउन्ट बैंक में नहीं था और समिति का अकॉउन्ट बैंक में बिना कार्य-कारिणी के प्रस्ताव के खोला जाना उस समय सम्भव नहीं था। इस बात की जानकारी प्राप्त की जा रही है कि अध्यक्ष ने इस रकम को अपने निजी उपयोग में लिया है या नहीं।

(घ) जी नहीं। गोदाम का कार्य गार्डर नहीं मिलने के कारण १॥ (डेढ़) महीने बन्द रहा था। यह सत्य है कि भूतपूर्व अध्यक्ष के पर्सनल अकॉउन्ट का चैक देने पर ठेकेदार को भुगतान नहीं हुआ।

(च) जी नहीं। कुछ अनियमितताएं बतलाई गई हैं। क्योंकि समिति की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष व मंत्री की यह पहली अनियमितताएं थीं, एवं उनमें किसी प्रकार की बदनीयत नहीं थी, अतः उन्हें सहकारी विभाग द्वारा भविष्य में ऐसी अनियमितताएं नहीं करने की चेतावनी दी जा चुकी है।

प्रश्न संख्या ८६३

श्री अध्यक्ष : मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८६४

श्री धर्मपाल पंवार

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह

कोटपुतली की खानों का ठेका

८६५. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील कोटपुतली में माइनिंग विभाग से ठेका व लीज़ पर कुछ खानें व पहाड़ी दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी, कब कब व किस किस को कितने कितने में दी गई हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रक्खें !

(श्री रामकरणसिंह).

(ग) क्या यह सही है कि जगदीशप्रसाद शिवकुमार आदि व्यक्तियों के खिलाफ सरकार का काफी धन का गबन व आगामी नुकसान करने की पॉलिसी का रहस्योद्घाटन प्रार्थना-पत्रों द्वारा सरकार को किया गया है ?

(घ) यदि हां, तो यह प्रार्थना पत्र किन किन के पास आये और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

मुख्य मन्त्री : श्री मोहनलाल सुखाड़िया (क) जी हां ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) जी हां, इस विषय में शिकायतें प्राप्त हुई ।

(घ) यह पत्र डाइरेक्टर माइन्स उदयपुर, माइनिंग इन्जीनियर व सेक्रेटरी माइन्स आदि के पास पेश हुआ । इस पर माइनिंग इन्जीनियर ने एस० पी० जयपुर व एस० डी० ओ० कोटपुतली को कार्यवाही के लिये लिखा है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : कब लिखा गया है, साहब ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी ठीक तारीख अभी मैं नहीं बतला सकता ।

श्री रामकरणसिंह : क्या कालीचरण नामक व्यक्ति को भी ठेका दिया गया है ? इस लिस्ट में इसका नाम नहीं है । पर मेरी जानकारी है कि इसको दिया गया है, जिसने वास्तव में खान को ओपन किया था ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें जिनका नाम दिया गया है, वह नामावली तो दे दी गई है । जो शिकायत थी शिवकुमार और जगदीशप्रासाद की, उसके बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

चाकसू से कोटखावदा सड़क का निर्माण

८६६. **श्री मनरुपराम** (श्री प्रभुलाल पुरोहित की अनुपस्थिति में) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) चाकसू से कोटखावदा सड़क का निर्माण कार्य का ठेका कब दिया गया था ?

(ख) क्या यह सच है कि उक्त सड़क का काम निश्चित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ है और जनता को असुविधा बनी हुई है ?

(ग) क्या ठेकेदार के विरुद्ध विलम्ब करने के बारे में विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है ?

(घ) यदि की गई तो क्या और नहीं तो क्यों ?

(च) उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) एक मील से पांच मील का १६-७-५५ को । ६ से दस मील तक का ६-४-५६ को ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) जुरमाना किया गया है ।

(च) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समाप्त होने की सम्भावना है ।

Page No.8

प्रश्न संख्या ८९७

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाह ।

(अनुपस्थित- कृपया आगे देखिये)

लालसोट गंगापुर सड़क का निर्माण

८९८. **श्री मनरुपराम परिहार** (श्री प्रभुलाल पुरोहित की अनुपस्थिति में): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) लालसोट से गंगापुर तक सड़क को ठीक करने व गमर बिछाने का ठेका कौनसी तारीख को किस आदेश से किस व्यक्ति को दिया गया था ?

(ख) क्या यह कार्य पूर्ण हो गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) यह कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) अभी ठेका नहीं दिया गया ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) द्वितीय योजना में आरम्भ होकर तृतीय योजना काल में ।

प्रश्न संख्या ८९९ ।

श्री अध्यक्ष : आनन्दसिंह कछवाह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ९००

राव राजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित - कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ९०१

श्री आनन्दसिंह कछवाहा ।

(अनुपस्थित)

एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए धन की स्वीकृति

९०२. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) एग्रीकल्चर मशीनरी की मद में सन् १९५७–५८ में कितने पम्पिंग सैट्स और कितने पर्शियन व्हील लगाने का लक्ष्य रखा गया था और इनके लिये कितना धन स्वीकृत किया गया था ?

(ख) कितने पम्पिंग सैट तथा पर्शियन व्हील लगाये गये ? जिलेवार तालिका सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

उप कृषि-मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) सन् १९५७–५८ में १७६ पम्पिंग सैट्स एवं ३०० पर्शियन व्हील लगाने का लक्ष्य रक्खा गया था । इनके लिये क्रमशः २.३४ लाख एवं १ लाख रुपयों की धन-राशि स्वीकृत की गई थी ।

(ख) ८९ पम्पिंग सैट्स एवं २२३ पर्शियन व्हील लगाये गये थे । जिलेवार सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामचन्द्र : पम्पिंग सैटों में १७६ के बजाय ८२ ही लगाये जाने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ तो मांग

Page No.9

(श्री दौलतराम सारण)

कम आई, कुछ तेजी के कारण सामान नहीं आ पाया। सामान मिलना कम हो गया।

श्री मूलचन्द डागा : सबसे ज्यादा पम्पिंग सैट्स किस ज़िले में लगाये गये ?

श्री दौलतराम सारण : जयपुर में।

श्री मोहनलाल रांका, भीलवाड़ा को ५०००) का हाउस लोन

६०३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि श्री मोहनलाल रांका, भीलवाड़ा को उनके गिरवेशुदा मकान बनाने के लिये ५,०००) रुपये का हाउस लोन दिया गया ?

(ख) यदि हां, तो क्यों तथा यह लोन किसकी सिफारिश पर किसके हुक्म से और किसकी जमानत पर दिया गया ?

मुख्य-मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) मोहनलाल रांका, भीलवाड़ा को गृह निर्माण हेतु पांच हजार का ऋण दिया गया है। उनको यह ऋण म्युनिसिपल बोर्ड, भीलवाड़ा में यह हलफनामा दिये जाने पर कि यह जमीन गिरवीं नहीं की गई है, दिया गया है।

(ख) यह ऋण बिना किसी की सिफारिश के, लो इन्कम हाउसिंग ऑफिस की सिफारिश पर, जिलाधीश की आज्ञा से दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : इस ऋण के सम्बन्ध में जमानत नहीं ली गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अभी मैं नहीं कह सकता। आपका प्रश्न केवल इतना ही था कि यह जमीन गिरवीं रखी थी या नहीं, जिसका उत्तर मैंने दे दिया। यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : यह मेरे प्रश्न में ही है। इसमें लिखा है कि यदि हां, तो क्यों तथा यह लोन किसकी सिफारिश पर, किसके हुक्म से और किसकी जमानत पर दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 'सिफारिश' से आपका मतलब 'जमानत' से है, तो गलत है। यह रिकमन्डेशन किसी की नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : 'जमानत' तो इसमें लिखा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सिफारिश और जमानत, मैं समझता हूँ, एक तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे इस प्रश्न में ही है 'जमानत' शब्द।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कहां है ?

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न के 'ख' भाग में है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I am sorry. इस मामले में जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नगरपालिका ने केवल इस बात की तस्दीक की है कि यह मकान श्री रांका का है, मगर

Page No.10

(श्री भैरोंसिंह)

इस बात की तस्दीक नहीं की कि यह मकान गिरवीं रखा हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि उन्होंने हलफनामा दिया और हलफनामे के ऊपर ही आम तौर से कार्यवाही की जाती है, वह भी इसमें की गई। इस कारण आगे नगरपालिका की जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान स्टेट गैरेज की मन्त्रियों पर बकाया रकम

६०४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) **:** क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान स्टेट गैरेज की रकम किन किन भूतपूर्व मन्त्रियों में बकाया है और कितनी कितनी ?

(ख) इस बकाया की वसूली के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) **:** (क) सूची संलग्न है।

(ख) इस बकाया की वसूली के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मांग की है।

श्री तनसिंह : यह अन्दाज़न कितना रुपया है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : उनके वेतन में से क्यों नहीं काट लिया जाता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी का वेतन है, किसी का नहीं हैं।

श्री तनसिंह : अन्दाज़न कितना रुपया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टोटल किया हुआ नहीं है। करीब ६—१० हज़ार रुपया होगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें जो अमोंउन्ट दिया हुआ है, उसमें कितना अमोंउन्ट तो एड्मिटेड है और कितना डिस्प्युटेड है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका कुछ ठीक पता नहीं। कुछ कहते हैं यह बिल ठीक नहीं है। अब अगर एड्मिटेड होता तो रिकवर करने में दिक्कत ही नहीं होती, मगर कुछ झगड़ा पड़ा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस अमोंउन्ट को पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी एक्ट के मातहत रिकवर नहीं करवा सकती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस हद तक कार्यवाही करना ठीक नहीं होगा। उन्हें ज़रा समझाकर कहेंगे कि आप लोग बड़े आदमी हैं दे दो।

श्री भैरोंसिंह : यह समझाई सन् ४८ से ५८ तक ज़ारी है, तो जब १२ साल में उन्हें नहीं समझा सके तो अब क्या समझा लेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रयत्न तो करना ही चाहिए।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह पब्लिक डिमॉण्डस् रिकवरी एक्ट छोटों के लिए ही है, बड़ों के लिए नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : है तो सबके लिए ही, मगर जहां इसके बिना काम लिया जा सके तो फिर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : श्री कुम्भारामजी में जो ३,००० रु० की रकम बकाया है और जब यह अमॉउन्ट एड्मिटेड है, उसके बाद भी वह रकम जमा नहीं कराई जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें झगड़ा हुआ है । सारा अमॉउन्ट एड्मिटेड नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : झगड़ा कितने अमॉउन्ट का है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो मैंने नहीं देखा कि कितने अमॉउन्ट का झगड़ा है ।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार के लिए बड़े आदमी कौन हैं, मेरा सवाल बड़ा दिलचस्प है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार सभी को बड़ा मानकर चलती है ।

श्री अर्जनदास : श्री कुम्भाराम जी कौन हैं, उनकी आगे तो तारीफ बताइये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिंह : क्या पब्लिक डिमॉण्डस् रिकवरी एक्ट में मिनिस्टर्स के एग्ज़ेम्पशन का प्रावधान है और जब नहीं है तो जब सारी जनता के लिए ऐसा है कि रकम की वसूली के लिए उनको नोटिस दिया जाता है, उसी प्रकार की कार्यवाही किसी मिनिस्टर के खिलाफ क्यों नहीं की जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ अमॉउन्ट का झगड़ा चल रहा है, कुछ अमॉउन्ट डिस्प्युटेड नहीं है, कुछ उनको चिट्ठी वगैरह भेजी जाती है उनका वेरीफिकेशन चल रहा है और मांगा भी जा रहा है । यह पब्लिक डिमॉण्डस् रिकवरी एक्ट के अन्दर तो कार्यवाही करने की जब जरूरत पड़ती है कि वे कहें कि हम किसी भी हालत में नहीं देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : ये केसेज़ मजिस्ट्रेट के यहां या एस० डी० ओ० के यहां चल रहे हैं या आपके यहां ही चल रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें न तो ऐसी कार्यवाही की गई और न किसी मजिस्ट्रेट के पास गया ! अभी तो डिपॉर्टमेन्ट ही मांग रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

बालिका विद्यालय, बारां का टेलर मास्टर

६०५. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बालिका विद्यालय, बारां में इस समय कौन टेलर मास्टर है तथा गत वर्ष कौन था ?

(२) क्या गत वर्ष जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था वह पुलिस में हिस्ट्री-शीटर रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि इस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का टेलरिंग का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) श्री मोहम्मद इस्माइल। गत वर्ष भी यही थे।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने तीसरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर इसको इस जगह पर नियुक्त करने का क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसके पास सर्टिफिकेट है, यह गलत जवाब दे दिया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कहां का सर्टिफिकेट है, उसके पास ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसके पास डिप्लोमा है कॉमर्शियल टेलर्स कॉर्पोरेशन लि०, बम्बई का।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह रिकग्नाइज्ड संस्था है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, टेलरिंग में है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इस स्कूल को कोई महिला शिक्षक नहीं मिली ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : शायद मिली नहीं होगी, इसलिए ही इसको रखा।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि मोहम्मद इस्माइल कई दफा साम्प्रदायिक मामलों में पार्टीसिपेट करते रहे हैं और साथ ही वह हिस्ट्री-शीटर भी रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

प्रश्न संख्या ६०६

श्री अध्यक्ष : मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

मिडिल स्कूल, रामगढ़ तथा मन्डावरी के भवन का निर्माण

६०७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या मिडिल स्कूल रामगढ़ तथा मन्डावरी का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है ?

(२) इस भवन निर्माण में धनराशि कहां कहां से लगाई गई है और यह राशि किसके मार्फत, किस ठेकेदार द्वारा लगाई गई है ?

(३) क्या यह सही है कि भवन निर्माण आज तक पूर्ण नहीं हुआ, फिर भी उस समय के तहसीलदार द्वारा मुकम्मिल बता दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) यदि हां, तो क्या उसके प्रति कोई कदम उठाकर उक्त काम पूर्ण करवाया जायेगा ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) सरकार की व जनता की धनराशि लगाई गई है और सरपंच ग्राम पंचायत, रामगढ़ द्वारा वह काम हुआ है।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(३) भवन निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं बताया। किन्तु जिस तरह मंजूरी हुई थी, उस हिसाब से जनता व सरकार का पैसा पूरा खर्च होकर पूरा हिसाब हो गया था। इसलिए कार्य को पूर्ण बतलाया गया।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के दो प्रकाशन 'विकास' और 'संयुक्त राजस्थान'

९०८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के दो प्रकाशन 'विकास' और 'संयुक्त राजस्थान' कब से चालू हुये ?

(ख) चालू होने के पश्चात् ये प्रकाशन कब कब बन्द रहे और क्यों ?

(ग) जिस समय से प्रकाशन बन्द रहे उस समय गवर्नमेंट प्रेस तथा नेशनल प्रिन्टिंग प्रेस इन प्रकाशनों से सम्बन्धित, इस विभाग पर कितने कितने बकाया थे ? ये बकाया क्यों संचित हुये ?

(घ) क्या यह सही है कि गवर्नमेंट प्रेस तथा नेशनल प्रिंटिंग प्रेस के बकाया का पेमेन्ट समय पर न होने कारण गवर्नमेंट प्रेस ने कागज़ नहीं दिया तथा नेशनल प्रिंटिंग प्रेस ने इन प्रकाशनों की छपाई नहीं की ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) 'संयुक्त राजस्थान' जनवरी १९५० से और 'विकास' अगस्त १९५५ से प्रारम्भ हुआ ?

(ख) 'संयुक्त राजस्थान' जून, १९५३ के अंक के पश्चात् बन्द हो गया क्योंकि उस समय इसके समुचित मुद्रण की व्यवस्था नहीं हो सकी। अगस्त १९५५ से इसका प्रकाशन पुनः प्रारम्भ किया गया और दिसम्बर १९५७ तक नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा। इसके पश्चात् केवल एक अंक जून, ५८ में और प्रकाशित हुआ।

'विकास' का प्रकाशन दिसम्बर, १९५७ तक नियमित था। जनवरी फरवरी, १९५८ का एक संयुक्तांक प्रकाशित किया गया। मार्च का अंग प्रिंटिंग प्रेस की गड़बड़ी के कारण समय पर प्रकाशित नहीं हो पाया। इसके बाद से विकास का प्रकाशन बन्द है, जिसका कारण मुद्रण की कठिनाई और वित्तीय स्थिति है।

(ग) गवर्नमेंट प्रेस के कोई बिल बकाया नहीं रहे सब को पास करके लौटाया जाता रहा है।

नेशनल प्रिंटिंग प्रेस का 'संयुक्त राजस्थान के जून अंक से सम्बन्धित केवल एक बिल ३४१.२५ रु० का अब तक नहीं चुकाया गया, क्योंकि प्रेस ने अंक की १५ प्रतियां कम भिजवाईं थीं। इसके लिये प्रेस को लिखा भी गया था। प्रेस का उत्तर अब प्राप्त हुआ है कि १५ प्रतियां की कीमत काट कर बिल चुका दिया जाय, अतः यह बिल अब शीघ्र चुकाने की व्यवस्था की जा रही है।

विकास' से सम्बन्धित इस प्रेस के केवल निम्न दो बिल विभाग द्वारा चुकाने बाकी थे, जिन्हें भी उनके आगे लिखी तारीखों को चुका दिया गया है :

बिल सं०	दिनांक	बिल की रकम
२५६	२०-६-५८	७.५०
१६	१६-६-५८	१७०३.७५

Page No.14

(श्री रामकिशोर व्यास)

रकम, वाज़िब भुगतान की गई	तारीख
७.५०	१९-९-५८
१४४४०.१२	१४-१०-५८

१४-१०-५८ को चुकाया हुआ बिल कुछ प्रतियां कम आने के कारण विलम्ब से पास हुआ। इसके लिये प्रेस को लिखा गया था फिर उनसे उत्तर प्राप्त होने पर प्रतियों की कीमत काटकर बिल पास किया गया।

(घ) गवर्नमेंट प्रेस ने कागज़ देने से इन्कार किया, यह तो सत्य है पर यह कि उन्होंने बकाया का पेमेन्ट समय पर न होने के कारण नहीं, बल्कि इसके लिये उनके पास निर्धारित बजट समाप्त हो जाने के कारण किया था। मेसर्स नेशनल प्रिन्टिंग प्रेस के जो भी बिल देरी से चुकाये गए, उनके लिए प्रेस ही उत्तरदायी रहा है, अतः उन्होंने इस कारण छपाई करने से इन्कार किया हो, ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नेशनल प्रिन्टिंग प्रेस से सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का इस पत्र को छपवाने के सम्बन्ध में कोई एग्रीमेन्ट था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनके यहां छपवाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्या कोई एग्रीमेन्ट था ?

श्री रामकिशोर व्यास : एग्रीमेन्ट का तो मुझे पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि प्रेस ने प्रतियां कम दी और कम प्रतियां देने के कारण से आगे प्रतियां नहीं छपाई गई, तो इसके लिये तो दूसरी तरह से पीनेलाइज़ किया जा सकता था।

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने १५ प्रतियां कम दी, जिसके लिए उन १५ प्रतियों की कीमत काट दी। नहीं छपवाने का सवाल नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : क्या प्रतियां कम आने के कारण 'विकास' का प्रकाशन बन्द रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिलों के पेमेन्ट की बात है वह देरी से पेमेन्ट हुआ। उसका कारण यह था कि उन्होंने जो बिल भेजे तो उनसे विभाग ने शिकायत की कि पूरी कॉपियां नहीं थीं। फिर उनको लिखा गया कि कॉपियां और भेजो, मगर उन्होंने कहा कि इन कॉपियों की कीमत काट दो।

श्री भैरोंसिंह : बिल का पेमेन्ट नहीं होने के कारण प्रकाशन बन्द हुआ तो क्या मुख्य कारण यही था कि बिल का पेमेन्ट नहीं हुआ था ? चाहे पेमेन्ट नहीं होने की गलती किसी से भी हुई हो।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या एक कारण यह भी था कि गवर्नमेंट प्रेस से कागज़ नहीं दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पेपर्स का बजट प्रोविज़न समाप्त हो गया था। फिर वह प्रेस के पास भेजा गया। ऐसी बात नहीं है कि पेपर्स हों और फिर देने से इन्कार कर दिया हो, बल्कि बजट प्रोविज़न समाप्त हो गया था।

श्री भैरोंसिंह : कागज के बजट प्रोविज़न का सवाल नहीं है। मेरा प्रश्न है कि जो

Page No.15

(श्री भैरोंसिंह)

अमॉउन्ट सार्वजनिक कार्यालय विभाग पर गवर्नमेन्ट प्रेस का था, उसका पेमेन्ट नहीं हुआ और यह लिखकर सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ने इन्कार किया कि कागज़ नहीं मिल रहा इसलिए पेमेन्ट नहीं होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इनका कोई बिल अनपेड तो नहीं रहा। गवर्नमेंट प्रेस का कोई बिल अनपेड तो नहीं रहा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा, प्रश्न तो यह था कि उसका प्रकाशन बन्द हुआ तो बिल अनपेड था और आपने कहा कि अनपेड है। जब आपने यह कहा तो अनपेड कैसे रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने यह कहा कि गवर्नमेंट प्रेस ने कागज़ के मामले में इस वजह से कागज देने से इन्कार नहीं किया कि रुपया देना बाकी है, बल्कि इस वजह से इन्कार किया कि बजट का प्रोविज़न खत्म हो गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि कागज़ नहीं देने के कारण, नेशनल प्रिंटिंग प्रेस उन पुस्तकों को नहीं छाप रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं छापने की बात आई कैसे ?

श्री भैरोंसिंह : जिन दिनों में इनका प्रकाशन बन्द रहा, उस समय के लिए मैं पूछ रहा हूं और जिन दिनों में छपकर नहीं आये उसका कारण यह था कि गवर्नमेंट प्रेस ने कागज़ नहीं दिया और कागज के अभाव में नेशनल प्रिन्टिंग प्रेस ने छापा नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी जानकारी करने की जरूरत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नरायणसिंह।

शिक्षा विभाग के 'ग' श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में कमी

९०६ **श्री नरायणसिंह** (मसूदा) : Will the Education Minister be pleased to state

(a) Whether any retrenchment Scheme in the 'C' Class employees of the Education Department has been effected recently ?

(b) Whether a widowed refugee in the Girls Primary School, Masuda has been retrenched under any such scheme ?

(c) How does the Government envisage to resettle such helpless displaced people thrown out of employment all of a sudden ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) (अ) 'सी' क्लास कर्मचारी नहीं होते हैं। (ब) राजाज्ञा नं० एफ ३।१८७ उ १७५। ए।५७ दिनांक ५-७-५८ के आधीन उन स्कूलों में, जहां १०० से कम विद्यार्थी थे पूरे समय के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नहीं रखा गया। प्राथमिक पाठशाला मसूदा में जहां १०० से कम विद्यार्थी थे और बजट में पद स्वीकृत नहीं है। इस आज्ञा से रामदुलारी चतुर्थ श्रेणी को कम किया गया था, परन्तु उन्हें उसी दिन से पद स्वीकृत होने के कारण पुनः नियुक्त कर दिया गया।

(स) प्रश्न नं० २ में अंकित आज्ञानुसार ४२ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्वीकृत

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

पोस्ट्स न होने के कारण कम किया गया था परन्तु अब बजट में पद स्वीकार होने से रिक्त स्थानों पर उन्हें रख लिया है ।

राजस्थान प्रदर्शनी का अकॉउन्ट्स

६१० **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि १९५६ राजस्थान एग्जीबिशन के अकॉउन्ट्स समय पर पेश नहीं किये गये ? यदि हां, तो यह अकॉउन्ट्स नियमानुसार कब पेश होने चाहिए थे और कब पेश हुए हैं ? इस देरी का उत्तरदायित्व किस पर है ?

(२) एग्ज़ीबिशन से पूर्व सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकार की गई थी ? वास्तविक खर्चा कितना हुआ ? अधिक खर्चे की स्वीकृति सार्वजनिक कार्यालय द्वारा कब प्राप्त की गई ?

(३) इस एग्जीबिशन की अनुमानित आय कितनी थी और वास्तविक आय कितनी हुई है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। सरकारी स्वीकृति के अनुसार अकॉउन्ट्स फरवरी १९५७ के मध्य तक साफ हो जाने चाहिए थे, पर वे जुलाई, १९५७ को महकमा हिसाब में भेजे गए थे। देरी का दायित्व विभाग पर ही है ।

(२) सरकार द्वारा १०,०००) रु० की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई थी। वास्तविक खर्चा ३८,२०५) रु० का हुआ। अधिक खर्च की अभी तक स्वीकृति प्राप्त की जा रही है ।

(३) आय का कोई पूर्व अनुमान नहीं लगाया गया था। वास्तविक आय ६,७७७) रु० हुई ।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, Sir, Yesterday, the Hon'ble Minister while replying a similar question said that 20 thousand were sanctioned, Today he said that 10 thousand were sanctioned......

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ३० हज़ार और कितनी ही धनराशि की स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई है, सिवाय १०,०००) रु० के ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि १० हज़ार के लिए सेन्क्शन हुई, बाकी के लिए ले रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या डाइरेक्टर की तरफ से सरकार को लिखा गया है कि ३८ हज़ार खर्च हो गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कह नहीं सकता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : स्वीकृति को...

श्री भैरोंसिंह : तो फिर किस आधार पर कहा जा रहा है कि ३८ हज़ार रुपये खर्च हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : खर्चे का हिसाब बताया है डाइरेक्टर ने, उसके आधार पर ।

श्री भैरोंसिंह : क्या खर्चे का हिसाब सरकार के सामने डाइरेक्टर की तरफ से पेश कर दिया गया है कि अमुक एग्ज़ीबिशन में इतना पैसा खर्च हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने सवाल दर्याफ्त फर्माया तो उन्होंने कहा कि इतना खर्च हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : केवल सवाल का उत्तर भेजा है और सरकार के सामने कोई आंकड़े नहीं आये, जिनके आधार पर सरकार यह कह सके कि डाइरेक्टर ने इतना खर्च किया ?

श्री अध्यक्ष : उसमें क्या फर्क पड़ता है। एक फीगर बताया गया है प्रदर्शनी का ।

श्री भैरोंसिंह : खर्चा नहीं हुआ है, लेकिन खर्च के कागज बनाये जा रहे हैं और सरकार को ठगा जा रहा है ।

श्री रामकिशोर व्यास : That we will look into.

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की पर्मिशन आ गई है ३८ हज़ार के लिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो खर्चा हो चुका है, उसके अकॉउन्ट्स तैयार हो चुके हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या अकॉउन्ट्स सब्मिट किये जा चुके हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह पहले ही मैंने अपने जवाब में अर्ज किया है कि जुलाई ५७ में वे महकमा हिसाब में भेजे गये ।

श्री भैरोंसिंह : सब्मिट किये हैं या सब्मिट किये जा चुके हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अपने उत्तर में बताया था कि सरकारी स्वीकृति के अनुसार अकॉउन्ट्स फरवरी १९५७ के मध्य तक साफ हो जाने चाहिए थे, पर वे जुलाई १९५७ को महकमा हिसाब में भेजे गए थे। देरी का दायित्व विभाग पर ही है ।

श्री भैरोंसिंह : जब ५७ में खर्च का हिसाब पेश किया गया था तो स्वीकृति के लिए डाइरेक्टर ने क्यों नहीं लिखा ?

श्री रामकिशोर व्यास : नीचे के लेवल पर हो तो पता नहीं मेरे लेवल तक नहीं आया है ।

श्री भैरोंसिंह : आप से मतलब सरकार से है और आपके और डाइरेक्टर के बीच में एक सेक्रेटरी ही रहता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : कई रहते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी व ऑफिस रहता है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी कहा है कि अमुक तारीख तक हिसाब पेश किये जाने चाहिए थे और उस तारीख तक हिसाब पेश नहीं किये गये । इसका उत्तरदायित्व डिपार्टमेंट के किस अधिकारी पर है और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक्ज़ीबिशन के लिए सेप्रेट स्टॉफ की कमी भी होने की वजह से टाइम लग गया ।

श्री भैरोंसिंह : तो हिसाब पेश करने के बारे में डाइरेक्टर ने छूट ले रखी है या हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को छूट दी गई है, कि जब मर्जी आये उस समय हिसाब पेश करें ।

श्री रामकिशोर व्यास : दो-तीन महीने की गड़बड़ होने से, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या २-३ महीने इस प्रकार लगे हैं उनको सरकार एप्रिशियेट करने को तैयार है ।

Page No.18

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें एप्रिशियेट करने की कोई बात नहीं है। ऐसी पोसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि दो-तीन महीने की डिले हो जाय।

श्री भैरोंसिह : क्या सरकार जांच करने को तैयार है कि किन परिस्थितियों में हिसाब पेश करने में देरी हुई है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

हाथी दांत के कच्चे माल का आयात करने का लाईसेन्स।

६११. **श्री भैरोंसिह (श्री माधोपुर)** : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) राजस्थान में हाथी दांत के कच्चे माल का आयात करने का लाईसेन्स इस वर्ष तथा पिछले वर्ष किन किन को कितने कितने का तथा किन किन शर्तों पर मिला है?

(ख) क्या यह सही है कि जिन शर्तों पर ये लाईसेन्स दिये गये हैं, उनका पालन नहीं किया गया है?

(ग) राजस्थान आइवरी एसोसियेशन पाली को कितने लाख का और किन शर्तों पर लाईसेन्स दिया गया? क्या वह लाईसेन्स की शर्त की तामील कर रहा है? कृपया इन शर्तों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) इस वर्ष हाथी दांत के कच्चे माल का आयात करने का लाईसेन्स २ लाख रुपये का संचालक, उद्योग व रसद विभाग को मिला है। पिछले वर्ष यह लाईसेन्स किसी को नहीं मिला। यह लाईसेन्स इस बिना पर दिया गया है कि हाथी दांत का आयात किया हुआ कच्चा माल केवल उपभोक्ताओं (एक्चुअल यूज़र्स) ही को दिया जावे।

(ख) जी नहीं।

(ग) राजस्थान आइवरी एसोसियेशन पाली को कोई लाईसेन्स नहीं दिया गया है। इनको केवल उपरोक्त माल को संचालक उद्योग व रसद विभाग की ओर से आयात करने का अधिकार दिया गया है। जिन शर्तों पर उन्हें यह अधिकार दिया है उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिह : सरकार के सामने इस मामले में डाइरेक्टर के मार्फत बाला बाला आयात करने में क्या कठिनाई थी जिसके कारण पाली एसोसियेशन को आयात करने के बारे में कहा गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसमें सुविधा रहती है।

श्री भैरोंसिह : वह किस प्रकार की, असुविधा रहती है? सरकार के सामने कौन सी कठिनाई है? दूसरे आदमी को लाईसेन्स हैन्ड ओवर करने में कौन सी सुविधा होती है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरकार द्वारा खुद इम्पोर्ट होता है तो अलग एजेन्सी वितरण की स्थापित करनी होगी। उस स्थिति को देखकर यह व्यवस्था की गई है कि एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी के अन्दर दोनों रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ हैं जो डिस्ट्रिब्यूट करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई एतराज की बात नहीं हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के आयात करने के बारे में जो नियम हैं उनके अनुसार एप्लीकेशन्स इन्वाइट की जानी चाहिए थी, वे एप्लीकेशन्स इन्वाइट नहीं की गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे सामने कोई नियम उल्लंघन होने की शिकायत नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस संबंध में पाली के जितने भी हाथ से काम करने वाले लोग थे, इस हाथी दांत की उन्होंने शिकायत की थी कि आयात किया हुआ माल नहीं मिला है। बल्कि उन लोगों को दिया जाता है जो एक्सपोर्टर्स हैं जो दूसरे लोगों को ज्यादा कीमत पर बेच कर फायदा उठा रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ज्यादा कीमत पर बेच नहीं सकते हैं। अगर ऐसी शिकायत है तो डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ के पास जाना चाहिए, उनको पूरा अख्त्यार है इस मामले में काम करने का।

श्री मूलचन्द डागा : आइवरी एसोसियेशन के मेम्बर्स वर्कर्स हैं या पूंजीपति लोग हैं ?

श्री अध्यक्ष : उनको इम्पोर्ट करने के लिए कहा है। डिस्ट्रिब्यूट एसोसियेशन वाले नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : डिस्ट्रिब्युशन एसोसियेशन ही करता है। सरकार के रिप्रेजेन्टेटिव उसमें हैं लेकिन काम सारा उनके हाथ में है। सारे केपिटेलिस्ट्स हैं, काम करने वाले नहीं हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इम्पोर्ट करने वाले पैसे वाले होंगे। उसके बाद में डिस्ट्रिब्युशन किनको किया जाना चाहिए वह एक कमेटी मिलकर तय करती है, और किस कीमत पर किया जाना चाहिए, वह भी तय करती है।

श्री भैरोंसिंह : डिस्ट्रिब्यूट करने में आयात की कीमत से बहुत ज्यादा कीमत पर डिस्ट्रिब्यूट करके लाभ उठाना चाहते हैं, और एक्चुअल यूज़र्स का उसमें कोई मेम्बर नहीं है, और उनका डिस्ट्रिब्युशन में कोई हाथ नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एसोसियेशन के मेम्बर्स ही है जो आइवरी ट्रेड में काम करते हैं।

प्रश्न संख्या ६१२

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१३

श्री रिद्धिचन्द्र पल्लीवाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१४

श्री सुगनचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

जयपुर शहर में कुछ अधिकारियों द्वारा अपने खुद के मकान होते हुए सरकारी मकानों में रहना

६१५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री भैरोंसिंह)

(१) जयपुर नगर में किन किन ऐसे अधिकारियों को सरकारी मकान दिये हुए है जिनके स्वयं के भी मकान जयपुर में हैं ?

(२) क्या ऐसे अधिकारियों को घर के मकान होने की दशा में भी सरकारी मकान में रहने की नियमानुसार अनुमति दी हुई है

(३) क्या यह सही है कि ऐसे अधिकारियों में कई अधिकारियों को लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत सरकार का कर्जा भी दिया हुआ है ? यदि हां, तो किन किन को और कितना कितना ?

(४) क्या यह सही है कि ऐसे अधिकारियों ने निजी मकान किराये पर दे रखे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) निम्नलिखित ऐसे अधिकारियों को सरकारी मकान दिये हुए हैं जिनके स्वयं के मकान भी जयपुर में है:

१. श्रीविष्णुदत्त शर्मा, कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट, जयपुर।

२. श्री इन्द्रराज, रजिस्ट्रार, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।

३. डॉ. कैलाश शंकर, मेडिकल कॉलेज. जयपुर।

(२) नं. १ व ३ को विशेष अनुमति द्वारा सरकारी मकान दिये हुए हैं। नं. २ ने अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं की है।

(३) उपर्युक्त अधिकारियों में से केवल श्री इन्द्रराज, रजिस्ट्रार राजस्थान सचिवालय ने इस योजना के अन्तर्गत ३६००रु० का कर्जा लिया है।

(४) जी हाँ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि श्री विष्णुदत्त जी ने भी चार हज़ार रुपयों का कर्जा लिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिये मैंने इन्कारी नहीं की, लेकिन उन्होंने लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कर्जा नहीं लिया।

श्री भैरोंसिंह : जिन अधिकारियों ने बिना इजाज़त के सरकारी मकान में रहने की व्यवस्था करली है उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इनमें केवल डॉ. कैलाशशंकर जी ही हैं लेकिन उन्होंने सरकार से कर्जा नहीं लिया है।

श्री भैरोंसिंह : जिन ऑफिसरों के घर के मकान हैं और वे बिना इजाजत सरकारी मकानों में रह रहे हैं, वे अनुमति प्राप्त किये बिना सरकारी मकानों में कैसे रह रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस पर भी सरकार ने विचार किया था। डॉक्टर कैलाशशंकर जी के मकान में राजस्थान सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी, प्लानिंग रह रहे हैं और यदि डॉ. कैलाशशंकर को वह ऑर्डिनरी मकान जिसमें वह रह रहे हैं, खाली करने के लिये फोर्स किया जाता है तो डिप्टी सेक्रेटरी प्लॉनिंग के लिये दूसरे मकान की तलाश करनी पड़ती जो आजकल ज़रा मुश्किल है। डॉ. कैलाशशंकर ऑर्डिनरी मकान में रह रहे हैं।

कुओं की बोरिंग

९१९. **श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा सु०):** क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.21

(श्री धन्नालाल हरित)

(१) कुओं में बोरिंग करने का कार्य करने के हेतु कितनी मशीनें चट्टानों में बोर करने वाली है ?

(२) उक्त मशीनों द्वारा अब तक ज़िलेवार कितने कुओं का बोरिंग हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिये अगली टर्न पर उत्तर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : अगली टर्न पर रखा जाय ।

गंगापुर शुगर मिल्स के निमित्त केशर, कस्तूरी और मसालों के लिए टेन्डर

६१७ **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गंगापुर शुगर मिल्स निमित्त केशर, कस्तूरी और मसाले की खरीद के सिलसिले में टेन्डर मांगे गये थे ? हां तो कब और कितने के ?

(२) ये टेन्डर किन किन व्यापारियों से मांगे गये और उनमें से किन किन ने टेन्डर पेश किये

(३) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत संचालक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को की गई और उपरोक्त सामान टेन्डर्स में लिखी हुई रकम से पचास हज़ार रुपये कम में देने का विचार व्यक्त किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री : श्री मोहनलाल सुखाड़िया :(१) हां ७ अक्टूबर सन् ५७ को टेन्डर मांगे गये थे । टेन्डर पहुँचने की अन्तिम तिथि २१-१०-५७ थी, टेन्डर की लगभग कीमत ३०,००० रु० थी ।

(२) टेन्डर्स अखबारों द्वारा मांगे गये और निम्न पार्टियों ने टेन्डर दिये :

(१) श्री फूलचन्द गंगाराम, जयपुर
(२) श्री गोपीचन्द छुट्टनलाल, जयपुर
(३) श्री नाथूलाल मोहरीलाल, जयपुर
(४) श्री गोपीचन्द एन्ड को०, जयपुर
(५) श्री गुलाबचन्द डिग्गीवाला जयपुर
(६) श्री गेन्दीलाल रूपनारायण जयपुर

(३) इस आशय की कोई शिकायत संचालक, उद्योग व वाणिज्य विभाग में नहीं आई । यद्यपि दो तीन व्यापारियों ने यह शिकायत की थी कि टेन्डर नोटिस अखबारों में नहीं छापा गया अथवा ऐसा नोटिस जयपुर के प्रमुख पत्र राष्ट्रदूत में छापा जाना चाहिये था । इस पर डाइरेक्टर, इन्चार्ज गंगानगर शुगर मिल्स ने इसकी जांच की और चूंकि टेन्डर नोटिस कई अखबारों में जिनमें राष्ट्रदूत भी शामिल था छापा गया था, इसलिये यह शिकायत निराधार पाई गई ।

छबड़ा एवं छीपाबड़ोद के हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा मंजूरी

६२० **श्री धन्नालाल हरित** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) छबड़ा एवं छीपाबड़ोद हाईस्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा कब मन्जूरी प्रदान की गई थी ।

(श्री धन्नालाल हरित)

(२) उक्त कार्य अभी तक पूरे न होने के क्या कारण है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई):

(१) भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित द्रव्य स्वीकृत हुआ था :-

उच्च विद्यालय छबड़ा १०,००० रु०

माध्यमिक पाठशाला छीपा बडोद, १५,००० रु०

यह सन् ५७-५८ के साल में है ।

(२) इस कार्य के पूर्ण न होने का कारण यह है कि पी० डब्ल्यु० डी० ने कार्य हाथ में नहीं लिया ।

श्री धन्नालाल हरित : आपने कितने रिमाइन्डर्स दिये, अब तक कार्य को पूरा कराने के लिये ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमारे यहां से रिमाइन्डर इश्यु नहीं हुआ। छबड़ा के लिये टेन्डर मांगे थे । कॉन्ट्रेक्टर पूरा नहीं कर सका इस दर्मियान में विभाग से आदेश जारी किया गया कि जब तक आदेश नहीं हो तब तक बिल्डिंग सेक्टर एजुकेशन के हाथ में नहीं लिया जाय।

श्रीभैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या ८६७ पब्लिक इन्ट्रेस्ट का है इसलिये इसका जवाब दिया जाय ।

एज्युकेशन सेमिनार को आर्थिक सहायता

८६७. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर)** : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने एज्युकेशन सेमिनार के लिये राज्य सरकार को आर्थिक सहायता दी है ? यदि हां, तो प्रति डिविज़न कितना कितना रुपया दिया गया ?

(२) कितने २ अध्यापकों का एक सेमिनार मुकर्रर किया गया और किस किस सेमिनार में कितने कितने अध्यापकों ने भाग लिया ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी, परन्तु सन् १९५८-५९ में ऑल इण्डिया कौन्सिल फॉर सेकण्डरी एजुकेशन द्वारा तीन सेमिनार आयोजित किये जा रहे हैं :

१. अक्टूबर १९५८ में, जोधपुर में आयोजित किया गया । ८००० रु० की राशि दी गई है ।

२. सरदार शहर व पिलानी में आयोजित, जिसके लिए २५०० रु० प्रत्येक सेमिनार को स्वीकृत है ।

डिवीज़न वाइज़ कोई रकम निर्धारित नहीं है ।

(२) पहिले सेमिनार में ५० और दूसरे व तीसरे में ४०-४० अध्यापकों को भाग लेने के लिये कहा गया ।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ९१४ इम्पोर्टेन्ट है, इसलिये इसका उत्तर दिया जाय ।

राणा प्रतापसागर बांध का निर्माण कार्य

९१४. **श्री सुगनचन्द जैन (बैंगु)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राणा प्रतापसागर बांध का कार्य कब शुरू हो रहा है ?

(२) इस बांध के निर्माण में कितनी रकम खर्च होगी तथा कितनी बिजली पैदा होगी और कहां कहां तक जावेगी और कौन कौन से रास्ते होकर ?

(३) चित्तौड़ ज़िले में कहां कहां बिजली जावेगी और कौन कौन से रास्ते से ?

(श्री सुगनचन्द जैन)

(४) कितने ग्राम डूब में आवेंगे जो जमीन और ग्राम डूब में आवेंगे उनका कितना मुआवजा होगा और कब तक चुकाया जावेगा ?

गृह-मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) संशोधित योजना भारत सरकार से मंजूर होने के बाद शीघ्र ही।

(२) संशोधित योजना पर लागत अन्दाजन १६० करोड़, ६८ लाख, ८४ हज़ार किलोवाट बिजली पैदा होगी।

बिजली वहां से नीमच, उदयपुर होकर जावरा माइन्स तक, नीमच, चित्तौड़, भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से शाहपुरा और सवाई माधोपुर से शिवपुरी कलां होती हुई शिवपुरी और मध्यभारत में उज्जैन से भोपाल में।

(३) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(४) कुल ५१ गांव डूब में आयेंगे और जमीन का मुआवज़ा ८२ लाख रुपये करीब का चुकाना होगा।

श्री तेजमल वापना : संशोधित योजना किस स्टेज पर है और कब तक आ जायगी।

श्री रामकिशोर व्यास : प्लॉनिंग कमीशन के सामने है।

श्री सज्जनसिंह : क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह लाइन अजमेर नहीं जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, अजमेर जायगी।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ६०० का उत्तर दिया जाय, विधान सभा के सदस्यों को इसमें दिलचस्पी है।

श्री अध्यक्ष : यह मामला वाद-विवाद तक ही सीमित रखा जाय तो अच्छा है।

राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को राइफल शूटिंग सिखाना

६००. **डॉ० चन्द्रकला** (राव राजा श्री सरदारसिंह की अनुपस्थिति में) क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार का विचार कुछ राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को राइफल शूटिंग सिखाने का है ?

(२) अगर हां, तो क्या सरकार कृपा करके उपरोक्त राइफल शूटिंग प्रेक्टिस की योजना को तुरन्त लागू करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मेम्बर्स इन्ट्रेस्टेड हों तो चालू किया जा सकता है।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सरकार विधान सभा के सदस्यों को ही नहीं वरन् सब ही वयस्क लोगों को राइफल शूटिंग सिखाने को इच्छुक है।

(२) यह योजना कभी की लागू की जा चुकी है और जयपुर, अलवर, सीकर, जोधपुर, पाली, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर व गंगानगर जिलों में सिविलियन राइफल ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किये जा चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने इस माह के प्रथम सप्ताह में माननीय मुख्य मन्त्रीजी को राइफल शूटिंग सिखाया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

डॉ० चन्द्रकला : अब तक कितने विधान सभाई सदस्य इस शूटिंग में सम्मिलित हो सके हैं ?

श्री अध्यक्ष : अधिवेशन के समय में ऐसी व्यवस्था कर दी जाय तो माननीय सदस्य इसे सीख सकेंगे।

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए।

(विराम)

Page No.24

(श्री अध्यक्ष)

१२. मध्यान्त

विधायी कार्य, श्री शंकरलाल ।

[राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५८ सम्बन्धित सदस्य के अनुपस्थित होने के कारण पुरः स्थापित नहीं किया जा सका]

१२.० मध्यान्ह

आज प्राइवेट मेम्बर्स डे है, श्री जनार्दनराय नागर ।

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, विधेयक को पुरः स्थापित करने से पहले माननीय सदस्य विधेयक के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल दें तो अच्छा हो । यह अभी अभी सर्क्युलेट हुआ है; हमें पता नहीं कि यह किस प्रकार का विधेयक है ।

श्री अध्यक्ष : एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दीजिये ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का मेरा प्रस्ताव था, उसका जो आधारभूत लक्ष्य है, वह यह है कि राजस्थान में वयस्कों की संख्या कम से कम एक करोड़ की कूंती जाती है । हमारी राज्य सरकार ने बालकों, किशोरों और प्रौढ़ों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया है लेकिन समाज शिक्षण वयस्कों के लिए, अभी तक राज्य के अन्दर सांस्कृतिक पद्धति के आधार पर चलता रहा है । डेवलपमेंट ब्लॉक्स के अन्दर समाज शिक्षण का कार्य होता है । राजस्थान में सरकारी और गैर सरकारी संस्थायें भी अपने थोड़े न्यूनतम साधनों पर समाज शिक्षण का कार्य करती हैं । अब स्थिति ऐसी आ गई है कि समाज शिक्षण का कार्य न केवल शास्त्रीय रूप धारण करता जा रहा है, जनतंत्रीय समाज के विकास के लिए, मेरा मत है, यह आधारभूत कार्य हो गया है । क्योंकि समस्त जन-समाज को समाज शिक्षण देने का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चिकित्सा अथवा अन्य समाज कल्याणकारी कार्य है । इसलिए यह नीति स्पष्ट है कि राज्य में ऐसा समाज शिक्षण बोर्ड होना चाहिए जो सरकारी, गैर सरकारी समाज शिक्षण प्रवृत्तियों, संस्थाओं और अन्य कार्यों का समन्वय करे और नवीन प्रयोगों से उसे गन्तव्यात्मक स्वरूप दे तथा प्रयोगों के द्वारा उसे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता दे, जिससे राजस्थान प्रान्त में वयस्कों का निरन्तर समाज शिक्षण होता रहे । मैं निरन्तर शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि समाज शिक्षण के कार्य की अभी उतनी प्रगति नहीं हुई है, वह प्रारम्भावस्था में है । जीवन के समस्त पक्षों के शिक्षण का कार्य समाज शिक्षण का कार्य है । १९४९ से बराबर समाज शिक्षण के वैज्ञानिक प्रयोगों का आंदोलन राष्ट्र व्यापी आधार पर होता चला आ रहा है । आज समाज शिक्षण का कार्य भारतीय राज्यों के विकास का कार्य है, जिसकी पूर्ति करते जा रहे हैं । लेकिन देखा जाय तो

(श्री जनार्दनराय नागर)

इसको केवल एक प्रोग्राम मात्र मानना चाहिए। इसलिए मैंने यह उचित समझा और मैं यह उचित समझता हूं कि राजस्थान राज्य में समाज शिक्षण का एक बोर्ड हो, जो समाज शिक्षण की प्रवृत्ति की वृद्धि करे, इसका समुचित प्रबन्ध करे, और इसके प्रयोगों द्वारा गन्तव्यात्मक विकास निरन्तर करता रहे, इसकी रूप रेखा को अपने समक्ष रखे। इससे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि हमारा राज्य प्रथम महत्व के आधारभूत कर्त्तव्य का पालन करेगा और वयस्कों के लिए समाज शिक्षण का उचित प्रबन्ध करा सकेगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान में नव नवोदित जनतंत्रीय समाज में जहां तक शिक्षा का सवाल है और उसमें हम प्रगति करना चाहते हैं तो इस बोर्ड के बन जाने से, जिस सिद्धान्त और शास्त्रीय आधार पर जितना और जहां तक विकास हम करना चाहते हैं, उतना विकास कर सकेंगे। इसलिए, इस बिल को यहां इस सदन में, रखने का मैंने साहस किया है और इसे पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

राजस्थान भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, १९५८

श्री अर्जुनदास : Sir, I beg to introduce 'The Rajasthan Prevention of Corruption Bill, 1958.'

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिस बिल को सदन में पुरः स्थापित करने के लिए आज्ञा चाही जा रही है, उसका मैं विरोध करता हूं। यह बिल जो सदन के सामने लाया गया है, उसका अभिप्राय यह है कि करप्शन को रोका जाय। इस तरह के प्रोविजन्स के कानून पहले से मौजूद हैं, इस तरह के दो इनेक्टमेंट पहले से लागू हैं, एक है प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट, १९४९। यह सेन्ट्रल एक्ट है, जो लागू है। दूसरा क्रिमिनल लॉ, १९५२ है वह भी लागू है। दोनों में मिलाकर, जितने करप्शन के प्रोविजन्स होने चाहिए, वे मौजूद हैं, और इनके अन्दर जो प्रोसीजर दिया गया है, जो ऑफेन्स बताया गया है, वह काफी है और मुनासिब है। वास्तव में नये कानून को लाने की कोई जरूरत नहीं रहती है। इस बिल में इस तरह के प्रोविजन्स किये गये हैं कि पब्लिक सर्वेन्ट्स की जेब में कितना पैसा होगा, इसमें पब्लिक सर्वेन्ट्स को खर्च करने के राइट्स दिये गये हैं, यह भी है कि वह जेब में उतना ही पैसा ले जा सके जितना दफ्तर तक जाने और दफ्तर से आने तक के लिए जरूरत हो। मैं अर्ज करूंगा कि जो मौजूदा कानून हैं, उन दोनों इनेक्टमेंट्स में जो प्रोविजन्स हैं वे काफी हैं और उसके माफिक अमल हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

श्री अर्जुनदास (अजमेर के पश्चिम) : Mr. Speaker, I never expected that

(श्री अर्जुनदास)

I will be having an opposition from the Government Benches themselves. As a matter of fact I am astonished to find that they are bold enough to say that there is no necessity of passing this Law to eradicate the corruption, and the arguments advanced by the Hon'ble Minister I think are so short and small that nobody will take notice of them. Today I will put them a question. Do they agree with me that the corruption is on the increase ? Has the corruption increased in Rajasthan since 1947 atleast or not ? If we try to answer this question, the only possible reply to this question is that the corruption is too rampant in this state and earlier we do a way with it is better. Next I would like to put them another question. How we propose to eradicate this corruntion ? They say, they are trying their best. It is the only saying. The Government says that it is investing crores of rupees but I believe, that not even fourty percent is being spent for the objectives for which they are being spent. Honesty is an exception as they say in logic, exception proves the rule. Similarly an honest Government servant is an exception. I don't say there are none. But the number of such Government servants is so small that we can conveniently say that the corruption exists without any hinderence or check. I can say that when I came to Rajasthan I found corruption here but the corruption is much more than in 1947. Why it has become more ? It is not possible for you to say. Some persons might be responsible for that. But the fact remains that there cannot be two opinions about it that the corruption has increased in leaps and bounds. I can dare say that ninety percent of the clerks are full of their pockets when they go to their homes. Whenever we go to some court we have got to pay some money for our cases before they are taken up. How do you propose to eradicate it ? We have to agree that the old law which is already in existance like the Act 1947, has not served any purpose. We all see that even the Minister who has opposed this Bill certainly does not want to eradicate this. If he does not propose a thing like this, I will ask him to stand and say that there is no corruption and I will take my chair. But he does not stand, it means he agrees that there is corruption. But he does not agree that the corruption should be eradicated. Unfortunately, what we find is that from the Law Department, we get only these bills which are not theirs but are copied from other states. We never get any new Bill which we may call Rajasthan Bill by name.

If at all we make up our mind to introduce a Bill which has not been introduced in any other State of India, I believe the Law Department will feel shaky and they will request the Hon. Minister to oppose it. There are few Bills which have not been introduced in other States of India. But unfortunately

(श्री अर्जुनदास)

for me, this is one of such Bills which has not yet been introduced in other States of India. But if we take initiative in our hands and adopt the Bill, then other States will also follow the suit.

Now coming to the provisions of this Bill, of course if you find any particular clause is not acceptable to the party in power, then it may be amended suitably. They can replace it, but to say that they do not want to have the Bill at all, is not proper. I have laid down some principles by which we can avoid the corruption at its inception. There is no provision by which you can get a person after thing is done, after he has accepted the illegal gratification, but there are provisions to prevent it. The disease is serious and the remedy has got to be serious. It is said that poison kills poison. The poison is there, the poison of corruption; and you need some bigger poison to eradicate that poison of corruption. If you do not accept the bigger poison, then the poison of corruption will not go, it will remain. I believe that crores of rupees that we are investing in our plans, are being lost unnecessarily because of the rampant corruption that we find.

One of the provisions that I have suggested is that, for every clerk and every officer the Government shall prescribe a particular limit of amount that should be found on his person while he is on duty or till he reaches back his residence. It is upto the Government to fix that limit. I have not tried to lay down that, but the limit should be there and if anybody is found to be in possession of excess amount, the presumption should be that he has obtained it by unlawful means, untill and unless he is able to prove the means by which he came into possession of it honestly. It is upto the Government to fix the limit. It can be Rs. 2/- Rs. 100 or Rs. 1000. You should fix the amount and then see that nobody is found in possession of an amount beyond that limit.

Further, I have tried to suggest that we will also have to do something to induce persons to come forward and level definite charge against particular individuals. Why should we expect that in this State anyone would like to come forward and tell us that A, B or Z has accepted gratification unless there is some inducement for him? Why should he? I do not find any reason. The result is that we have not been getting any reports so far, worth the name. Therefore, we will have to make provision whereby we can induce people to come forward and make a proper complaint against the individuals. I also remember some time back it was said on the floor of this House that the Government is importing Mr. Bombaywala and he will do the magic trick and immediately after his arrival, the corruption will stop. He has come here but nothing has happened, because the existing law is so weak that even Mr. Bombay-

Page No.28

(श्री अर्जुनदास)

wala dare not touch anybody even if he knows that a person has taken illegal gratification. Therefore, I request the Government not to feel shy on matters like this. They can modify the Bill to suit their purpose, and I would request that I may be allowed to introduce the Bill.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(मत- दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ?

श्री अर्जुनदास : 'हां' पक्ष जीता।

श्री रामकिशोर व्यास : 'Noes' have it, Sir,

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में यह शायद पहली घटना होगी जबकि जिस वक्त इन्ट्रोडक्शन के समय बिल को इस तरह प्रपोज़ किया जाय कि निरस्त कर दिया जाय। मेरा ख्याल है कि सरकार को ऐसी परम्परा निर्मित करनी चाहिये कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर विचार हो। जब, विधान सभा में पूर्ण रूप से विचार होकर औचित्य और अनौचित्य पर विचार करके निरस्त या पास किया जाय। पर इन्ट्रोड्यूस करने के समय इस तरह से नहीं होना चाहिये अच्छा नहीं मानते हैं तो सेकन्ड स्टेज पर, थर्ड स्टेज पर ऐसा किया जा सकता है। इन्ट्रोडक्शन के समय निरस्त करने की परम्परा हम डाल रहे हैं, यह उपयुक्त और उचित नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इसके सम्बन्ध में सदन की राय भी ली जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : We are in the midst of a division.

आप डिवीज़न चाहते हैं इस पर ?

श्री अर्जुनदास : Yes, sir.

(विभाजन घंटी)

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, फिर वही प्रश्न उपस्थित किया जायगा। ऐसी अवस्था में, मैं फिर निवेदन करूंगा कि इन्ट्रोडक्शन के समय ही बिल को खत्म करना एक अच्छी परम्परा नहीं, ठीक नहीं। यदि यह परम्परा रखी जायगी तो, गवर्नमेंट की तरफ से भी जब भी कोई बिल पेश होगा तो हम लोग भी, अगर यह रास्ता निकाल दिया गया तो, डिविज़न क्लेम करेंगे और इस तरह अन्नेसेसरी समय बर्बाद किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, इस पर डिबेट अलॉउ कर दी जाय, अगर इसे, इस स्टेज पर ही निरस्त करना चाहते हैं तो।

श्री अध्यक्ष : That can't be done.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय तनसिंहजी ने जो एतराज किया है, किसी हद तक सही हो सकता है। आम तौर से इन्ट्रोडक्शन के समय पर एतराज नहीं करते हैं, लेकिन जो बिल खास तौर से ऐसा हो, जिसके प्रोविज़न्स इस तरह के होते हैं जो कि बहुत एतराज के काबिल होते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। यह कोई नया कन्वेन्शन नहीं है। पार्लियामेंट में ऐसे केसेज़ बहुत मिलेंगे। अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का मुलाहिजा फरमायेंगे

(श्री रामकिशोर व्यास)

तो आपको बहुत से ऐसे बिल मिलेंगे जिनको कन्सीडरेशन की स्टेज पर अपोज़ किया गया है। आम तौर पर जो आपने कहा है उससे मैं एग्री करता हूँ। पर क्योंकि इसके प्रोविज़न्स इस तरह के हैं कि बहुत एतराज के काबिल हैं और इस तरह का पार्लियामेंटरी कन्वेन्शन भी है, पार्लियामेंट में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलेंगी। वरना जनरल पॉलिसी है कि प्राइवेट मेम्बर्स बिल आयें, तो उन पर विचार किया जाय।

श्री तनसिंह : This is not against the policy of the Government.

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय गृह मंत्रीजी का मकसद यह है कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, वह लेजिस्लेटिव कोम्पेटेंस के खिलाफ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंहजी ने कहा और इसका उत्तर गृह मन्त्रीजी ने दिया। बात यह है कि आम तौर पर इस तरह के ऑब्जेक्शन्स नहीं लाये जाते, पर जब ऐसा बिल आये और जो खास तौर से गैर-सरकारी बिल हो, तो उसको इस इन्ट्रोडक्शन के समय मे स्वीकार किया जाय तो यह ऐसा माना जायगा कि इसके उद्देश्य और प्रोविज़न्स से सरकारी पक्ष सहमत है, और अगर सरकारी पक्ष ऐसा इम्प्रेशन देना चाहे या न देना चाहे तो इससे यह नहीं माना जायगा कि ऐसी परम्परा कायम की है। विशेष तौर पर जो गैर-सरकारी विधेयक आते हैं उनके बारे में ऐसी परम्परा लागू करें तो मेरे ख्याल से अनुचित सी बात होगी। इसलिये, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी तक हमने जो परम्परा रखी है, ब्रोडली स्पीकिंग जो हमारे सिद्धान्त हैं, उसके अनुसार सरकार की तरफ से सहमति होती है और इस स्टेज पर विरोध नहीं करते और विचार-विमर्श करते हैं। मगर, यहां पर, इस वाद-विवाद को आगे न बढाकर मैं इस प्रश्न को पुनः सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाए।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

अब संकल्प लिये जावेंगे, श्री सज्जनसिंह।

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, इसलिये, मैं अपने स्थान पर न खड़ा होकर इधर से बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : Yes.

१२.३१ म० प०

किसानों से ली जाने वाली बाढ़ी सम्बन्धी प्रश्न पर संकल्प

श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प इस प्रकार है :

"इस सदन की सम्मति है कि कृषि विभाग से काश्तकारों को बीज, 'न मुनाफा न नुकसान', (No Profit no loss) के आधार पर जिस रेट पर, याने ७॥ सेर फी मन के हिसाब से छः माह के लिये दिया जाता है, वह अत्यधिक है और साहूकार की पांचसेरी बाढ़ी से ड्योढ़ी तथा भूतपूर्व अजमेर राज्य में ली जाने वाली २॥ सेरी बाढ़ी से तिगुनी है तथा

(श्री सज्जनसिंह)

काश्तकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं उन्नत बीज की मात्रा बढ़ाने में बाधक सिद्ध होती है। अत: यह सदन, राजस्थान सरकार से सिफारिश करता है कि काश्तकारों की आर्थिक उन्नति तथा 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये, सरकार बीज पर बाढ़ी २।। सेर फी मन ही ली जाने का आदेश जारी करे।"

अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरा संकल्प बिल्कुल साफ है और इसकी भाषा बिल्कुल साफ है और इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है और मैं क्या चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य और आंकड़े और सरकार की नीति के विषय में, इस सदन के द्वारा सरकार के समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा और मैं आशा करता हूँ कि जो तथ्य या पहलू, इसका सरकार के सामने रखूंगा, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार इस संकल्प को स्वीकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि देश के अन्दर खाद्य पदार्थों की बड़ी भारी कमी है और इसको पूरा करने के उद्देश्य से हमें विदेशों से करोड़ों और अरबों रुपयों का खाद्यान्न प्राप्त करना पड़ता है। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ता है। यदि इसको उपायों द्वारा नहीं रोका जावेगा, तो देश के लिये बड़ी भारी आर्थिक संकट की समस्या पैदा हो सकती है। मैं समझता हूं कि इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए कि देश खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर हो, 'ग्रो मोर फूड कम्पेन' शुरू किया गया यानि 'अधिक अनाज उपजाओ' अभियान शुरू किया गया। मैं समझता हूँ कि उसी सिद्धान्त पर सरकार ने उन्नति बीज, उन्नत खाद और काश्तकारों को उचित आर्थिक सहायता देना शुरू किया ताकि वे इस काम में ज्यादा सहायक और उपयोगी सिद्ध हो सकें। इसके अलावा उन्नत बीज सरकार ने गवर्नमेंट लेवल पर देना निश्चित किया। इसके दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और दूसरा यह कि काश्तकारों को सस्ते भाव पर बीज दिये जाने से उनकी आर्थिक कठिनाई मिट जावेगी और उनको समय पर सहायता भी मिल जावेगी।

मैं जो तथ्य इस समय उपस्थित करता हूँ, उसके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जिस पृष्ठभूमि और जिस नीति को ध्यान में रखते हुए आपने ग्रो मोर फूड कम्पेन, 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान किया है और बीज देने का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि इसमें, इतनी बड़ी बाढ़ी देने में बड़ी भारी बाधाएं पड़ती हैं। इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हम बाढ़ी कितनी ले रहे हैं और उसको रुपयों में मूल्यांकन करने में आज काश्तकारों की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि आपने किसी को एक मन गेहूं उधार दिये। जब एक मन गेहूं किसी को उधार दिये जाते हैं तो उस पर सरकार ७।। सेर अनाज जिस समय बीज वापिस लेते हैं लेगी। यानि अक्टूबर के महीने में बीज दिया जाता है और जून और जुलाई में दिया जाता है। यानि इन ६ महीनों में ७।। सेर बाढी एक मन बीज पर आप उन काश्तकारों से अधिक लेंगे। मैं समझता हूं कि इस का अर्थ यह है कि जिस तरह से व्यापारी रुपया दे कर ब्याज लेता है उसी प्रकार काश्तकार से आप ब्याज लेते हैं। इसलिये यदि हम इस ब्याज को

(श्री सज्जनसिंह)

रुपयों में परिणत करें और देखें तो आपको मालूम होगा कि इसका क्या रुख होगा। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि हम गेहूँ को बाजार भाव लें और उसका बाजार भाव हम १६ रु० मन मानलें। हमने उनको एक मन अनाज दिया और उसकी कीमत १६ रुपये हुई अब उस १६ रुपयों का हमने ब्याज क्या लिया। ७।। सेर गेहूं जिसकी कीमत होगी करीब ३ रुपये। जब १६ रुपयों पर सरकार तीन रुपये ब्याज लेती है तो उसको यदि एक वर्ष के लिये वर्क ऑउट करते हैं तो ३७।। रुपये होते हैं। यह गणित का विषय है, इसको आप खुद फला कर देख सकते हैं, और कोई फला कर देख सकता है। मैं समझता हूं कि यह हिसाब टीक ही है। अब देखते हैं कि जहां पर सरकार कोई बीज नहीं दे सकती है वहां पर कैश देती है। वहां कैश पर, सरकार साल भर में, यदि मेरी इन्फोर्मेशन गलत नहीं है तो ४ रु० ११आ० प्रति वर्ष प्रति सैकडा सूद लेती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों तथ्यों को मिला कर देखें। रुपया और बीज सरकार देतो है इन दोनों के ब्याज में कितना अन्तर है। एक तरफ सरकार ३७।। रु० चार्ज करती है और और दूसरी तरफ ४ रु० ११ आ०। अध्यक्ष महोदय, इसका काश्तकारों की आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ता है मैं इसके विषय में ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा और सरकार पर ही छोड़ता हूं कि इस पर सोचे। अगर यह कहा जावे कि हम नो लोस नो प्रोफिट बेसिस पर बीज देते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ आंकड़े मैं पेश करूंगा उससे भी वह चीज़ नहीं बैठने वाली है। अध्यक्ष महोदय, जो बीज दिये जाने के सम्बन्ध में जो मेरे ख्याल से सम्भव खर्च हो सकता है, डिपार्टमेंट के स्टाफ के खर्च के अलावा, मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई खर्च नहीं हो सकता।

बीज को ले जाने के लिए बोरियों की आवश्यकता होती है और अगर एक बोरी की कीमत १।) मान ली जाय, तो मैं समझता हूँ कि एक बोरी दो साल तक काम में आ सकती है, वह एक साल में खराब नहीं हो सकती है, तो ।) फी मन के हिसाब से बारदाने का खर्चा हो सकता है, इसी प्रकार से तुलाई, हमाली, सूतली और मार्का लगाया जाता है वह मैं दो आना फी मन मानता हूँ, एव गोदाम का भाड़ा चार आना फी मन मानता हूँ। जब बीज बाहर जायगा तो यह स्वाभाविक है कि उसमें कुछ घटोतरी होगी और वह घटोतरी मैं एक सेर फी मन मानता हूं। उसकी कीमत छः आना फी मन होगी। इसके अलावा जिला हैडक्वार्टर से बीज पहुँचाने का भाड़ा ।।) आने फी मन से अधिक नहीं होगा। इस तरह से मेरे हिसाब से १।) फी मन के हिसाब से खर्चा आता है। यदि यह माना जाय कि जिस वक्त बीज वापिस वसूल करेंगे तो उसको तहसील हैडक्वार्टर या जिला हैडक्वार्टर तक पहुँचाने के लिए और भी भाड़े की आवश्यकता होगी तो मैं यह स्वीकार कर लेता हूँ कि आठ आना फी मन इसमें और जोड़ दिया जाय। इस तरह से २)रु० फी मन के हिसाब से और कोई खर्चा इस पर नहीं होना चाहिये।

अब प्रश्न यह उटता है कि २) फी मन के हिसाब से, जहां तक सरकार को आमदनी नहीं होगी, वहां तक नो लोस नो प्रोफिट का हिसाब नहीं होगा, २।। सेर बाढी का जोड़ लिया जाय तो यह हिसाब हो जाता है। केन्द्रीय सरकार से उन्नत बीज वितरण के लिए राज्य

(श्री सज्जनसिंह)

सरकारों को उक्त रुपया फी मन सब्सिडी मिलती है। और ग्रो मोर फूड पर राज्य-सरकार को, एक रुपया ऐसे उन्नत बीज पर देना आवश्यक है। यदि इन दोनों मदों को स्वीकार किया जाय तो मैं मानता हूँ कि तीन रुपया फी मन के हिसाब से आमदनी होनी चाहिये। यदि तीन रुपये में से दो रुपया खर्चा हुआ तो एक रुपया बचना चाहिये जिससे सरकार को कोई खर्चा होने की संभावना नहीं है। यदि यह प्रश्न किया जाय कि सरकार को मंहगे भाव से बीज खरीदना पड़ता है और काश्तकारों को देना पड़ता है और सस्ते भाव में उनको देना पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस नीति को बदल देना चाहिये। सरकार जब यह जानती है कि रबी और खरीफ के अन्दर काश्तकारों को बीज देना पड़ता है तो सरकार को फसल के समय ऐसे उन्नत बीज को खरीदना चाहिये और स्टोर करना चाहिये। प्रश्न शायद यह उठाया जा सकता है कि इससे तो छः महीने पहले स्टोर करके रकम को लोक अप कर देना होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को अक्टूबर के महीने में बीज वितरण करना पड़ता है और उसके लिए अगस्त में ही, सरकार खरीदने के प्रयत्न शुरू कर देती है, मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि जुलाई में ही, जो कि फसल का वक्त होता है, अच्छा बीज खरीदकर स्टोर कर लिया जाय तो उससे अधिक लाभ और मुनाफा हो सकता है और काश्तकारों पर जिस तरह से बोझा पड़ता है, ३७॥) फी सैंकड़ा का सूद काश्तकारों पर पड़ता है, वह नहीं पड़ेगा। सरकार के सामने ये तथ्य पेश नहीं किये गये हों इसलिये सरकार यह मुनासिब समझती थी कि साढ़े सात सेर वाजिब है और इसके बगैर सरकार नो लोस नो प्रोफिट पर नहीं दे सकती। ये दो सुझाव मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किये हैं, उन पर विचार किया जाय और इस प्रकार से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के सिलसिले में सहायता दी जाय तो यह अधिक उपयोगी होगा। मैं समझता हूं कि सरकार मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

श्री अध्यक्ष : इस पर दो संशोधन हैं। डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा इस प्रस्ताव पर संशोधन है और वह इस प्रकार है :

निम्नांकित शब्द अन्त में और जोड़े जांय :

"और आवश्यकतानुसार काश्तकारों को बीज उपलब्ध करने के लिये भी व्यवस्था करे।"

माननीय अध्यक्ष, यह प्रस्ताव जो माननीय सदस्य ने रखा है कि 'नो लोस, नो प्रोफिट' के आधार पर काश्तकारों को बीज वितरित करवाया जाय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और उस हमारी योजना के लिये भी जिसको रबी अभियान या 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन कहते हैं, यह एक जान है। अध्यक्ष महोदय, आज किसानों की क्या हालत है यह देखने का एक सवाल है। आज भारत का किसान काफी गरीब है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी स्थिति इतनी गिर गई है और दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है. उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण हमारा वह समाज है जो हमारे गांवों में बोहरगत करता है। उस बोहरगत से काश्तकारों को छुडाने के लिए राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की कि बीज दे और बीज दिया जाय तो सिद्धान्त यह बनाया गया कि 'नो लोस, नो प्रोफिट' पर बीज दिया जाय। लेकिन अभी जैसे माननीय सदस्य ने आंकड़े प्रस्तुत किये उस पर व्याज सवाया-डेढा पड़ता है। चार

Page No.33

(डॉ० बहादुरसिंह)

रुपया ग्यारह आने फी सैकड़ा का ब्याज एक किसान के लिए अहितकर है, उसके आर्थिक ढांचे को बिगाड़ देने वाला है । राज्य सरकार के बीज देने से उस पर क्या प्रभाव पड़ा ? आप किसानों को बीज देते हैं, बोहरे ने बीज देना बन्द कर दिया और यह हालत करदी है कि लोग बीज के लिये तंग हैं। इसलिए अभी जो पिछले दिनों तबाही भरतपुर जिले में आई थी, उसी अनुभव के आधार पर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि किसानों को जितने बीज की आवश्यकता है उतना बीज उनको उपलब्ध नहीं होता । एक-एक, दो-दो गांवों में हजारों मन की आवश्यकता थी, वहां उनको मिला २००, २५० मन ही । आप ही सोचिये कि वह 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन कैसे सफल हो सकता है जिसको हम करना चाहते हैं । यह अन्न की समस्या दिन रात दुगुनी-चौगुनी बढ़ती जा रही है, उसको हल करना होगा । इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस महत्वपूर्ण संकल्प के अन्त में, जो इस समय इस सदन में प्रस्तुत है यह जोड़ दिया जाय कि बीज जो दिया जाय वह पर्याप्त मात्रा में दिया जाय । जहां सेर की आवश्यकता है, वहां देते हैं पाव भर । जिस व्यक्ति को पाव भर खाने के लिये चाहिये और उसको छटांक भर दिया जाय तो उसका जीवन कैसे चलेगा ? जिस भूमि के लिए पांच सेर चाहिये और आप देंगे दो सेर वहां कैसे काम चलेगा, और देने का तरीका भी अजीब है । मुझे याद है हमारे यह पहले बोहरे भी इसी प्रकार शोषण करते थे । मैं आपको एक गांव का जिक्र करूं जो असंगत नहीं होगा कि बोहरा कर्ज दिया करता था । एक हरिजन ने कर्ज लिया । उसके कर्जे को चुकाने के लिए हरिजन ने अपनी स्त्री को बेच दिया और फिर भी बोहरे का कर्ज नहीं पटा । यह स्थिति इस प्रकार आती है । एक मन लिया और ७॥ सेर बाढ़ी का देगा । देगा कहां से ?

हमें इतना रीज़नेबल ब्याज लेना चाहिये जिससे किसानों की आर्थिक हालत नहीं बिगड़े । अगर उनकी हालत बिगड़ती है तो यह निश्चय मानिये जो हालत हम उनकी सुधारना चाहते हैं वह सुधरेगी नहीं । अब एक सवाल आता है 'नो प्रोफिट नो लोस' का हमारा लोस किसमें है ? प्रशासनिक व्यय इतना बढ़ रहा है जिसकी वजह से ७॥ सेर की बाढ़ी ली जाती है । इसके लिये भी सरकार कह सकती है कि हम घाटे पर रह कर ही देते हैं । हो सकता है इसमें घाटा भी हो, लेकिन इसी आधार पर बोहरे लोग ५ सेर ले लेते है तो वे क्या दोष करते हैं, लेकिन हम इसे भी अधिक मानते हैं । मेरी तो यह मान्यता है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था करें । हमारा जो बीज वितरण पर प्रशासनिक व्यय होता है, वह बहुत ज्यादा है । इसलिये मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने संशोधन को मूव कर रहा हूँ, वह प्रस्ताव एक अच्छे रूप में पास हो सके इसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ । मान लीजिये आप उन्नत बीज देना चाहते हैं ढाई सेर पर बाढ़ी के आधार पर देना चाहते हैं, अगर उससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो वह लाएगा कहां से ? जहां सरकार उसको दे नहीं सकती, बोहरे उसको दे नहीं सकते, उसको मना कर देते हैं । वैसी हालत में किसान खेत नहीं जोत सकता, उसकी जमीन पड़ी रह जाती है या उसको अधिक ब्याज देकर या रिश्वत देकर या दो तीन लोग मिल करके बीज लाते हैं, इस तरह से गलत तरीके से बीज़ लेना पड़ता है, तो इस तरह से प्रस्ताव में थोड़ा अधूरापन रह जाता है । तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रस्ताव

(डॉ० बहादुरसिंह)

के अन्त में जोड़े जांय और आवश्यकतानुसार काश्तकारों को बीज उपलब्ध करने के लिये भी व्यवस्था करें। अगर आप यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो इस प्रस्ताव की पूर्ति तब हो सकती है जब कि आप बीज दें और ढाई सेर बाढ़ी से दें और उसको जितनी आवश्यकता हो उतना दें; यह नहीं कि थोड़ा दें। इन शब्दों के साथ मूल प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अ ने संशोधन प्रस्ताव को सदन के माननीय सदस्यों के समर्थन के लिये उपस्थित करता हूँ।

डॉ० चन्द्रकला किशनपोल बाजार,जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के संबंध में मेरे तीन छोटे से और साधारण से संशोधन हैं जो केवल भाषा संबन्धी हैं। जहां तक इस संकल्प की भावना का प्रश्न है और इस संकल्प के लाने का जो लक्ष्य है, उसका मैं पूर्णतया समर्थन करती हूं। वह भावना और लक्ष्य अधिक से अधिक स्पष्ट हो सके, इसके लिये मैंने ये संशोधन प्रस्तावित किये हैं।

हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि न केवल अपने प्रान्त में लेकिन अपने देश के सामने जो बहुत बड़ी समस्या है, वह है अन्न उत्पादन की समस्या। हमको अधिक से अधिक अन्न उपजा कर देश की खाद्य स्थिति को सुधारना है और उसके लिये आवश्यक यह है कि किसानों को अच्छे से अच्छा बीज मिले। अब तक दो प्रकार से बीज मिला करते हैं- एक तो किसान अपने गांव के या आस-पास के साहूकार के पास जाकर बीज लिया करता है, जैसा कि संकल्प में कहा गया, उस हालत में उसको पांच सेर की बाढ़ी देनी पड़ती थी। पांच सेर ही की बाढ़ी निश्चित हो यह बात नहीं, जैसा भी कुछ तय हो जाता, दोनों के मध्य, उसी प्रकार से किसान को देना पड़ता था। इसके साथ साथ हमारी सरकार 'नो प्रोफिट नो लॉस' यानि न लाभ लेना और न नुकसान उठाना इस नीति के आधार पर बीज देती है, उस पर सरकार साढ़े सात सेर की बाढ़ी लिया करती है यानि सरकार जो साढ़े सात सेर की बाढ़ी लेती है उसमें सरकार द्वारा जो कुछ भी व्यय होता है वह भी उसमें शामिल होता है, जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने-वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार का इससे भी अधिक खर्चा पड़ता होगा फिर भी जो साढ़े सात सेर की बाढ़ी ली जा रही है वह भी हम लोगों को ज्यादा लग रही है, भले ही सरकार के दृष्टिकोण से यह कम भी हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहती हूं कि हमारी सरकार को यहां पर एक मन का हिसाब नहीं लगाना चाहिये। वितरण पर जो खर्चा होता है वह फसल हो के जाने बाद वापिस लेने का विचार रखते हैं, उसके सामने बाढ़ी का सवाल रहता है न कि अन्न के ज्यादा उत्पादन का। ऐसी स्थिति में जहां किसान को अन्न का उत्पादन बढ़ाना चाहिये, अधिक से अधिक अन्न उपजाना चाहिये, ताकि प्रान्त की समस्या हल हो इस दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं तो बाढ़ी का संकल्प, जो साढ़े सात सेर है, उसको ढाई सेर कर देना चाहिये। ऐसा हम कर देते हैं तो यह कोई नई बात नहीं है। भूतपूर्व अजमेर राज्य में यह प्रक्रिया लागू थी। वहां पर इसी तरह से काम चलता था। हमको भी उसी का अनुकरण करना चाहिये। मैंने अपने जो संशोधन रखे हैं वह केवल इसी भावना को स्पष्ट करने के लिये रखे हैं। इस संकल्प में जो बाढ़ी घटाने का कहा गया है कि हमें बाढ़ी घटानी है, किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार

(डॉ० चन्द्रकला)

करना है, उसको उन्नत बीज देना है तो हमें केवल उन्नत बीज का ही ख्याल नहीं करना है बल्कि उपज बढ़ाने मे जिन जिन कारणों से बाधा उत्पन्न होती है उनको भी दूर करना है। हमारे सामने केवल उन्नत बीज का ही लक्ष्य नहीं होना चाहिये बल्कि उसके साथ साथ उपज में किस प्रकार से वृद्धि हो सकती है यह बात ज्यादा ध्यान में रखने की है। इसलिये मैंने यहां पर यह संशोधन रखा है कि हमारे सामने लक्ष्य केवल उन्नत बीज का ही न होकर उपज बढ़ाने का होना चाहिये।

इसके साथ साथ मैंने तीसरा संशोधन यह रखा है कि इस अभियान में 'अधिक लोकप्रिय' के स्थान पर 'सार्थक' शब्द रखा जाय। आजकल लोकप्रिय बनाने का अर्थ होता है केवल कागज पर लोकप्रिय बनाना। हमारा अभियान पेम्फलेट से या इश्तिहारों से लोकप्रिय बनाया जाता है और ज्यादा हुआ तो अखबारों द्वारा लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जाती है। इस तरह से वस्तुतः लोकप्रिय जिस प्रकार होना चाहिये, वह उस लोकप्रियता तक नहीं पहुंच पाता। हमारा प्रयत्न केवल टहनी पत्तों पर ही रह जाता है, ठेठ जड़ तक नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि जो कुछ अभियान हमारे यहां चलते हैं उनके परिणाम पर हम दृष्टिपात करें तो हम शून्य से बहुत कम आगे बढ़ा हुआ पाते हैं। हमारा ध्यान केवल लोकप्रिय बनाने का रहता है, वह इस दृष्टिकोण से नहीं कि वास्तव में जिस जनता से इस अभियान का सम्बन्ध है उस तक उसकी लोकप्रियता पहुंच पाती है या नहीं। वास्तव में हमारे सामने लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक हम पहुंच कर कितने आगे बढ़े, उसमें कहां तक सफल हुए, कहां जाकर हमारे लक्ष्य की पूर्ति रुक गई, इन बातों का ध्यान न होकर केवल हमारे सामने सवाल लोकप्रिय बनाने का रहता है। बहुत सारे विभाग बड़े सुन्दर अक्षरों, तसवीरों के साथ पेम्फलेट्स निकलवाते हैं। वे पेम्फलेट मेरे पास भी आते हैं मैं उनको बड़े ताज्जुब के साथ देखती हूँ कि इस विभाग द्वारा निकाले गये पेम्फलेट्स बड़े सुन्दर होते हैं। मैं तो कई बार यह भी देखती हूं कि इन्हीं पेम्फलेट्स की प्रतियां दो-दो तीन-तीन बार मेरे पास आती हैं। खेती से मेरा मतलब नहीं है, शहर के रहने वाले लोगों का खेती से कितना सम्बन्ध हो सकता है, यह आप जान सकते हैं। लेकिन फिर भी इन पेम्फलेट्स का निरन्तर आना, रंग-बिरंगे अक्षरों में छप कर आना, जो छोटे-छोटे बच्चों को जरूर मोहित कर सकते हैं, बच्चे लोगों ने इन पेम्फलेट्स को बहुत पसन्द किया और जिनसे इनका सम्बन्ध नहीं है वे इनमें जूते लपेट सकते हैं, और भी किसी काम में ले सकते हैं। इस तरह से लोकप्रिय तो वह अभियान हो सकता है, लेकिन उसकी सार्थकता उससे होनी वाली नहीं। इसलिये मैंने जो संशोधन रखा है, इसी भावना से रखा है। मैं आशा करती हूँ इस प्रस्ताव को माननीय सदस्यगण इन संशोधनों के साथ स्वीकार करेंगे। मैं संकल्प के लक्ष्य का पूरा पूरा समर्थन करती हूँ।

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में, मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है अन्न उत्पादन की। हम काश्तकारों को किस तरह से अधिक से अधिक अन्न उपजाने में सहयोग दे सकते हैं, इसलिये, हमको काश्तकारों के पास अच्छे से अच्छा बीज पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिये और वह भी समय पर मिल जाए, इस प्रकार

(श्री बालमुकन्द)

का प्रयत्न करना चाहिये। इस बारे में किसी का मतभेद हो नहीं सकता। काश्तकारों को जो बीज सरकार की ओर से दिया जाता है, वह समय पर नहीं पहुँच पाता और जो बीज काश्तकारों के पास पहुँचता है, वह इतना महंगा होता है कि गरीब काश्तकार उसे खरीद नहीं सकता। इस प्रकार से जो सवाई बाढ़ी पर यानि साढ़े सात पर्सेन्ट के हिसाब से जो लिया जाता है वह काश्तकारों के लिये बहुत ज्यादा है।

डूंगरपुर साइड में चना और गेहूँ वितरित किया गया, वह नकल के रूप में वितरित किया गया। तो इस प्रकार यह जो व्यवस्था सरकार करती है, ठीक नहीं है।

सरकार कम से कम बाढ़ी पर अनाज का बीज काश्तकार को दे, वह समय पर दे और उन्नत प्रकार का बीज दे। देरी से देने पर काश्तकार ठीक समय पर बो नहीं पाता।

सरकार जो उन्नत प्रकार के बीज का प्रयोग कर रही है उसका डिमोंस्ट्रेशन जगह जगह काश्तकारों को दे और समझावे। किसी एक काश्तकार ने उन्नत बीज को अधिक से अधिक उन्नत करके दिखाया हो, कहीं ऐसा मेरे देखने में तो नहीं आया।

कृषि विभाग इस तरफ ध्यान दे और काश्तकारों को यह बतावे कि उन्नत बीज से इस प्रकार से पैदावार अधिक से अधिक प्राप्त की जा सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प के समर्थन में बोलते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको मन्जूर कर ले।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर): श्री सज्जनसिंह के संकल्प का मैं समर्थन करता हूँ। कहने को तो सरकार कहती है कि किसानों की हालत अच्छी करने के लिये अच्छा बीज सस्ती बाढ़ी से दे रहे हैं, पर इस सस्ते के नाम पर साढ़े सात सेर बाढ़ी ली जाती है, यह है नमूना सरकार की सस्ती बाढ़ी का जबकि ग्राम बोहरा पांच सेर बाढ़ी पर देता है और तुरन्त देता है, बिना किसी हैरानी के देता है।

साहूकार पांच सेर बाढ़ी से बीज देता है। इसके लिये काश्तकार को सिर्फ क्या करना होगा कि कॉन्फीडेन्स गेन करना होगा। विश्वास देना होगा कि समय पर वापिस लौटा दूंगा। पर आज सरकार का बीज लाने के लिये काश्तकार को अनेकों चक्कर लगाने पड़ते हैं, सरकारी अफसरों की खुशामदें और मिन्नतें करनी पड़ती हैं, पटवारी से लेकर ग्राम सेवक और उच्च अधिकारी कलेक्टर तक, फुटबाल की तरह उसको घूमना पड़ेगा, तब जाकर कुछ काम बनता नजर आवेगा और तब भी यह डर बना ही रहेगा कि समय पर भी मिलता है या नहीं।

अब साढ़े सात सेर बाढ़ी का हिसाब लगावें तो एक मन बीज २ सेर रुपया के हिसाब से बीस रुपया होता है बीज का और साढ़े सात सेर बाढ़ी के बीज की कीमत इस तरह ३।। रु० होता है। चार महीने में फसल तैयार हो जाती है, चार महीने के बाद जब वह २० रुपये के बीज पर ३।। रुपये बाढ़ी के रूप में दे देता है तो चार रुपया ग्यारह आना सैकड़ा माहवारी ब्याज का हिसाब पड़ा। बनिया आठ आना माहवारी के हिसाब से अधिक नहीं ले सकता, लेता है तो कानून से जुर्म होता है, अधिक से अधिक वह एक रु० सैकड़ा ले सकता है, इससे अधिक की डिक्री कोर्ट कभी नहीं देता, तो इस हिसाब से सरकार

(श्री लक्ष्मीचन्द)

कहने को तो कहती है कि वह किसान की उन्नति का काम करती हैं, पर दूसरी तरफ वह उससे ३।।। रुपया सैंकड़ा ब्याज के रूप में वसूल करती है। कहावत है हमारे यहां कि 'आंख का अन्धा और नाम नैनसुख'। यह तो उस वाला हिसाब हुआ। कहने को तो सरकार कहती है कि वह किसान के उन्नति की योजना बना रही है, पर करने में वह साढ़े सात सेर बाढ़ी वसूल करती है। सरकार का यह बाढ़ी का बीज ले कौन जाते हैं, अब वास्तव में होता क्या है, सरकार का यह बाढ़ी का बीज ले कौन जाते हैं, अधिकतर वे लोग ले जाते हैं जिनके पास बहुत होता है, जो अधिकारियों के मुंह लगे होते हैं और जो वापिस नहीं चुकाने की नीयत रखते हैं। या वे लोग लें जाते हैं जो खाने के लिये जरूरत महसूस करते हैं। वे जानते हैं, पहले तो सरकार जल्दी कुछ वसूली के लिये कहेगी नहीं, कहेगी और अटेचमेंट वगैरह लावेगी तो क्या लेगी, किससे वसूल करेगी ? तो वास्तव में इसका सदुपयोग नहीं होता।

सरकार की बाढ़ी ज्यादा होने से जिनको वास्तव में जरूरत है और जो समय पर वापिस चुका देने की नीयत रखते हैं, वे कभी नहीं ले जाते, वे साहूकार से ही लेते हैं। हर-एक आदमी चाहने को चाहता है कि बीज अच्छा मिले और अनाज की पैदावार बढ़े, पर सरकार के यहां आम किसान को सहूलियत नहीं मिलती। उन अफसरों के मुंह लगे हुए जी-हुजूरों को यह सहूलियत मिलती है पर वे चुकाने का नाम नही लेते। मेरे जालौर क्षेत्र में पचास पर्सेन्ट से भी अधिक मामले ऐसे हैं। तो वास्तव में ऐसे लोग उनसे बीज ले जाते हैं जो बोते नहीं और जो बोते हैं, वे लेने जावें तो मिले नहीं।

इस कारण से सरकार की नीति फेल हुई है। अगर इसको आप २।। सेर कर देंगे तो लोग बोहरों के पास जाना छोड़कर आपके पास आवेंगे और उसका पूरा फायदा उठावेंगे। कोई नहीं चाहता कि पैदावार न बढ़े। सरकार ज्यादा सहूलियत देगी तो लोग सरकार के पास आवेंगे।

इस तरह सहूलियत देने में अगर सरकार को कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। जो किसान सरकार को, कई प्रकार के टैक्सों से चलाता है, उसको अगर इस मामले में थोड़ी रियायत दे दें तो इससे विकास ही होगा और इससे आगे जाकर सरकार को और फायदा ही होगा। फिर विकास का यह सवाल है, सरकार विकास के लिये काफी खर्चा कर रही है तो इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिये।

इसलिये इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ और सदन के सभी महानुभावों से अपील करता हूं कि वे इसको पारित करें।

१ म० प०

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो श्री सज्जनसिंहजी ने प्रस्तुत किया है और उस पर डॉक्टर बहादुरसिंह ने जो संशोधन रखा है और इसमें डॉक्टर चन्द्रकला ने जो शाब्दिक सुधार सुझाया है, उन सबका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह एक सर्वविदित तथ्य है हमारे देश में सबसे अधिक आवश्यकता आज खाद्यान्न की है, इसीलिये हमारी केन्द्रीय सरकार और हमारी राज्य सरकारें सबसे अधिक बल इस

Page No.38

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बात पर देती हैं कि हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़े । खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना मूल रूप से तो किसानों के ही हाथ में है ; यदि हमारे देश में किसान अधिक से अधिक परिश्रम करें और जितने मनोयोग की आवश्यकता है खाद्यान्न के बढ़ाने में, उतना ही लगायें तो हमारे देश का खाद्यान्न बढ़ना चाहिये । लेकिन किसानों के साथ-साथ सरकार के ऊपर भी यह कर्तव्य आ जाता है कि वह किसानों को सारे साधन और सारी सुविधायें उपलब्ध कराये, जिनसे किसान अपने खाद्यान्न को बढ़ा सके । एक कल्याणकारी राज्य के लिए यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि वह देश के एक ऐसे वर्ग के लिए जिसके ऊपर देश की सारी उन्नति निर्भर है, बल्कि देश का सारा जीवन निर्भर है, उसके लिए वह अधिक से अधिक सहायता करे । जहां तक हमारे राज्य में कृषि विभाग का सम्बन्ध है वह सौभाग्य से यहां पर भी मौजूद है, और काम भी वह करता ही रहा है । यह तो नही कहा जा सकता कि वह निकम्मा ही विभाग रहा है । लेकिन उसके कार्यों में कुछ त्रुटियां ऐसी रही हैं कि जिनसे किसानों को जितना लाभ होना चाहिए, उतना उनको नहीं मिला है । वास्तव में यह संकल्प जो आज सदन के सामने आया है, इसका अनुभव तो मेरा यह है कि यह नियम कृषि विभाग की तरफ से चालू रहे हैं कि एक मन के ऊपर इतना बढ़ाकर लिया जाये । बहुत दिनों से यह अनुभव किया जाता रहा है और इस सम्बन्ध में शिकायत भी कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों से होती रही हैं । मैं समझता हूं कि भरतपुर ज़िला, जहां से मैं आ रहा हूँ, वहां कुछ ऐसा दुर्भाग्य का व्यवहार हो रहा था कि वहां ७॥ सेर तो क्या १० सेर की बाड़ी ली जाती थी । जब यह चीज अधिकारियों के नोटिस में लाई गई तो इसमें उतना तो सुधार कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसकी उतनी मात्रा बढ़ा करके ली जा रही है । तो वहां के किसान यह सोचते हैं कि जब सरकार इस प्रकार की सहूलियत हमें नहीं दे रही थी, हमें अपने गांवों के बोहरों से इस तरह अनाज लेना पड़ता था तब बोहरा भी उस पर ब्याज लगा करके या दूसरे तरीके से जब फसल किसान की खलिहान पर आकर पड़ती थी तो वह सारा गल्ला वहां से ले जाता था और जो उसको देना पड़ता था, उससे सवाया या उससे अधिक किसान के पास से चला जाता था । लेकिन सरकार की ओर से व्यवस्था हो जाने के बाद भी उतनी सुविधा नहीं हो सकी, जितनी कि उसे मिलनी चाहिए थी । इस प्रकार यह संकल्प आया है इससे किसानों को जो कुछ सुविधा मिल सकेगी, जिससे वह अपने खेत में जो परिश्रम से अनाज पैदा करता है और उसका बहुत सा भाग ब्याज की शकल में या मुनाफे की शकल में फसल कट जाने के बाद देना पड़ता है, इसलिये उसके जहां तक कम करने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ, बहुत ही उचित है और उससे बीज जब वापिस लिया जाये तो उससे २॥ सेर के रूप में होना चाहिए । इसके साथ-साथ जो संशोधन इसमें रखा है, मैं समझता हूँ वह भी उतना ही आवश्यक है । इसका कारण यह है कि कृषि विभाग आज भी बीज देता है, लेकिन वह बहुत सीमित मात्रा में देता है । किसानों की जितनी आवश्यकता है उतना नहीं देता है । उस बीज की यों भी खास आवश्यकता इस लिये समझी जाती है कि ज्यादातर किसान अपने गांव में जैसा भी बीज मिलता है, उसको काम में लाता है । अगर उसको दूसरी जगह का अच्छा बीज नहीं दिया जायेगा तो वह अपने

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आसपास के गांवों के बीज को ही खेत में बोयेगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से बीज को पैदा नहीं करने से वही पुराने तरीके का बीज होता है, जिससे पैदावार भी ज्यादा नहीं होती और अच्छी किस्म की भी नहीं होती है, इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को अच्छा बीज मिले। अच्छा बीज, किसानों की खुद की औकात नहीं कि वह उपलब्ध कर सकें। क्योंकि अगर यह पंजाब से या गंगानगर से या कोटा से या और किसी दूसरी जगह से मंगाते हैं तो अकेले बीज, दस, बीस, पचास मन मंगाने में दिक्कत आ सकती है और उनको खर्चा भी अधिक पड़ सकता है। लेकिन यदि सरकार अपने कृषि विभाग की ओर से जिले के हैडक्वार्टर्स पर, तहसील हैडक्वार्टर्स पर, पंचायतों में जहां–जहां भी अच्छा बीज मंगा कर दे सके, तो किसान उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए, किसान को इसकी इसलिये भी आवश्यकता है कि सरकार का कृषि विभाग उनको अच्छा बीज दे। अच्छा बीज देने के साथ-साथ यह भी लाजिमी हो जाता है कि उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको बीज दे। जैसा कि अभी इस संशोधन को प्रस्तावित करने वाले सज्जन ने यहां बतलाया और मेरा भी अनुभव है कि भरतपुर में जहां बाढ़ आई थी, वहां का जो लोकल अनाज था वह नष्ट हो चुका है और आसपास के क्षेत्र में भी बाढ़ आई, इसलिये वहां से भी नहीं ले सके, इसलिए वहां के किसानों को बहुत कुछ सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ा जो कि कृषि विभाग के पास उनके गोदामों में था। अभी मैं उस क्षेत्र में परसों ही होकर आया हूँ। उन्होंने बतलाया कि बीज उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं मिला है। इस हालत में उनको वह जितना भी बीज था, और जैसा भी बीज था, लेना पड़ा। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के कृषि विभाग का पहले कर्तव्य हो जाता है कि वह कहीं न कहीं से उतना बीज दे, जितने बीज की किसानों को आवश्यकता है। बीज जब कि उनको कर्ज रूप में देते हैं, सरकार जब खाद्यान्न बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार का प्रचार करती है, कुओं की बात भी करती है और दूसरी-दूसरी सहूलियतें देती है, लेकिन जो मुख्य चीज बीज है अगर वह सरकार पूरा नहीं दे सकती, तो बैल और खाद वगैरह किसी भी काम नहीं आयेंगी। इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि उनको जितने बीज की जरूरत है उतना दिया जाये। यह इलाका जहां का मैं जिक्र कर रहा हूं वह ऐसा इलाका है कि मैं समझता हूं गंगानगर और कोटा के इलाके को छोड़ कर राजस्थान में सबसे अधिक अन्न उपजाने वाला इलाका है। लेकिन जब दैवी आपत्ति आ जाती है तो क्या किया जा सकता है ? वह जिला सदा से ही आत्मनिर्भर रहा है तभी शायद उस जिले में राजस्थान के दूसरे जिलों से अन्न लाने की अवस्था कभी नहीं रही। लेकिन अबकी बार जैसी असाधारण स्थिति रही है उससे किसानों को मोहताज होना पड़ा कि अच्छा बीज उनके लिए बाहर से लाया जाये। लेकिन यह देखकर दुःख हुआ कि किसानों को उतनी सहायता नहीं दी जितनी कि उनको मिलनी चाहिये थी। बल्कि सरकार का यह कर्त्तव्य था कि यह किसानों को अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा बीज लाकर दे, जिससे किसान उस भूमि पर जो हजारों और सैंकड़ों बीघा बाढ़ के पानी से मुक्त होकर निकलती आ रही है, वहां खेती कर सकें। अगर इस स्थान पर सरकार हजारों मन बीज दे तो कई हजार मन किसान उत्पादन करता और इससे न केवल

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

किसानों को ही लाभ होता बल्कि सरकार को भी लाभ होता। लेकिन मुझे जहां तक सूचना मिली है और बतलाया है कि सरकार ने बीज उतनी मात्रा में नहीं दिया, जितना मिलना चाहिए था। कहीं-कहीं तो ब्लॉक्स जैसी जगहों पर भी बीज नहीं मिला है। को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी शिकायत रही है पंचायतों को भी शिकायत रही है कि उनको मूलभूत जितना बीज मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। आवश्यकतानुसार किसानों को बीज नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो इस पर लाया गया है यह बहुत ही आवश्यक है तथा इस संशोधन के साथ इस प्रस्ताव को यदि यहां स्वीकार किया जाता और उस पर सरकार अमल करती है तो इससे केवल किसानों का ही भला हो, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी राज्य सरकार को, और सबसे अधिक हमारे देश की जो राष्ट्रीय आवश्यकता है, जिसके लिए सबसे अधिक हमारे प्रधान मन्त्री और हमारे देश के बड़े-बड़े नेता सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि देश का खाद्यान्न बढ़ाया जाये, वह बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वह जब ही बढ़ाया जा सकता है जबकि राज्य सरकार का कृषि विभाग अपने उत्तरदायित्व को समझे और किसानों को बीज दे और उचित मुनाफा लेकर ही बीज दे, और साथ-साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार बीज दे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का और संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसको स्वीकार किया जायेगा और इस पर पूरी तरह अमल भी किया जायेगा।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय अध्यक्ष, जो सदन के सामने माननीय सज्जनसिंहजी ने संकल्प रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कृषि व्यवसाय राजस्थान के अन्दर ८०, ७५ प्रतिशत नागरिकों के जीवन-निर्वाह का एक साधन है और इस साधन पर छोटे-बड़े सभी तरह के धन्धे निर्भर रहते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वह अपनी खेती के काम के लिए अच्छा बीज जो है वह नहीं ले सकता है और इसी चीज को देख कर राज्य सरकार ने सरकार की तरफ से, कृषि महकमे की मार्फत से बीज किसानों को वितरण करने की प्रथा कायम की है। और उस बीज के ऊपर पहले-पहल एक मन के ऊपर १० सेर बाढ़ी सरकार ले रही थी। बाद में १० सेर बाढ़ी को घटाकर साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी की। पिछले सत्र में मैंने माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछा था तो उसके उत्तर में उन्होंने बताया था कि सरकार केवल ५ सेर फी मन बाढ़ी लेती है और ढाई सेर फी मन ग्राम पंचायत या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो कि इस बीज का वितरण करती हैं, हम उनको दे देते हैं। माननीय अध्यक्ष, जो सरकार इस बीज वितरण की समस्या का चाहे नो गेन नो लॉस पर चलाये या चाहे जिस तरह से चलाये, लेकिन राजस्थान के अन्दर कृषि की उन्नति के लिए सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि अच्छी से अच्छी क्वॉलिटी का बीज जो है वह कृषिकों को दे, ताकि खेती की उन्नति हो और यहां के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि सरकार ५ सेर फी मन से जो नो गेन नो लॉस पर बीज देती है उसका अन्दाजा बीज बंटने से पहले और एक साल नहीं हमेशा के लिए एक फिक्स्ड दर कैसे मान लेती है कि एक मन बीज के वितरण पर इतना खर्चा तो हो ही जायगा।

(श्री तेजाराम गहलौत)

आज गेहूं का रेट १७ से २६ रु० मन तक चला गया, किसी वर्ष १७, १८ या १६ तक पहुंचता है, तो इस मामले के अन्दर जो है बीज की जो रेट है यह कभी बहुत ज्यादा घटती है और कभी बहुत कम बढ़ती है। लेकिन सरकार सालों साल ५ सेर फी मन अपने खर्चे के हिसाब में ले ही लेती है। अगर सरकार नो गेन नो लॉस पर धन्धा चलाना चाहती हैं तो सरकार को चाहिए कि जिस साल भावों के अन्दर बढ़ोत्तरी कम हो, उस साल के अन्दर सरकार को कम बाढ़ी किसानों से लेनी चाहिए। यदि यह व्यवस्था नहीं हो तो यह कहना किस हद तक उचित है कि सरकार केवल नो गेन नो लास पर धन्धे को चलाती है ? हो सकता है कि आंकड़ों से सिद्ध किया जा सकता है कि सरकार को इतना खर्चा हुआ और सरकार कोई खर्चा ज्यादा किसानों से वसूल नहीं करती है। अगर ५ सेर फी मन खर्चा एक मन बीज को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से उस डिस्ट्रिक्ट में भेजने में लग जाय तो शायद मैं समझता हूं कि २०० मील दूर अगर बीज के धान को बांटे तो एक रुपये का धान वहां जाकर डेढ़ रुपये में पड़ेगा, लेकिन हम देखते हैं कि जोधपुर में पैदा हुई चीज जयपुर में जो २०० मील से अधिक दूर है, केवल ८ आने या १२ आने के डिफरेन्स से एवेलेबल हो सकती है, क्योंकि आजकल यातायात के साधन इतने उपलब्ध हैं कि एक आदमी अपने स्थान से दूसरी जगह चीज आसानी से भेज सकता है। जब हर तरह के यातायात के साधन उपलब्ध हैं तो इस तरह से खर्चा जरूरत से ज्यादा लगाकर काश्तकार की उन्नति बीज देने में, एक तरह से बोझ डालना सरकार के लिए, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। जो कुछ बीज वितरण में खर्चा होता है उस पर सरकार चौकसी रखे तो खर्चा कम हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार घाटा खाकर बीज न दे, और जरूरत के अलावा फिजूल का खर्चा, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सपोर्टेशन और उसमें कमी जो होती है, इस प्रकार के अन्नेसेसरी जो खर्चा होता है, उस खर्चे पर चौकसी रखी जाय, तो बीज की बाढ़ी में कम से कम ढाई सेर फी मन की कमी हो सकती है। तथा इसी प्रकार से पंचायतों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को खाली बीज के बांटने पर अढाई सेर का प्रोविज़न रखा है वह ढाई सेर न रखकर उनको इस मामले में कमीशन दिया जाय तो ठीक हो। हालांकि वह कमीशन सरकार के पास नहीं आता है, ग्राम पंचायत के पास रहता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रहता है, लेकिन जो किसान बीज लेता है उसके ऊपर तो वह बोझ है। सरकार के पास नहीं आने से काश्तकार को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए, जो ढाई सेर फी मन व्यवस्था है यह भी कम करने की जरूरत है। कोई भी एजेन्सी चाहे वह ग्राम पंचायत हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या इन्डिविजुअल आदमी भी क्यों न हो, वह कमीशन के ऊपर बीज डिस्ट्रिब्यूट कर सकता है। तो सरकार से निवेदन करूंगा कि उसके मार्फत ही बीज का वितरण कराया जाय, ताकि बीज लेने वाले काश्तकारों को कम बाढ़ी देनी पड़े।

अलावा इसके, जो बीज खरीदने के वक्त और डिस्ट्रिब्यूट करने के वक्त जो स्टोरिंग फैसिलिटी है वह अगर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर न होकर हर तहसील हैड क्वार्टर पर सीड

(श्री तेजाराम गहलोत)

स्टोर बना दिये जायं, तो बीज को एक जगह से दूसरी जगह उठाने का खर्चा कम लगेगा और इस तरह से सरकार को भी यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमको बीज डिस्ट्रि-ब्यूट करने में ज्यादा खर्चा लगता है।

अत: मैं उन शब्दों के साथ यह निवेदन करूंगा कि जो संकल्प सदन में पेश किया गया है वह स्वीकार किया जाय तो ज्यादे से ज्यादा काश्तकारों और गरीबों का हित होगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष, यह संल्कप आया है उसका और इसके साथ साथ जो संशोधन किया गया है, उनका, मैं समर्थन करता हूँ।

राजस्थान सरकार में कृषकों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग और कृषि विभाग दो विभाग हैं। राजस्व विभाग राजस्व वसूली के बारे में अपना कार्य करता है और कृषि विभाग इसलिए खोला गया है कि जिससे कृषकों की उन्नति हो, कृषि के साधनों में और कृषि की किस प्रकार से उन्नति की जा सकती है, उसके साधन जुटाने और उससे काश्तकारों को जितना भी फायदा पहुंचाया जा सकता है उसके बारे में विचार विनिमय करने के लिए खोला गया है। कृषि विभाग यह सोचे कि हमें नफा या नुकसान देखना है तो मैं यह मानूंगा कि कृषि विभाग का यह देखना उचित नहीं है, क्योंकि राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषिप्रधान प्रदेश राज-स्थान ही नहीं बल्कि हमारा सारा देश कृषि प्रधान है। किन्तु राजस्थान के कृषकों की जो दयनीय हालत थी उसको सुधारने के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग का एक अलग से विभाग खोला है।

अब हम यह सोचते हैं कि कृषकों को, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए यह कृषि विभाग खोला गया है वह तो आवश्यक है। उसके साथ साथ सरकार तकाबी बैलों के लिए, कुएं के लिए तकावी, इसी प्रकार से बीज वितरण की व्यवस्था कृषि विभाग ने अपने हाथ में ले रखी है। कृषि विभाग जो बीज वितरण करता है वह यह सोचकर कि यहां पर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अनाज की वृद्धि हो और इसलिए हम अच्छे से अच्छा बीज का अनाज कृषकों को समय पर उचित मूल्य में दे सकें, इसके लिए यह कृष विभाग है। किन्तु देखा यह जाता है कि कृषि विभाग दो प्रकार के बीज देता है, न० १ और न० २। नं० १ का बीज उन इलाकों में देता है जिनमें ज्यादातर गेंहू पैदा होता है। नं० २ का बीज आम काश्तकारों में वितरित किया जाता है। अब साढ़े सात सेर की बाढ़ी नं० १ के व्हीट पर ली जाती है और नं० २ का जो बीज दिया जाता है उसमें भी साढ़े सात सेर की बाढ़ी ली जाती है। कृषि विभाग का यह कर्तव्य है कि हमारे प्रदेश में चाहे कोई भी इलाका हो उसमें अच्छे से अच्छा अन्न पैदा हो, यह उसकी दृष्टि होनी चाहिए। वह खुद इस बात को सोचता है कि इस इलाके में नं० १ देना चाहिये और इस इलाके में नं० २ का देना चाहिये। यह भी व्यवस्था गलत है, चाहे हम बीज कितना ही दें, जितना विभाग के पास बजट है उतना ही बीज दें, लेकिन बीज ऐसा वितरित होना चाहिये जिससे सब जगह अच्छे से अच्छा बीज दिया जा सके और अच्छे से अच्छा उत्पादन हो और वह अच्छी तरह काम आ सके। अभी जो बीज वितरित किया जाता है वह इस तरह से वितरित किया जाता है कि कहीं तो एक काश्तकार को नं० १ का

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

बीज दे देते है और दूसरे नम्बर का दे देते हैं और तीसरे काश्तकार को तीन नंम्बर का दे देते हैं। इससे क्या होता है कि बीज जिस लक्ष्य से हम देते हैं कि अगले साल अच्छा उत्पादन होगा और जो बाढ़ी में मिलेगा वह दूसरे किसानों को अगले साल बीज के लिए अच्छी तरह से दे सकेंगे, लेकिन यह मकसद पूरा नहीं होता और नतीजा यह होता है कि हर साल बाजार से बीज खरीद कर देना पड़ता है।

(१. २० म. प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी बात यह है कि जितने भी साधन हैं जैसे बी. डी. ओज़, रेवेन्यु ऑफिसर्स आदि सब की ओर से काश्तकारों में ऐलान किया जाता है कि एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से अच्छा बीज दिया जायगा, लेकिन देखा क्या जाता है कि ऐन वक्त पर बीज इतना खराब आता है कि न तो वह बोने के काम में आता है और न दूसरे काम आता है बल्कि पचास प्रतिशत बीज गोदाम में पड़ा सड़ जाता है और उसकी वजह से विभाग को लॉस उठाना पड़ता है और यह लॉस कृषि विभाग की गलती से होता है। जिसे बीज चाहिये था उसने नहीं लिया और कम पैसों पर बाजार में बेचना पड़ता है, वह लॉस भी काश्सकारों पर लाद कर बताते हैं कि प्रोफिट और लॉस बराबर है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि गत बोवनी के वक्त किशनगढ़ सब-डिविज़न के दो एक गावों में मैं गया था, वहां पर मैंने देखा कि अनाज गोदाम में भरा पड़ा था, मैंने वहां पर पूछा कि यह अनाज क्यों नहीं वितरित किया गया तो, उन्होंने कहा कि यह इतना निक्कमा है कि कोई इसे लेता ही नहीं है। अब जो कृषि विभाग की उपज बढ़ाने और उसके लिये साधन जुटाने का काम करता है उस विभाग की ओर से ऐसा बीज वितरीत किया जाय जिससे किसानों को नुकसान हो और किसान उस बीज को बोने को तैयार नहीं हों और इस कारण से घाटा हो उसको नो प्रोफिट नो लोस कहा जाए तो यह उचित नहीं है। इससे मालूम होता है कि नो प्रोफिट नो लोस का अन्दाज गलत लगाया जाता है।

दूसरी बात यह है कि आज हम देखते हैं कि महाजन ५ सेर या ७ सेर बाढ़ी लेते हैं तो उनके लिये कहा जाता है कि वे ब्याज और बाढ़ी ज्यादा लेते हैं और कोर्ट भी ऐसी बाढ़ी और ब्याज में कमी करता है। हम कहते है कि हमारे देश में बोहरे लोग कम बाढ़ी और कम ब्याज लें। हम दूसरों को इस तरह की शिक्षा देते हैं। हम गांवों में जाकर लेक्चर देते हैं कि बोहरों से बेचिये, उनके ब्याज और बाढ़ी से छुटकारा पाइये और सरकार से बीज और कर्जा लीजिये। लेकिन जब स्वयं सरकार इस प्रकार से ज्यादा बाढ़ी लेती है जो बोहरों से भी ज्यादा है तो इस तरह से करना कहां तक उचित है। आज कानून की दृष्टि से देखें तो भी अदालत ५ सेर से ज्यादा बाढ़ी नहीं दिलाती, वहां सात सेर या साढ़े सात सेर बाढ़ी सरकार लेती है तो यह अच्छी बात नहीं है। हम जब नागरिकों के सामने लेक्चर देते हैं और यह कहते हैं कि बोहरे ज्यादा बाढी लेते हैं, तो सरकार को भी इतनी अधिक बाढ़ी लेना उचित नहीं लगता है। हमें यह सोचना है कि जो बाढ़ी हम लेते है वह ज्यादा हैं या नहीं ?

मैं बताना चाहता हूं कि पुरानी रियासतें थीं, किशनगढ़ जैसी छोटी रियासतें थीं, वहां

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

भी ५ सेर बाढ़ी पर अनाज दिया जाता था, वह भी १२ महीने तक अनाज वापिस नहीं देते थे पर तब भी ५ सेर बाढ़ी ली जाती थी। अजमेर राज्य में २।। सेर बाढ़ी पर बीज देते थे। आज हम अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहां के काश्तकार कहते हैं कि यह क्या राज्य है जो साढ़े सात सेर बाढ़ी हमसे वसूल करता है जबकि कानून में ५ सेर से ज्यादा नहीं ली जानी चाहिये। आज कृषि विभाग यह सोचता है कि नो लोस नो प्रोफिट बेसिस पर वे बीज देते हैं लेकिन कृषि विभाग इसलिये नहीं है कि इसमें प्रोफिट किया जाय। आज खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिये लाखों करोड़ों रुपये भारत सरकार और राज्य सरकार खर्च करती है तो क्या वजह है कि सरकार एक वणिक की दृष्टि से इस मसले को सोचती है और यह देखती है कि प्रोफिट है या नहीं और लोस तो नहीं है। जब प्रदेश में खाद्यान्न बढ़ाना है और अच्छा उत्पादन बढ़ाना है तो कृषि विभाग को सरकार से मांग करनी चाहिये कि वह इसके लिये सबसिड़ी की रकम निर्धारित करें जिससे घाटा भी हो तो उसे पूरा किया जा सके। आप यह कहें कि नो प्रोफिट नो लोस, यह उचित नहीं है। आज आप देखेंगे कि एक महाजन कहीं पर बीज खरीदने या माल खरीदने जाता है तो वह इस तरह से जाता है कि आठ आना रोज की पूरी खायगा और थर्ड क्लास में बैठकर जायगा, लेकिन आपके यहां का एक बड़ा अफसर पंजाब से बीज खरीदने जाता है, तो वह हजारों रुपये सफर में खर्च करता है और उस खर्च को मिला कर आप प्रोफिट और लोस की बात सोचते हैं, तो यह उचित नहीं है। यह कैसे हो सकता है? कि इन सब बातों को विचारना है, वह ऑफिसर फर्ट क्लास में बैठ कर जाता है और उसको जो टी० ए० और डी० ए० मिलता है, उसके सब खर्चे को भी उसके साथ मिलायेंगे और फिर नो प्रोफिट नो लोस की बात कहेंगे तो यह टीक नहीं है। जबकि एक महाजन अपने खर्चे से कुछ ही ज्यादा प्रोफिट लेता है तो सरकार की अदालतें उसको ज्यादा बाढ़ी नहीं लेने के लिये मजबूर करती हैं और उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। आज वही सरकार ढाई सेर के बजाय साढ़े सात सेर बाढ़ी देने के लिए काश्तकारों को बाध्य करती है तो यह उपयुक्त बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि स्वतन्त्रता आने के बाद और यहां पर प्रजातन्त्र के आधार पर सरकार बनने के बाद लोगों के दिमाग में किस प्रकार से यह बात थी कि अपनी सरकार होने पर उनको सुख और शान्ति मिलेगी। मैं अवश्य कहूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद कृषि में काफी उन्नति हुई है, लेकिन हमें यह भी सोचना है और यह भी देखना है कि दूसरों के सामने उदाहरण पेश करने वाला जो प्रस्ताव है, उस पर गौर करना है। जहां पर दूसरे लोगों को यह कहें कि गैर-वाजिब बाढ़ी न लें वहां सरकार यदि ज्यादा बाढ़ी लेती है तो लोगों के सामने यह अच्छा उदाहरण पेश नहीं होता। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अच्छे से अच्छा बीज लाने में और समय पर लोगों को देने में जितना कम खर्चा लगे ऐसा साधन जुटाना चाहिये और बीज यदि पंजाब से यहां मंगाते हैं तो एक जगह डिविज़न में इकट्ठा करने के बजाय जिस जिस जिले में जितनी आवश्यकता हो, उतना सीधा उसी जगह भेजा जावे तो कम खर्चा होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि सरकार को कुछ लोस भुगतना भी पड़े तो वह लोस भी भुगते। अच्छा और अधिक अन्न उपजाने का जो लक्ष्य है वह तभी पूरा हो सकता है जबकि

Page No.45

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

सस्ते भाव में व बाढ़ी में अच्छे से अच्छा बीज कृषकों को दिया जायगा और तभी उपज बढ़ सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव अच्छा है और उपयुक्त है, इसलिये यह पास होना चाहिये।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय सदस्य ने रखा है और उस पर जो दो संशोधन अन्य माननीय सदस्यों के आये हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। संकल्प जो माननीय सदस्य ने रखा है वह वास्तव में ऐसा संकल्प है जो इस सदन में अवश्य पारित होना चाहिये। जब हम यह देखते हैं कि हमारा जो राजस्थान प्रदेश है उसमें कृषक समाज के लिये मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और स्वतन्त्रता के बाद कितना कदम उठाया है तो हम यह मानते हैं कि वास्तव में कृषकों को कई प्रकार की फेसिलिटीज़ देने की सरकार ने कोशिश की है और उसके लिये हर प्रकार के औजार, बीज, सकावी, कूओं के लिये तकावी और अन्य प्रकार की जितनी फेसिलिटीज़ सरकार देती है और कोशिश करती है, वह सब उनको मिलनी भी चाहिए क्योंकि यह गरीब वर्ग है, जो हमारे प्रदेश में रहता है और जिसका अधिकार है, उसको मिलना भी चाहिए। लेकिन जो बातें सदन के अन्दर उनको फेसेलिटीज़ देने की करते हैं, वे बातें, वे सहूलियतें उन तक पहुँचती भी हैं या नहीं, इसके बारे में अवश्य सोचना होगा। माननीय उपाध्यक्ष, यह बात अवश्य है कि एक कोई चीज होती है, कोई कानून-कायदा होता है, वह लागू हो जाता है, लागू होने पर स्ट्रिक्ट वे में उसे लागू करने के लिए जाते हैं, लेकिन जहां सहूलियतें देने की बात आती है, वहां पर कई ऐसी चीजें हैं, जिनको हम कहते हैं, अच्छे रूप से, सुस्ती से, या कड़े कदम से शीघ्रता से किसी प्रकार फेसेलिटी काश्तकारों को देते हैं। यह कह कर सब प्रकार की खाना पूरी की जा सकती है। हमारे यहां पर अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन चालू किया गया और यह भी माना गया कि काश्तकारों को अधिक से अधिक भूमि को तोड़ कर आबाद करने का मौका मिलेगा। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अधिक भूमि तोड़ कर अधिक अन्न उपजाओ की योजना को सफल बनाने की कोशिश न की हो, काश्तकारों ने इसमें सरकार को सहयोग दिया है। अब एक बात रह जाती है जिस तरह एक 'पोची' खेल होता है, उसमें शुरू में एक बात कोई आदमी दूसरे से कहता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से कहता जाता है। अन्त में वह किस रूप से सही या गलत पहुँचती है, यह देखा जाता है। आज काश्तकारों को अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं की बात कही, उनको वास्तव में अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न पैदा करके, यह बात कह कर इस योजना को पूर्ण रूप से सफल करने की बात कही, उनमें उत्तेजना पैदा की, ऐसी बात वे मानते भी हैं, मगर उनको समय पर तकावी, समय पर बीज, समय पर अन्य प्रकार की सहूलियतें मिलती भी हैं या नहीं। उनको जमीन मिले, जमीन अधिक पैदावार करने के लिए उन्हें आज भी दी गई है मगर मौजूदा टाइम में काश्तकारों से हम पूछते हैं कि मौजूदा सरकार ने सब प्रकार की फेसेलिटीज़ दी हैं तो वे मानते हैं कि फेसेलिटीज़ तो दी है मगर एक चीज है जो साढ़े सात सेर बाढ़ी की है, वह उनको बहुत अखरती है और वे इस बात को पूर्ण रूप से मानते हैं कि सरकार ने हमें और फेसेलिटीज़ दी हैं और आगे देने की कोशिश

Page No.46

(श्री रामकरणसिंह)

कर रही है, यहां तक कि हल अच्छे ढंग के, बैल खरीदने के लिए तकावी, अच्छी किस्म के बीज, ये सब सहूलियतें देते हुए उनको यह नई चीज अखरने वाली लगती है, वह है साढ़े सात फी मन बाढ़ी। उसके मुकाबले में साहूकार, जिसको शोषण करने वाला फिरका कहते हैं, वह पांच सेर फी मन बाढ़ी लेता है। गवर्नमेन्ट काश्तकारों को हर प्रकार की सहूलियत देती है, उनको उत्साहित करती है अधिक अन्न उपजाने के लिए, उनसे साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी लेती है। इस चीज के सब माननीय सदस्य सोचते हैं तो वास्तव में ऐसी चीज लगती है कि जब गवर्नमेन्ट उन काश्तकारों को इन सारी सहूलियतों को देती हैं, उसके सामने यह बहुत अजीब सी चीज आती है। इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी ली जाती है, उसके बजाय जो माननीय सदस्य श्री सज्जनसिंह ने अपने संकल्प में ढ़ाई सेर फी मन बाढ़ी लेने की बात कही है, उसे स्वीकार करें। यह संकल्प आया है, यह कोई नया भी नहीं है, क्योंकि जो अजमेर राज्य है, उसमें पहले से ढाई सेर फी मन बाढ़ी लेने का रिवाज है। जब हमारे इस राजस्थान में एक हिस्सा अजमेर का मिला है और जब वहां ढाई सेर फी मन बाढ़ी लेने की बात थी तो वहां के काश्तकार आज राजस्थान में मिल कर क्या महसूस करते होंगे, वे क्या सोच रहे होंगे कि राजस्थान सरकार काश्तकारों को काफी सहूलियतें आज दे रही है, सहूलियतें देने पर भी साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी लेने की बात है, वह वास्तव में अखरती है। वे अनुभव करते होंगे कि अन्य प्रकार के उत्पादन करने वाले किसी प्रकार के फिरके हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेन्ट सहूलियतें देती है और कई बातों को दृष्टिकोण में रख कर, उत्पादन की दृष्टि से, हमारे प्रदेश के अन्दर अधिक से अधिक कई चीजें पैदा हों, इस दृष्टि से हमारे राज्य की सरकार लोगों को बिना इन्ट्रेस्ट के रुपया दे देती है, जो कई साल तक चलता रहता है और इधर काश्तकार, जो उत्पादन करने वाले हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, यह सोच कर कुछ सहूलियतें देनी चाहिए। जब हम एक फैक्ट्री को, जो किसी भी प्रकार का उत्पादन करने वाली है, उसको हजारों-लाखों रुपया बिना इन्ट्रेस्ट के दे सकते हैं, तो काश्तकारों को भी, जितना बीज वे लें, उतना देना चाहिए। अगर गवर्नमेन्ट इतना नहीं करना चाहती तो कम से कम यह तो अवश्य ही होगा कि जो संकल्प आया है, उसके अनुसार साढ़े सात फी मन बाढ़ी के बजाय केवल ढाई सेर फी मन बाढ़ी ली जानी चाहिए। यह बहुत अच्छा संकल्प है, इसको मानना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भी काश्तकार को, जिसको भूमि में कोई चीज पैदा करनी है, बीज लेना है, उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। फिर भी उसे साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी देनी पड़ेगी, तो इससे उसके ऊपर और ज्यादा मुसीबत आ जायगी। तो ऐसी मुश्किल के आने पर वह किसी न किसी कीमत पर बीज खरीद कर खेती करेगा। जब आप अधिक अन्न उपजाओ की बात कह कर काश्तकार को सहूलियतें देने की बात कहते हैं, आपको खाद्य समस्या के हल करना है, तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ढाई सेर फी मन बाढ़ी लेने का जो प्रस्ताव आया है, उसको अवश्य ही विचार करके पास करेंगे। इससे गवर्नमेन्ट का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। इस पर कुछ माननीय सदस्यों ने विचार प्रगट किये हैं,

(श्री रामकरणसिंह)

यह चीज एक बात बतलाती है, कि वास्तव में ऐसी चीज आने से किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा । जो सदस्य अभी तक बोले हैं, उनके विचारों से मालूम पड़ता है, कि हाउस के सदस्यों की राय है कि यह संकल्प अवश्य ही पास हो जाना चाहिए । मैं माननीय मन्त्रीजी से फिर नम्र निवेदन करूंगा कि यह संकल्प जरूर पास करवायें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह । लेकिन भाषण में १५ मिनट से ज्यादा न लें । मैं निवेदन करूं कि अन्य संकल्प भी हैं ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय श्री सज्जनसिंह द्वारा एक संकल्प सदन के सामने पेश किया गया है । कृषि विभाग किसानों को जो बीज देता है, उसके ऊपर बाढ़ी साढ़े सात सेर मन के ऊपर है, उसके बजाय उसको कम करके ढाई सेर फी मन बाढ़ी ली जानी चाहिये । वास्तव में, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प है, वह किसानों के लिए बहुत लाभदायक है । किसानों के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, कोई चीज लाभदायक हो, वह देश के लिए लाभदायक है ही, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकतीं । इस समय जब कि देश के अन्दर खाद्य समस्या ने बहुत विकट रूप धारण किया हुआ है, अनाज का देश के अन्दर बहुत संकट है, टूट है, कमी है, उस वक्त सरकार का, उस सरकार का, जो समाजवादी कहलाने का दावा करती है, कल्याणकारी कहलाने का दावा करती है, किसानों के प्रति हितकारी कहलाने का दावा करती है, उसका सबसे पहला फर्ज हो जाता है कि देश में किसानों के स्टेन्डर्ड को ज्यादा ऊंचा करे, देश में अन्न की जो समस्या है, खाद्य की जो समस्या है, उसको ठीक ढंग से हल करे । ज्यादा से ज्यादा देश में अनाज पैदा हो, ऐसे उपाय काम में लाये । ऐसी हालत में यह निहायत जरूरी चीज़ हो जाती है कि किसानों को सब तरह की सहूलियतें बख्शी जायं, खुशी की बात यह है कि कृषि विभाग के जो जिम्मेदार मिनिस्टर महोदय हैं, वे किसानों के नजदीक बैठने वाले हैं । हो सकता है वे अपने हाथ से खेती न करते हों लेकिन खेती करने वालों के दुख-दर्द को जानते जरूर हैं ।

जिस वख्त किसान दूसरों से बीज लेकर खेत में डालने की कोशिश करता है, जिस वख्त कि उसके पास पैसे की कमी होती है और उस वख्त का टाइम किसान के लिये एक टूट का समय होता है, सावणू की फसल हो या हाडी की, उस वख्त किसान टूट में होता है । जिस वख्त हाडी की फसल बोई जाती है उस वख्त तक सावणू फसल की कटाई पूरी नहीं होती है, जिससे कि वह हाडी में बीज बोये । जिस वख्त वह इसके लिये दिक्कत महसूस करता है उस वख्त गवर्नमेंट की तरफ से साधन मुहैया किये जायं यह जरूरी हो जाता है । तो उस वख्त साढ़े सात सेर की बाढ़ी के हिसाब से किसान को लाचार हो कर बीज लेना पड़ता है । पर एक तरफ हमारा दावा है कि हमारा समाजवादी राज्य है, कल्याणकारी राज्य है, हम किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि आज तक की जो सरकारें थीं, उनमें महाजन बड़ा सूद लिया करते थे, पर एक मन पर साढ़े सात सेर बाढ़ी लेना यानि १६ रु० पर ३ रुपया ६ महीने में ब्याज लेना, १०० रुपयों पर ६ महीने में १८॥ रुपया ब्याज लेना, महाजन जो ब्याज लेता है वह १०० रुपया पर १ रु० ६ आ० महीने का पड़ता

(श्री मोहरसिंह)

पर हमारी सरकार ३ रु० २ आ० ब्याज ले, साहूकार से डबल ब्याज ले और फिर कहलाना चाहे कि हमारी सरकार तो समाजवादी सरकार है, कल्याणकारी सरकार है, देश में अनाज की कमी है उसको दूर करने वाली सरकार है ये दोनों उल्टी और एक दूसरी से विपरित सी चीजें हैं ! तो इस चीज़ और इस नारे को सार्थक करने में लिये और किसानों के स्टेन्डर्ड को बढ़ाने के लिये, देश के खाद्य संकट को मिटाने के लिये, जिस खाद्य संकट को ६ सात साल पहले से सुनते आ रहे हैं। आज से ७ सात वर्ष पहले भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े आदमी अमेरिका से अनाज खरीद कर लाये फिर हमारी सरकार ने कहा कि हम अधिक अनाज पैदा करेंगे और थोड़े ही दिनों में हम सरप्लस अनाज पैदा कर लेंगे ! पर अब भी हिंदुस्तान में खाद्य की वही समस्या बनी हुई है, आज भी हमारा देश दूसरों का मोहताज बना हुआ है। २६ लाख टन अनाज दूसरे देशों से लाना पड़ता है, आस्ट्रेलिया से आया हुआ सड़ा गला गेहूँ हमारी सस्ती अनाज की दूकानों पर बिक रहा है। इससे हमें सही मानना चाहिये कि देश में अनाज का तोड़ा है; इस अनाज की कमी को किसानों को सहूलियत दे कर मिटायें। तो ब्याज देखा जाय तो वह भी बहुत ज्यादा है जो सरकार अपने आप को समाजवादी सरकार, कल्याणकारी सरकार कहलाने का दावा करती है वह किसान को उसकी मजबूरी के समय, जब वह खेत बोता है और टूट में होता है, उस समय उसकी मजबूरी से फायदा उठाये, यह उचित नहीं।

यही कह कर मैं जो यह प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में जो नो प्रोफिट नो लोस की बात कही जाती है वह दिखावा मात्र है, इसलिये ढाई सेर बाढी लेने का संकल्प जो साथी श्री सज्जनसिंहजी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। अब तक बोलने वाले सभी साथी इसके पक्ष में हैं मन्त्री महोदय को इसमें एतराज नहीं होना चाहिए, मंत्री महोदय भी उसी वर्ग के हैं, उस वर्ग के नहीं होते तो किसानों की कठिनाई को नहीं जानते क्योंकि 'जाके न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई'। किसान के संकट को वे अच्छी तरह जानते हैं। जिस समय किसान संकट में होता है उस वख्त बीज लेता है, उसकी मजबूरी से फायदा सरकार उठाये, ढाई सेर की बजाय साढ़े सात सेर बाढ़ी ले, यह उचित नहीं है। इसलिये ढ़ाई सेर बाढ़ी का संकल्प माननीय सज्जनसिंह की तरफ से रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : माननीय श्री सज्जनसिंहजी ने जो संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन गांवों में करते हैं तो किसान कहते हैं कि साढ़े सात सेर की बाढ़ी लेते हैं और फिर अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन करते हैं, उनको हम कहते हैं कि इसके लिये हम सरकार को कहेंगे। आज जो इसके बारे में संकल्प आया है उस पर माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। मैं ज्यादा न कह कर यही कहूँगा कि सरकार यदि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को सफल करना चाहती है, किसानों को फायदा पहुँचाना चाहती है तो साढ़े सात सेर की बजाय ढाई सेर बाढ़ी करें, साढ़े सात सेर की बाढ़ी बहुत ज्यादा है, इतना तो बोहरे लोग भी ब्याज नहीं लेते।

मैं मन्त्री महोदय से कहूँगा कि यह साढ़े सात सेर की बाढी बहुत ज्यादा है, इसके स्थान पर ढाई सेर की बाढी का माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रस्ताव पर बहुत से ऐसे माननीय सदस्यों ने थोड़े से में मार्मिक अपील कर दी और मन्त्री महोदय की आत्मा तक पहुँचाने की कोशिश की और यह बताया कि आपकी आत्मा किसान की आत्मा है और इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है; वह बात लोग कहते थे :

'A farmer dies in debt and lives in debt'.

यह जो सवाल था कि किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में ही जिंदा रहता है और कर्जे में ही मर जाता है, उस स्थिति को आप सुधारना चाहते हैं, यह पैगाम है, संदेश है, कांग्रेस का कि हम दुनियों से गरीबों की गरीबी को मिटाना चाहते हैं। दूसरी ओर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की खाद्य समस्या है उसको खत्म करना चाहते हैं । इन दो बातों को ध्यान में रख कर आपने रबी अभियान या दूसरे अभियान शुरू किये और आप यह चाहते हैं कि हमारा कृषि विभाग इस मामले में उन्नति करे, तरक्की करे, इसके लिये एक वजनी संकल्प आपके सामने है इसमें कुछ इधर उधर के संशोधन इस प्रस्ताव की शोभा बढ़ाने के लिये हो हैं। मेरा ऐसा सुझाव है कि प्रस्तावक या संकल्पकर्त्ता है, वे और मंत्री महोदय आपस में बैठकर बात कर लें. इसमें ऐसी कोई फर्क की बात नहीं हैं, एक तरफ साढ़े सात सेर हैं दूसरी तरफ ढ़ाई सेर है, आप खुद कहते हैं कि नो प्रोफिट नो लोस के बेसिस पर देना चाहते हैं, आपका भी ऐसा ही संकल्प, ऐसा ही प्रस्ताव है कि नो प्रोफिट नो लोस पर दिया जाय। अजमेर राज्य में ऐसी पद्धति थी। या तो अजमेर का राज्य करने वाले लोगों में इस बात की खासियत होगी और वह खासियत हमारे यहां नहीं है तो वह प्राप्त करने की कोशिश की जाय। किस प्रकार अजमेर राज्य इस खासियत को अमल में ला सका और मैं समझता हूं कि जो आपने किसानों के लिये रिलीफ इन्डेटेडनैस एक्ट Relief Indebtedness Act पास किया और Relief Indebtedness Act के अनुसार अगर एक काश्तकार के खिलाफ एक व्यापारी या महाजन अदालत में दावा लाता है तो मेरे को याद है कि हमारे यहां मारवाड़ रिलीफ इंडेटेडनैस एक्ट के नीचे उसको इस आधार पर ब्याज नहीं दिलाया जाता और जो व्याज वह लगाता था उसमें कटौती होती। लेकिन प्रस्तावक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें साफ हिसाब रखा है और वह बिल्कुल सीधा सा हिसाब है कोई ज्यादा पेचीदगियें नहीं हैं। मान लें कि अगर आप अदालत में दावा दायर करते हैं कोई व्यक्ति आपको अनाज वापिस नहीं देता और आपको दावा दायर करना पड़ता है। गेहूँ नहीं लौटाने पर पी० डी० आर० एक्ट के अनुसार दावा करते हैं और ७॥ सेर नाज ज्यादा डिमान्ड करते हैं, तो आपके द्वारा बनाये हुए एक्ट के द्वारा आपत्ति उठाई जा सकती है कि आप ७॥ सेर नाज Relief Indebtedness Act के अनुसार नहीं ले सकते। अदालत आपको ३७॥ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट की डिक्री कोर्ट नहीं देती। ऐसी हालत में क्या होगा ? आप कानून बनाते है। पिछले अधिवेशन में ही राजस्व मंत्री महोदय ने रिलीफ इन्डेटेडनेश एक्ट किसानों के हित के लिये रखा। अब आप यह चाहते हैं कि आप किसानों को एक मन धान दें और ६ महीने बाद उनसे ७॥ सेर नाज ज्यादा लें ? इसका मतलब यह हुआ कि आप उस एक मन अनाज पर ३ रुपये के हिसाब से ३७॥

(श्री मूलचन्द डागा)

पर्सेन्ट ब्याज लेना चाहते हैं। यह तो फलावट सीधी है इसमें ज्यादा पेचीदगी नहीं है। तो क्या इससे हम यह समझें कि एक तरफ तो हमारी क्रान्तिकारी सरकार जो अपने आपको प्रगतिशील बताती है और जो प्रगतिशील कानून बनाती है, जिसके आधार पर हम व्यापारियों को, जो लोग ब्याज पर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं उनको साइलोक उस जमाने की भाषा में कहें या यह कहें कि मुनाफा लेना चाहते हैं। जब हमने उनके हित के लिये कानून पास कर दिया तो फिर आप इतना क्यों लेते हैं ? आप एक तरफ तो ब्याज-खोरों का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ इतना, ३७॥ पर्सेन्ट उनसे, ब्याज लेते हैं। आप आंकड़े बतावेंगे कि इस प्रकार का खर्चा होता है। आप यह कहेंगे कि इम्पोर्ट का खर्चा होता है। दूसरी जगह से हमको मंगाना पड़ता है, कुछ छीजत हो जाती है, कुछ माल खराब हो जाता है, अगर ये सारी बातें भी मान लें, मगर एक काश्तकार को आपने यह ७॥ पर्सेन्ट का आंक लगाया। इसके अलावा एक दूसरा जो खर्चा है, जो भ्रष्टाचार की आड़ में है वह इसके अलावा है। वैसे काश्तकार को कौनसा बीज आसानी से मिल जाता है ? उसको अपनी जमीन छोड़ कर, तहसील के मकानों की सीढ़ियों पर कमर पर हाथ रख कर ५ बार ऊपर नीचे उतरना और चढ़ना पड़ता है और दर्ख्वास्त आदि लिखाने के लिये ८ आना लिखाई और दो दो आने और तीन तीन आने इधर उधर का खर्चा हो जाता है तब कहीं बड़ी मुश्किल से उसको अनाज मिलता है। इसलिये आप यह न समझें कि किसान को आसानी से अनाज मिल जाता है। वह गाड़ी और बैलों को लेकर तहसील में जाता है जब ऑर्डर हो जाता है कि इतना मन बीज मिलेगा तब अहलमद उनको कहते हैं कि आज शनिवार है, ११ बजे का दफ्तर है आज कुछ नहीं हो सकता। वह बेचारा शनिवार, अदितवार ठहरता है और सोमवार को अदालत में जाता है। इस तरह से वह अपने बैलों को ६ रुपये का घास खिला देता है, यह भी तो उसका खर्चा होता है। इसलिये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वही प्रस्तावक महोदय का भी ऑब्जेक्ट है। संकल्पकर्ता भी यही चाहते हैं कि काश्तकारों को नो लॉस और नो प्रोफिट पर नाज दिया जाए और हमारे शासन की तरफ से भी यही कहा जाता है कि नो लोस और नो प्रोफिट बेसिस पर उनको बीज दिया जावे। उनका भी प्रस्ताव यही है और वे यह नहीं चाहते कि सरकार घाटा खा कर दे। संकल्प बहुत ही सीधा और वजनदार है। प्रस्तावकर्ता ने भी नो प्रोफिट और नो लोस की जो भावना रखी है उसी पर अपनी इमारत खड़ी की है और उन्होंने इस संकल्प में काफी वजन दिया है। उन्होंने मिसालें दी हैं कि अजमेर राज्य में इस प्रकार की पद्धति थी। आपने ऑब्जेक्ट रखा और एग्ज़ाम्पल सेट की और जो करना था किया। आपने एलान किया है कि कांग्रेस का यह एलान है कि हमें अपनी खाद्य स्थिति को, खाद्य समस्या को दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले पहले ठीक करनी चाहिये। हमें इस समस्या को मिटानी चाहिये और काश्तकारों को जिनके अरमान मिट्टी में छुपे हैं, उनको नये करने हैं। हम नई स्कूलें, नई पाटशालाएं, नई सड़कें, भवन उनके लिये बनाना चाहते हैं। उसके साथ साथ पुराने और जर्जर, थके मांदे किसान को नई रोशनी पहुंचाना चाहते हैं, तब उसके लिये हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि हम उस कानून की मंशा के खिलाफ उनसे ७॥ सेर की बाढ़ी कानूनन

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं ले सकते । अगर उस पर दावा करते हैं और अगर उसका वकील जिरह करता है तो Public Demands Recovery Act. के खिलाफ है । उस समय मालूम होगा कि डिक्री किस तरह से दी जा सकती है और दावा करने का खर्चा किस पर पड़ेगा । क्योंकि काश्तकार तो तभी लेता है तब वह बहुत थका हुआ होता है, जैसा कि उसको गरीब कहा जाता है, उसको अनाज नहीं मिलता तभी वह लेता हैं । मगर इसके साथ साथ सब से बड़ी मुसीबत की बात यह है कि उसको आसानी से वह भी नहीं मिलता है । वह तो बड़ी आशा लगा कर आता है और कृषि विभाग के अधिकारियों का दरवाजा खटखटाता है और उनसे कहता है कि उसको बीज मिलना चाहिये । संकल्पकर्ता ने जो संकल्प पेश किया है उनके दिमाग में सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोई बात नहीं हैं । यह तो ऐसी बात है जिस पर हमारे माननीय मंत्री महोदय और प्रस्तावक और कृषि विभाग के अधिकारी बैठ कर इस पर विचार कर लें तो मैं समझता हूँ कि आज जो ७॥ सेर ले रहे हैं उसके अन्दर कुछ रद्दोबदल और संशोधन और परिवर्तन किसी प्रकार के तोड़ – मोड़ हल्के ज्यादा हो सकते हैं, उनसे यह हो सकता है कि सहूलियतें हमें मिल सकती हैं । इसलिये मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है, हमारा यह उद्देश्य है और कांग्रेस यही चाहती है कि किसानों को राहत मिलनी चाहिये । हमने किसानों के लिये १२००) की आमदनी पर छोड़ा है । इन सब बातों को सोचते हुए यह उपयोगी संकल्प है और सारे बोलने वालों ने बता दिया है कि चाहे वह किसी पार्टी विशेष का हो या नहीं उनके दिमाग में भी जो बातें आई , मैं समझता हूँ कि संकल्प कर्त्ता और आप आपस में मिलकर इस पर विचार कर सकते हैं । यही मेरी प्रार्थना है ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह वाकई बडा सीधा है और जिन भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उसको मेरे ख्याल से सदन बहुत आसानी से समझ सकता है । हमारे यहां धान की समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव रखा है और उनका इस तरह का संकल्प को रखना मेरे ख्याल से बहुत ही मौजू हैं और मेरे ख्याल से हमारे कृषि मंत्रीजी अगर इसको मान लें तो मेरे ख्याल से इसके बाद में किसी तरह का वादविवाद होने या भाषण होने या इस बात पर जोर देने की किसी तरह से जरूरत नहीं होगी । अगर ऐसा करते हैं तब तो मैं भी अपना स्थान ग्रहण करना ठीक समझता हूं । अगर ऐसा सरल संकल्प और काम की चीज को व खाद्य समस्या को देखते हुए भी हमारी सरकार को इसको मानना अच्छा नहीं लगता है और उनकी यह जिद्द हो तो यह आवश्यक है कि मैं भी कुछ इस सम्बन्ध में अर्ज करूं ।

सबसे बड़ी बात तो हमारे सामने यह आज हो रही है और बराबर हमारे सारे देश के सामने है वह धान की समस्या है और हम सब यही चाहते हैं कि किसी तरह से यह समस्या सुधर जावे और बाहर से विदेशी धान को किसी तरह से रोका जावे । किसी तरह से हमारे यहां ज्यादा अन्न पैदा किया जावे, इस तरह के सुझाव रखने चाहिये । बहुत तरह से कई बातें कहीं हैं, और इसमें अच्छे बीज

(श्री अनूपसिंह)

देना अच्छा बाजरा देना, नये तरीकों से खाद बनाना, खाद को अच्छी तरह से काम में लेना, नये और अच्छे फर्टलाइज़र खाद को काम में लाना, तरह इस की बातें हमारे सामने आती हैं और जिस समय ये सारी बातें हमारे सामने रखी जाती हैं वे इन सबको देखते हुए, मैं समझता हूं कि फीकी पड़ जाती हैं. जब हम अपने किसान को मौके पर सस्ता और अच्छा बीज नहीं दे सकते। तो हमारा रबी अभियान और कम्पेन करना या यह कहना कि हम अमेरिका से आगे से अनाज नहीं मंगावेंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम इस पर कटिबद्ध हैं और हमारा पक्का संकल्प है कि अमेरिका से धान नहीं मंगावे सफल नहीं होगा।

२ म० प०

तो मेरे ख्याल में इस छोटे से प्रस्ताव को मान लेने से कृषि वर्ग में जो हर्षोल्लास होगा, जो उत्साह बढ़ेगा उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई मात्रा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हमारी सरकार इतनी बाढ़ी को घटा कर, जैसा कि सदस्य महोदय ने प्रस्ताव रखा है और उन्होंने कहा है कि २॥ सेर फी मन कर दी जाय। २॥ सेर करने के लिए तैयार हैं तो किसान उससे फायदा उठा सकते हैं। मैं तो यहां तक अर्ज करूंगा कि २॥ सेर तो क्या कोई बाढ़ी ही न ली जाय, लेकिन यदि बाढ़ी ली जाती है तो २॥ सेर करदी जाय, जिसमें से सरकार नो लोस नो प्रोफिट जैसा कि कहती है, जो भी खर्चा हो वह काट ले। यह अच्छा है। यदि काश्तकारों को एक मन दिया जाय और यदि सरकार वापिस एक मन ही उनसे लें तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार और मन्त्री महोदय के लिये, जो इस अन्न की समस्या को सुलझाना चाहते हैं, बड़ी शोभा की वस्तु होगी। लेकिन आप इतनी बाढ़ी ही लेने पर आमादा है और उसको २॥ सेर तक भी घटाने के लिए तैयार नहीं हैं तो, हमारा और आपका यह थोथापन मालूम पड़ जायगा कि हम केम्पेन लड़ना चाहते हैं, लेकिन तरीका नहीं समझते। यदि आप चाहते हैं कि आज जो अन्न की बड़ी भारी समस्या सामने नजर आरही है उसको हल किया जाय, यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा बीज ज्यादा बोये, वह भी टाइम पर, ऐसा नहीं जैसा कि आज कल हो रहा है कि रबी अभियान तो चल रहा है लेकिन बीज टाइम पर नहीं पहुँच रहा है। ऐसी शिकायतें बहुत सी जगहों से आयी हैं, यदि उसको समय पर बीज और जितनी मात्रा में चाहता है उतनी मात्रा में मिल जाय और वह भी बिना बाढी के या कम बाढी के तो वह बीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर पैदा कर देगा और जब वह ऐसा कर देता है तो वह अपना कर्तव्य पूरा कर देता है। इसलिए भी हमारी सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि वह इससे बाढ़ी न ले। इससे उसमें एक प्रोत्साहन बढ़ा है, नये बीज को काम में लेने का तरीका बढ़ा है, उसके दिल में जो एक कॉम्प्लेक्स पैदा हुई है, वह एक बड़ी बात है, इस प्रकार की जो उसमें शिक्षा पैदा होगी, जो उसका उत्साह बढ़ेगा वह अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। यह एक नेशनल असेट होगी कि किसान यह समझ सकें कि उनको अच्छा बीज काम में लेना है और यह बड़ी भारी शिक्षा की भी बात होगी। बाढ़ी लें या नहीं, गवर्नमेन्ट को फायदा होता है या नुकसान इस ओर सोचना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का लाखों रुपया इन्डस्ट्रीज़ के डूब-खाते में है, इन्डस्ट्रीज़ को सरकार लोन दे देती है, सीमेन्ट

(श्री अनूपसिंह)

फैक्टरी को दे दिया जाता है और ऐसे धन्धे को दे देती हैं जो शुरू ही नहीं हुए हैं, जिनका डूब जाना संभव है, ऐसे धन्धों को दे देती हैं जिनकी बैलेन्स शीट नहीं और कोई अकॉउन्ट्स नहीं, जिससे गवर्नमेन्ट का कोई फायदा नहीं हुआ और जो कर्जा दिया उसकी एक पाई भी वापिस नहीं आयी और सरकार को लाचार होकर राइट ऑफ करना पड़ा। जब सरकार इस प्रकार से राइट ऑफ करने के लिए तैयार है तो जो सरकार किसान वर्ग की हिमायत करने के लिए तैयार है, वह ज्यादा से ज्यादा नहीं किन्तु कम से कम बाड़ी ले और मैं तो कहूंगा कि बाड़ी ले ही नहीं, और लेती भी है तो २॥ सेर फी मन से अधिक न ले और अगर ज्यादा लेती है तो वह उचित नहीं है। यदि आप किसानों को शिक्षा देना चाहते हैं कि वे अच्छे बीज काम में लें, अच्छे औजार काम में लें, अच्छा खाद काम में लें तो आप उसको अधिक सहूलियत दीजिये कि जिससे उसको बीज के लिए इधर-उधर मारा-मारा न फिरना पड़े, बनियों के यहां जाकर उसको कर्ज न लेना पड़े, सरकार पर उसका विश्वास हो जाय कि यह काबिल सरकार है कि उसने समय पर बीज लाकर दे दिया। यदि पहले से हो उस पर बोझ डाल देते हैं कि इतनी बाड़ी देनी पड़ेगी तो वह पहले से ही निराश हो जायगा और वह आगे से बीज लेने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि सरकार को दो-चार साल के लिए इससे नुकसान भी हो जाता है तो उसको वह उठा लेना चाहिये। कम से कम सरकार को यह तो फायदा होगा कि किसान शिक्षित तो होगा और बड़े अभिमान के साथ कहेगा कि रबी अभियान को लड़ने वाला वह सिपाही है। उसमें कम से कम जागृति तो आवेगी और उससे देश को लाभ होगा। यदि इस प्रकार की शिक्षा किसान को देने के लिए सरकार को नुकसान हो जाता है तो उसको उठाने के लिए सरकार को पीछे नहीं रहना चाहिये। हमारा वैसे ही बहुत सा लोन दिया हुआ डूब गया है जो हम से छिपा हुआ नहीं है। अगर सरकार द्वारा सबसिडी देकर बीज दे दिया जाय तो फिर यह बाड़ी ही पूरी बन्द हो जायगी। आज जिस प्रकार से रबी अभियान चल रहे हैं उसको आगे चलाने के लिए सरकार को इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। रबी अभियान, जिसके लिए बहुत हल्ला मचाया गया था, उसके लिए अर्ज कर दी कि कई जगह तो यह सक्सेसफुल हुआ; कई जगह जहां रबी अभियान होने की जरूरत ही नहीं वहां तो कर्मचारी पहुँच गये और जहां उनका पहुंचना जरूरी था, दो फसली जगह थीं, वहां वे नहीं पहुंचे। वे उन जगहों को सम्हालने के लिए तैयार नहीं थे। जहां एक सरकारी कर्मचारी रखा हुआ है, कलेक्टर से लगाकर एक मामूली कर्मचारी रखा हुआ है, वे रबी अभियान के वक्त वहां नहीं पहुँचे, इसलिए काश्तकारों ने जिस तरह से उनको पुराने तरीके से बोना था, वह उन्होंने उसी तरह से बो दिया। लाइन सोलिंग से होना था वह उन्होंने नहीं किया। आपके अफसर वहां मौके पर पहुँचे ही नहीं। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह तो एक ढकोसला बनाना चाहते हैं, आप केम्पेन का नाम लेते हैं लेकिन केम्पेन तो तब ही पूरा होता है कि उसको एक लड़ाई के बेसिस पर लड़ा जाय! लेकिन हम देखते हैं कि जहां अफसरों को, कर्मचारियों को पहुंचना चाहिये था, वहां वे नहीं पहुंचे और जहां नहीं जाना चाहिये था वहां वे चले गये। यह कोई मखौल तो नहीं

(श्री अनूपसिंह)

है ? एक तरफ तो लड़ाई लड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि अफसरों को मिलीटरी डिसिप्लिन की तरह से मौके पर, समय पर पहुंचना चाहिये, वे वहां समय पर तथा मौके पर पहुंच नहीं सकते । मिलिटरी डिसिप्लिन के अनुसार तो चाहे जो कुछ भी हो जाय लेकिन जहां पहुंचना है वहां वे पहुंचने ही चाहिये । केम्पेन तो सफल तब ही होगा जब मिलिटरी डिसिप्लिन होगा । तो फिर यही कह दीजिये कि यह केवल एक ढकोसलामात्र किया । केवल टॉप प्रायोरिटी पर ही कागज चलाते हैं और उसका नतीजा कुछ नहीं होता । टाइम पर बीज नहीं पहुंचा, औजार नहीं पहुंचे । मैं इसको कन्ट्रोवर्शियल चीज़ नहीं बनाना चाहता लेकिन फिर भी अर्ज करूंगा कि जो चीजें समय पर पहुंचनी चाहिये थीं, नहीं पहुंचीं । आप कैसे चाहते हैं कि किसान उन्नत बीज लें और ७॥ सेर की बाड़ी देकर भी बीज लें । वे इसको क्यों मंजूर करें ? इसलिए यह जरूरी होगा कि सरकार अच्छा बीज सस्ती बाड़ी पर देना शुरू कर दे । इससे किसानों का उत्साह बढ़ेगा, उनमें जाग्रति पैदा होगी और किसान अधिक अन्न उपजाने में मदद करेगा । जब उसमें शिक्षा पैदा हो जायगी, उसका उत्साह बढ़ेगा तो आयन्दा वह २॥ सेर के बजाय ३ सेर फी मन की बाड़ी देने के लिए भी तैयार हो जायगा । अब तक उसके मन में पक्की बात जमी हुई है, वह उसी पर चलेगा और जब आप ७॥ सेर की बाड़ी लेना चाहते हैं तो वह क्यों बीज लेगा । यह क्या बात होगी ? मैं इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, जो मैं समझता हूं कि वे काश्तकारों की प्रोबलेम्स को समझने वाले होंगे, उनको इस प्रकार का संकल्प मान लेना चाहिये । वे इस वाद-विवाद को आगे न बढ़ा कर सदन को आश्वासन दे दें । यह वाद-विवाद यहां समाप्त करके यह संकल्प पारित किया जाना चाहिये ।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ । आज आबादी का एक बहुत बड़ा भाग गांवों में रहता है जो खेती करता है या खेतिहर मजदूर है । उनका उत्थान करना आवश्यक है । राजस्थान का बहुत बड़ा भाग राजस्थान के गांवों में रहता है, राजस्थान ज्यादातर गांवों में बसा हुआ है, यह भी कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । जब राजस्थान गांवों में बसता है तो राजस्थान के लिये गांवों का उत्थान आवश्यक हो जाता है, जब तक गांवों का उत्थान सही रूप से नहीं होता, राजस्थान का उद्धार नहीं हो सकता । जब गांवों का उत्थान सही रूप से नहीं होता तो यह कहा जा सकता है कि राज्य का भी उद्धार नहीं हो सकता । आबादी का बहुत बड़ा भाग जहां बसता है, उसकी जहां उपेक्षा होती हो तो यह कृषक समाज की उपेक्षा है, आज भी वे लोग उपेक्षित हैं । आज विकास खण्ड खोल कर इनके उत्थान की बातें कही जाती हैं और इसी बात को लक्ष्य में रखकर कई जगह विकास खण्ड खोले भी गये हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर निवेदन कर दूं कि पीपलदा में एक वर्ष से विकास खण्ड कार्य कर रहा, एक वर्ष से गांव के किसान के उत्थान के लिये कोई कार्य नहीं किया । इन विकास खंडों में सरकारी कर्मचारियों के लिये बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है और गांवों का किसी भी प्रकार से उत्थान नहीं हो रहा है ।

लाडपुरा विकास खण्ड के खोलने की घोषणा कर दी और कहा गया कि यहां से किसानों को बीज दिया जायगा, किन्तु बीज का समय आने पर, वहां के अधिकारी मुकर

(श्री रामनारायण वर्मा)

गये और ऐसी हालत में जब कि किसानों ने अपना गल्ला बेच दिया, जो बाहर से किसी प्रकार भी सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते थे, उस समय किसानों के सामने बड़ी भारी परेशानी का समय आया। मैं निवेदन यह कर रहा था कि गांव के उत्थान के लिये आवश्यक यह है कि काश्तकारों की हालत सुधारी जाय। इसके लिये हमें कारण ढूंढ़ने होंगे, आर्थिक हालत कमोजर क्यों है इसका कारण यह है कि परम्परा से उनका लेन-देन बोहरों से, सेठ-साहूकारों से होता आ रहा है। उससे उनका बहुत बड़ा शोषण होता रहा है और यही कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। उदाहरण के तौर पर मैं आप से निवेदन करूं कि तहसील डिगोद में केवल चार-पांच आदमी ही ऐसे होंगे, जिनके पास १५ हजार बीघा जमीन होगी। उनका इतिहास देखा जाय तो उनके बाप के बाप के पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं थी तो फिर आज इतनी जमीन उनके पास आयी कहां से ? उन्होंने लेन-देन प्रारम्भ किया और उसकी ब्याज दर को बढ़ाते बढ़ाते हजारों बीघा जमीन उनके पास आ गयी। आज वहां का किसान पांती काश्त करता है, एक गुलाम की सी जिन्दगी बसर कर रहा है। फिर भी उनका पूरी तरह शोषण हो रहा है। हमें काश्तकारों का उत्थान करना है तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी। जब तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, जब तक वे बोहरों के पंजे से मुक्त नहीं किये जायेंगे, तब तक उनकी हालत सुधरेगी नहीं। इसलिये पहले हमें काश्तकारों को बोहरों के पंजे से मुक्त करना होगा और उनकी मुक्ति का उपाय जैसा कि माननीय सदस्य ने मांग की ७॥ सेर पर बाढ़ी निर्धारित की है उसको हटाकर ढाई सेर पर बाढ़ी होना चाहिये, यह बिल्कुल उपयुक्त है। बोहरे लोग जो हैं वे अच्छे काश्तकारों को पांच सेर प्रतिमन के हिसाब से बीज देते हैं तो ऐसी हालत में सरकार को वे साढ़े सात से क्यों देंगे। इस प्रकार अगर हमें काश्तकारों की हालत सुधारना है तो इस बाढ़ी की दर को, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, उसमें हेर-फेर करना होगा और काश्तकारों को, बोहरों के शोषण से मुक्ति दिलानी होगी। इसलिये जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि जिस दर से आजकल बाढ़ी ली जाती है उसके हिसाब ३७॥ प्रतिशत ब्याज होता है। राजस्थान का बोहरा विधेयक जो सन् १९५६ में विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ था और जो प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था, जिसका प्रतिवेदन भी आ चुका है, उसके अनुसार ब्याज की दर, धारा २८ के अन्दर निर्धारित की है, वह इस प्रकार है :

"ब्याज की दरों का परिसीमन

राज्य सरकार समय समय पर राजस्थान राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा रक्षित तथा अरक्षित उधारों के सम्बन्ध में व्यवहारगत के कारबार की किसी श्रेणी के लिये ब्याज की अधिकतम दरें निश्चित कर सकेगी।

परन्तु इस प्रकार निश्चित की गई ब्याज की अधिकतम दर रक्षित उधारों के सम्बन्ध में साढ़े सात प्रतिशत प्रतिवर्ष और अरक्षित उधारों के सम्बन्ध में नौ-दस प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।"

आपने जो साढ़े सात सेर पर बाढ़ी का हिसाब रखा है उससे ३७॥ प्रतिशत ब्याज बनता है। माननीय मन्त्रीजी भी उस समिति के सदस्य थे। इसमें आगे यह व्यवस्था भी की गई थी कि कोई बोहरा देनदार से राज्य

(श्री रामनारायण वर्मा)

सरकार द्वारा उपधारा (१) के अधीन निश्चित की गई अधिकतम दर से ऊंची दर पर व्याज नहीं लगायेगा अथवा प्राप्त नहीं करेगा और इस व्याज से बोहरा अधिक नहीं लेगा। पर सरकार लेगी, जैसी इसमें व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार की व्यवस्था उचित नहीं है।

जब आप किसान का उत्थान करना चाहते हैं तो सस्ते व्याज पर और सस्ती बाढ़ी पर आपको गल्ला या बीज देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त समय पर बीज मिलना चाहिये और बीज प्राप्त करने में किसान को जिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, वे दूर होनी चाहिये। बोहरों से लेन-देन उनकी पीढ़ियों से है। पर सरकार से बीज प्राप्त करने में बहुत से अधिकारियों से मिलना पड़ता है और इसमें उसको खर्चा भी करना पड़ता है। तो यह व्यवस्था गलत है। इसे सुधारने से ही किसान की उन्नति और उसका उद्धार हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव युक्ति संगत है और इसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री किशनसिंह बट्टड़ (लक्ष्मणगढ़) : यह उचित बात है कि साढ़े सात की जगह २॥ सेर बाढ़ी सरकार को लेनी चाहिये। यह साढ़े सात सेर किसान को बहुत भारी पड़ती है।

किसान को लेने जाने में भी बड़ी दिक्कत पड़ती है। कई बार ऐसा मौका आया है कि किसान बीज लेने गया और महकमे में उस रोज़ देने वाले अफसर नहीं मिले। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिस तरह से वह बोहरा के यहां जब कभी भी जाता है उसको तुरन्त बीज मिल जाता है, इन्तजार नहीं करनी पड़ती, इसी तरह से सरकारी बीज की भी एक दूकान खोल दी जावे, जहां हर वक्त उसको बीज मिल सके। अगर कैश से लेना चाहे तो उसको कैश से मिल सके।

तो बाढ़ी की दर ऊंची है और असुविधा से मिलती है, ये दो दिक्कतें किसान के सामने बड़ी हैं। इनको दूर करने के लिये उपाय मैंने बताया है। ऐसा अगर कर दिया जाता है तो किसान को काफी सहूलियत हो सकती है।

अब आज क्या होता है ? बीज जो मिलता है वह भी पुराना और बेकार का मिलता है। बाजरे के बीज के वास्ते कहा गया कि यह झकराने का बीज है। पर बोने पर कुछ नहीं हुआ। लेते वक्त कहा गया कि दो हाथ लम्बा सिट्टा आएगा पर, कोई दो हाथ लम्बा सिट्टा नहीं आया।

इसी तरह से इस साल चना बांटा गया। वह भी ऐसा ही निकला। बाजार भाव से भी महंगा चना वह दिया गया फिर भी अच्छा नहीं था। न मालूम ये अधिकारी कहां से ले आते हैं ऐसा बीज। जो मोटा चना होता है उसका बीज अच्छा होता है, वह बीज न दे कर, पता नहीं कहां से ले आया हुआ खराब चना दिया गया। यह भी जांच करने की बात है। ऐसा भी नहीं होना चाहिये। सरकार का महकमा बीज देने में भी इस तरह से बड़ी हिम्मत और होशियारी से बात करता है।

रबी अभियान की बात कही गई। हाकिम लोग किसान की दिक्कतों को जानते

(श्री किशनसिंह)

नहीं। खेती की बातों में समझते नहीं, बीज के किस्म के बारे में उनका अनुभव नहीं। समय पर वे बीज देते नहीं, तो पता नहीं ये लोग किस तरह से काम करते हैं। कहां से बीज खरीद कर ले आते हैं, या सरकार से अच्छा बीज मिलता हो पर उसको इधर उधर करके किसान को उसके बदले में सड़ा गला अनाज देते हों। तो इन दिक्कतों को ध्यान में रख कर कोई सुन्दर व्यवस्था की जावे।

इसके अलावा उनको बीज का ज्ञान नहीं है तो इसके लिये यह किया जावे कि किसानों की एक कमेटी बनाई जावे और उनसे जंचवा कर बीच खरीदा जावे।

श्री सोहनलाल भटनागर : इसकी उनको ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री किशनसिंह बट्टड़ : जो ट्रेनिंग देते हैं, वह तो मालूम हो रही है न।

श्री जगदीसप्रसाद माथुर : आपको मास्टर मुकर्रर कर दिया जावे उनका ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : यह जो संशोधन आया है उस तरफ से आपका क्या कहना है।

(हंसी)

श्री रामधन (दौसा) : मैं भी इसका समर्थन करता हूँ।

हमारे काश्तकार गरीब हैं और उनसे ही हमारी सरकार का सारा काम काज चलता है। आज बीच के मामले में उनकी बहुत सी दिक्कतें हैं। समय पर उनको नाज नहीं मिलता। वे स्वयं इतना नाज बचा कर अपने पास रख नहीं सकते। उन्हें बाहर से लाना पड़ता है। इसी गरीबी की हालत को देखकर सरकार ने तकावी उनको दी है, कुएं के लिये तकावी दी है और कई सहूलियतें दी हैं पर उनका पूरा-पूरा फायदा उनको नहीं मिल पाता। इस सरकारी अधिकारियों के गलत रवैये के कारण सरकार ने वादा किया कि अच्छा बीज समय पर देंगे। इस वायदे के भरोसे किसान निश्चित रहे। वे पहले कोई इन्तजाम नहीं कर सके और एन मौके पर सरकार ने उनको बीज नहीं दिया, दिया भी हो, तो सड़ा गला। इससे बहुत से खेत बिना जोते बोये ही रह गये। जिनको थोड़ा मिला और बाकी का लेने, वे बोहरे के पास गये भी तो बोहरे ने इन्कार कर दिया, क्योंकि सरकार से बीज लेने पर उसकी बाढ़ी मिलने का उसको विश्वास नहीं रहा।

तो इन दिक्कतों को सरकार को महसूस करना चाहिये और इनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि ढाई सेर फी मन की बाढ़ी कायम कर दी जावे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

इसके साथ ही साथ धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो संशोधन रक्खे हैं उनका भी समर्थन करता हूं। माननीय सदस्य ने जिस अच्छी भावना से यह संकल्प रक्खा है क्या हमारी सरकार भी उसको उतनी ही अच्छी भावना से मानेगी, यह प्रश्न है।

मेरा यहां तक अनुभव है कि हमारी यह सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। इसका उदाहरण मैं दूंगा। समय पर हमारी सरकार बीज के वितरण का प्रबन्ध नहीं करती।

Page No.58

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि वे गरीब काश्तकार जिनको बीज की आवश्यकता है, समय पर बीज न मिलने पर वापिस उन्हीं बोहरों के चंगुल में चले जावें और उस बीज को जिसे वे बांटना चाहते हैं वे लोग खरीदें जो, पूंजीपति हों और जो बड़े काश्तकार हों या बड़े बोहरे हों जिनके पास से उन गरीब काश्तकारों को खरीदना पड़ता है। यह वस्तुस्थिति है।

२. २८ म० प०

(श्री आबिद अली, सभापति पदासीन)

एक ओर हमारी सरकार समाजवादी दृष्टिकोण और कल्याणकारी राज्य के नारे लगाती है और कहती है कि हम काश्तकारों और सरकार के बीज के शोषणकर्त्ताओं को हटाना चाहते हैं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इन नारों के बीच में हमारे उन गरीब काश्तकारों का शोषण कर रही है और पूंजीपतियों के हाथ मजबूत कर रही है।

जहां बीज खरीदने का प्रश्न आता है वहां, हमारी सरकार महंगे भाव पर, समय पर बीज खरीदती है और इन पूंजीपतियों से खरीदती है। बूंदी की एक बड़ी मारवाड़ी फ़र्म से १८ हज़ार का गेहूं खरीदा। और महंगे भाव पर खरीदा। बाजार भाव कम था पर उससे अधिक पर खरीदा, दो तीन रुपया मन ज्यादा दिया, क्योंकि उसे तो इस मारवाड़ी फर्म को जो लाखों रुपया कमाती है, उसको लाभ देना था। तो एक तरफ तो आपने यह किया, दूसरी तरफ वितरण के समय उसी गेहूं को या तो बोहरों को दे दिया या बड़े-बड़े काश्तकारों को बांटा जिनके पास पहले से ही कोठे भरे पड़े थे। इस तरह गरीब काश्तकारों को तो वहीं बोहरों के पास जाना पड़ा।

तो एक तरफ हम कहने को बहुत कहते हैं, सरकार गरीब काश्तकारों को बोहरों के चंगुल से छुड़ाना चाहती है, अधिक अनाज उत्पन्न करना चाहती है, इस तरह से भारत सरकार के हाथ भी मजबूत करना चाहती है। योजनाएं लम्बी-चौड़ी बनाते हैं, कानून बनाते हैं, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि जब तक हमारी सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, हमारी ये सारी योजनाएं, हमारे ये सारे कानून, हमारी ये सारी बातें हांकना निरर्थक होगा। कोई इनमें सार नहीं है।

जब तक हम, किस समय उसको बीज देना है, किस समय वापिस लेना है, किस दर पर देना है, बोहरे किस दर पर दिया करते थे, उनसे अधिक सहूलियत किसान को किस तरह से मिल सकती है, इन सारी बातों पर विचार नहीं करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम केवल कानून के लिये कानून बनाना जानते हैं, व्यवहार में उनको लाने के लिये या उनका सदुपयोग करने के लिये नहीं बनाना चाहते।

माननीय सदस्यों की भावनाओं का, मैं आदर करता हूं। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ७॥ सेर प्रतिमन की बाढ़ी के हिसाब से बीज देती है लेकिन उन्होंने बताया कि भूतपूर्व अजमेर राज्य के अन्दर २॥ सेर बाढ़ी के हिसाब से बीज दिया जाता था और जिस समय आज़ादी के लिए संघर्ष जारी था, उस समय कांग्रेस हमारे काश्तकारों से कहती थी कि साहूकार काश्तकारों का शोषण करते हैं, तुम हमारा साथ दो। उस समय काश्तकार तिरंगा झंडा हाथ में लेकर कांग्रेस का सा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

देते थे, जब कि बोहरा पांच सेर बाढ़ी लेता था। आज हमारी सरकार ७ll सेर बाढ़ी लेती है तो सच्चे माने में शोषण तो काश्तकारों का हमारी सरकार करती है। शोषण करने वाली तो आज की हमारी कांग्रेस सरकार है। इस प्रकार का मेरा खुला मत है। जब हम बोहरों के लिये कहते थे कि वे काश्तकारों का शोषण करते हैं। लेकिन वह ५ सेर की बाढ़ी लेते थे। उस समय का काश्तकार अपने गांव में ही बोहरे से बीज ले लिया करता था, लेकिन आज उनको बीज प्राप्त करने के लिए बीज सैन्टर्स पर जाना पड़ता है आज आप देखिये कि सरकारी बीज गोदामों की क्या हालत है वहां माल रखा हुआ है, माल सड़ जाता है और न जाने कितने मन इधर उधर चला जाता है। बीज गोदाम का क्लर्क गड़बड़ी करता है। इस तरह का मैं उदाहरण दे सकता हूं कि माल का काफी स्टॉक रखा होता है और काश्तकार को कह दिया जाता है कि तुम्हारा माल यहां नहीं है। हम इस प्रकार सरकार से किस प्रकार की आशा करें, इस सरकार से किस प्रकार की अपेक्षा करें कि हमारे काश्तकारों के लिये भली होगी, हो सकता है केवल काश्तकारों का नारा लगाया गया। एक बार ढेबर भाई ने कहा कि कांग्रेस तो कृषक संघ है और कांग्रेस का दूसरा नाम कृषक संघ ही होना चाहिए। लेकिन वास्तव में इसका दूसरा नाम कृषक संघ नहीं है बल्कि पूंजीपति संघ है, जो आज इसके अन्दर इकट्ठे हो गये हैं। आज उनकी नीति चलती है काश्तकारों की नीति नहीं चलती है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो संकल्प यहां रखा गया है कि २ll सेर की बाढ़ी लगाई जाये जो कि अजमेर में ली जाती थी, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो नकद रकम सूद पर दी जाती है वह ४ रु० ११ आने प्रति सैंकड़ा प्रतिवर्ष के हिसाब से दी जाती है तो जो रकम नकद दी जाती है उस रकम का और जो बीज दिया जाता है उसकी प्रतिमन के हिसाब से यदि दर लगाई जाय तो उसमें जो ३७ll बताई तो ३३ रुपये का अन्तर रह जाता है। तो फिर आप नकद रकम ही क्यों नहीं दे देते हैं ताकि नकद रकम से उनको लाभ तो हो। लेकिन जो बीज देते हैं जिससे आप चाहते हैं कि देश का उत्पादन बढ़े देश की भुखमरी को मिटाने चाहते हैं, आप चाहते हैं कि विदेशों के सामने भीख का कटोरा न पसारा जाये, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन काश्तकारों को ३३ रुपये ज्यादा लेकर उस भाव से उनको आप अनाज देते हैं तो फिर आप नकद रकम ही क्यों नहीं दे देते ताकि वह उस नकद रकम को लेकर बोहरे के पास जा सके और उससे ५ सेर बाढ़ी के हिसाब से बीज खरीद सके। जहां मकानों के लिए रकम देने का प्रश्न आता है तो बिना ब्याज के ही रकम देने की बात सोचते हैं। डॉक्टरों ने, वकीलों ने, ऑफिसरों ने रकम को लेकर अपने मकान बना लिये और उसका कोई ब्याज नहीं दिया। फिर उनको वह रकम ३० इन्स्टॉलमेंट में चुकानी पड़ेगी, ठीक है धीरे धीरे चुकाये जाओ और भोगे जाओ। फिर किसान को जो बीज दिया जाता है उसका भुगतान ६ महीने के अन्दर मांगते हैं और अगर वह ६ महीने में नहीं दे पाता है तो उसके लिए उनको पैनल्टी देनी होती है। फिर उसके ऊपर भी ७ll सेर की बाढ़ी ली जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सरकार रबी अभियान की बात करती है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक-दो जगह पर मैं गया। विकास खण्डों में जब रबी अभियान आरम्भ

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हुआ तो वहां पर विश्वास दिलाया गया, काश्तकारों को कि आप लोग सेठों से और बोहरों से बीज न लो आपको सरकार बीज देगी। मेरे क्षेत्र में बी० डी० ओ० ने और तहसीलदार ने काश्तकारों को विश्वास दिलाया कि आपको बीज सरकार देगी। लेकिन काश्तकारों ने कहा कि आप लोग केवल आश्वासन ही देना जानते हैं और यदि काश्तकार आपके ऊपर निर्भर रहेगा तो न तो वह अपना पेट भर पायेगा और साथ ही देश को भी भूखों मारेगा। नतीजा यह हुआ कि वहां पर काश्तकारों को बोहरों के पास जाना पड़ा और जब काश्तकार बोहरों के पास गये, तो बोहरे कहने लगे कि आप सरकार की बात करते हैं, सरकार के पास जाओ। इस प्रकार से काश्तकार आज दोनों पाटों के बीच पिसा चला जा रहा है। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि काश्तकारों की कितनी आवश्यकता है। आज काश्तकारों को उनकी आवश्यकतानुसार अनाज नहीं दिया जाता है। यदि काश्तकार को एक बीघा के लिये १२ सेर या २० सेर बीज का जरूरत है, तो उसको उसके हिसाब से नहीं दिया जाता है। इस बार रबी अभियान में कहा गया कि आप लोग गेहूं बोओ क्योंकि देश के अन्दर एक खाद्यान्न संकट आया हुआ है उसको टालने के लिए हमें अधिक गेहूं की आवश्यकता है, इसलिए गेहूं पैदा करिये। लेकिन गेहूं की जो मांग की गई वह समय पर नहीं मिला। आपके बी० डी० ओ० कहने लगे कि हमारे पास तो जितना आया हम लोग उतना ही बांट रहे हैं। हमने जितने बीज के लिए मांग की थी, उतना नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम तो असमर्थ हैं सरकार जितना देगी वह बांट देंगे। आज ११ सालों के बाद भी इस प्रकार जो देश का खाद्यान्न संकट है, उसको मिटाने में सरकार असफल रही है। इस प्रकार की सरकार को रहने का अधिकार है या नहीं, वह तो जनता बतायेगी। जहां हम समाजवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, जहां हम कहते हैं कि इन देश के अन्दर एक समाजवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं, वहां हमारी सरकार को देखें कि उसकी क्या स्थिति हो रही है। एक माननीय सदस्य ने जिन्होंने संकल्प इस को रखा है उन्होंने अपने प्रस्तावना भाषण में बताया कि बीज को लाने और मंगवाने में खर्चा दो- तीन रुपया का हो सकता है। उसमें भी हमारी केन्द्रीय सरकार एक रुपया फी मन अनुदान देती है, सबसिडी के तरीके से उसको कम कर देने के बाद सरकार का एक रुपया मात्र रह जाता है और सरकार कितना लेती है वह ३७।। रुपया बताया और इस प्रकार से हमारी सरकार कहती है कि हम समाजवादी हैं और प्रोफिट नहीं लेना चाहते है और नुकसान भी हमें उठाना नहीं है। लेकिन यहां में आंकड़े बताऊं कि हमारी सरकार फी मन के ऊपर ३३ या ३४ रुपया लेती है इस प्रकार हमारी सरकार कहती है कि समाजवादी दृष्टिकोण रखना चाहते हैं और बोहरों को हटाना चाहते हैं। क्योंकि वह काश्तकारों का शोषण करते हैं और काश्तकारों का सीधा सम्पर्क सरकार से कराना चाहते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि शोषण कर्ता वे बोहरे नहीं बल्कि खुद हमारी सरकार बनती जा रही है। इससे काश्तकारों को लाभ नहीं होता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का संकल्प बहुत ही अच्छा है, इससे उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। चाहे आप उनको पूरी मात्रा में बीज न दें यह आपका दृष्टिकोण हो वह आप बनाये रखें लेकिन कम से कम समाजवाद का ढोंग तो न पीटें।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि संकल्प अच्छा है और जो संशोधन इसके ऊपर रखे गये हैं वे भी अच्छे हैं। एक संशोधन तो धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा जिसमें उन्होंने कहा कि काश्तकारों को आवश्यकतानुसार बीज दिया जाये यह बहुत अच्छा है और दूसरा संशोधन जो प्रस्ताव की भाषा को ठीक करने का है वह भी बहुत अच्छा है। ये दोनों उपयुक्त बातें हैं और इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय, इस विषय पर काफी वादविवाद हुआ है और मैं इस संबंध में कोई भावानुवेश बात तो नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जो बाढ़ी प्रथा है, उसका कोई साइन्टिफिक बेसिस हो या जो हमने ७॥ बाढ़ी की रेट तय की है, वह कैसे तय की है, कैसे मुकर्रर किया है, उसका बेसिस क्या है उसको देखने की जरूरत है। याने किसी साइन्टिफिक बेसिस पर उसको तय किया हो तो हम जरूर कहते हैं कि यह रहना चाहिये। कोई उसका जस्टीफिकेशन हो तो ठीक है और अगर औरबीट्रेरी हो या फिर जैसा मर्जी आया वैसा कर दिया हो, तो हम कहेंगे कि नहीं रहना चाहिये। इसको साइन्टिफिक बेसिस पर फिक्सेशन होना चाहिए। ७॥ सेर की बाढ़ी का मतलब यह होता है कि उसको लगभग ३८ पर्सेन्ट बैठता है। याने आज किसी भी ट्रान्जेक्शन में हम जब हिसाब-किताब करते हैं तो उसके रिटर्न्स को हम देखते हैं। हमने कोई ट्रान्जेक्शन किया उसका रिटर्न क्या आता है याने उससे हमें ज्यादा मिलता है या कम मिलता है। यह बीज सप्लाई करने में सरकार को कुछ पैसा लगाना होता होगा कुछ और खर्च करना पड़ता होगा तो उसके लिए सरकार का जो इनवेस्टमेन्ट है उसके ऊपर हमें सिर्फ बिजनैसमैन या एक व्यवसायी ढंग से देखना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं तो उनको ३८ पर्सेन्ट रिटर्न मिलता है। और मैं समझता हूं कि आज के जमाने में जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, सोशलिस्टिक पेटर्न की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर क्या प्राइवेट सेक्टर में तो हम यह मुकर्रर कर देते हैं कि वहां भी हमने एक केपिटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, क्या होना चाहिये वह मुकर्रर कर दिया है। आज जो कम्पनीज हैं, ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज़ हैं, उनके लिए हमने मुकर्रर कर दिया है कि ६ पर्सेन्ट डिविडेन्ड दे सकते हैं उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अब जब प्राइवेट इन्डिविजुअल के लिए हमने मुकर्रर कर दिया है कि इतनी पर्सेन्टेज से ज्यादा रिटर्न नहीं लेना चाहिए, प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, तो सरकार की तरफ से इस देश की फुड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई काम किया गया है, या कुछ काम कर रहे हैं या उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिटर्न ३८ पर्सेन्ट कैसे जस्टीफाइड होता है? और मैं समझता हूं कि कोई इस बात को सदन में लाता है कि किसी ट्रेड के अन्दर किसी पर्टिक्युलर ट्रेड में कोई व्यक्ति या कोई संस्था ३८ पर्सेन्ट मुनाफा लेती है, ३८ पर्सेन्ट रिटर्न लेती हैं अपने इन्वेस्टमेंट का तो सदन का एक एक सदस्य उसका विरोध करता हैं तो यह जो ३८ पर्सेन्ट का रिटर्न है, मैं समझता हूं यह किसी तरह से जस्टीफाइड नहीं होता है। यह तो यही बताता है कि

This is the most profitable trade for the Govt.

किसी प्राइवेट इन्डिविजुअल से कहेंगे, उसके रुपया इन्वेस्ट करने की बात जब आती है,

(श्री पी० के० चौधरी)

सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस कम्पनी के शेयर खरीदने में करें तो वह देखता है कि कौन सी कम्पनी सबसे ज्यादा डिविडेन्ड देती है। उस पर वह इन्वेस्ट करता है। जब ऐसी प्रोफिटेबल चीज हो जाय और सरकार बीज सप्लाई करने का बिजनैस किसी प्राइवेट इन्डिविजुअल को देना चाहे तो ३८ पर्सेन्ट छोड़ २५ पर्सेन्ट भी वह कर दें तो कोई भी मीठे का लेने को तैयार हो जायगा। तो सरकार ने क्या किया दूसरी बात यह आती हैं कि थोड़े दिन पहले हमने एक कानून पास किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उसमें कुछ चेन्जेज़ किये हैं, और यह कह कर सदन में पास किया है कि हमारी जो इन्टिग्रेटेड क्रेडिट स्कीम रिजर्व बैंक ने सिफारिश की है उसको अमल में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा- ज्यादा से ज्यादा क्राप लोन देना चाहिए, और शर्ट टर्म क्राप लोन जल्दी से जल्दी देना चाहते हैं, और इसलिए कानून पेश किया है, कोऑपरेसोसाइटी के लिए। अब जो यह क्राप लोन है उसमें सब से बड़ी सिफारिश जो उस कमेटी ने, रिजर्व बैंक रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने की है, वह यह है कि क्राप लोन रुपये के आधार पर न होकर वह इनकाइन्ड होना चाहिये। क्राप लोन्स जो देंगें वह इनकाइन्ड में देंगें, और इनकाइन्ड आप कैसे देगें? वह बीज देकर देंगें, खाद में देगें। यही आपके क्राप लोन्स में आते हैं इनकाइन्ड या आप इम्प्लीमेन्ट देगें। इन चीजों के सिवाय क्राप लोन की डेफिनिशन में इनकाइन्ड में कोई और चीज नहीं आती है। काइन्ड में जब आते हैं कि क्राप लोन्स कैश में न देकर काइन्ड में दिया जाय तो यह सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका है। अब मान लीजिये जैसा कि सदन में आपने कहा है, कानून इधर पास करते है, ऑर्डीनिन्स पास किया है क्राप लोन इन्ट्रोड्यूस करने के लिए, और उसमें क्राप लोन्स की सबसे बड़ी सिफारिश की है। आपको जो क्राप लोन्स एडवान्स करने का है, वह इनकाइन्ड करने का है। उसको इनकाइन्ड में इन्ट्रोड्यूस करने में मान लिया जाय कि आपने कहा कि क्राप लोन इन्ट्रोडयूस करेंगे और काइन्ड में लोन्स देंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मैक्सीमम क्या इन्ट्रेस्ट चार्ज करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी साढ़े सात पर्सेन्ट चार्ज करती है। आप क्राप लोन इन्ट्रोड्यूस करने के लिए जिस घड़ी में इसको अमल में लायेंगे तो क्या आप बीज देकर जहां आप साढ़े सात पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट का रेट फिक्स करते हैं वहा किस तरह से ३८ पर्सेन्ट आप लेगें? तो एक तरफ तो आप क्राप लोन्स इन्ट्रोड्यूस करने की बात करते हैं, क्राप लोन इन्ट्रोड्यूस करने का आश्वासन देकर ऑर्डिनेन्स पास करते हैं, उसका आश्वासन देकर सदन में पास कराते हैं, लेकिन उसके अमल में लाने का सवाल आता है तो दूसरी बात देखते हैं। तो यदि सही मायने में क्राप लोन इन्ट्रोड्यूस करें तो मैं कहूँगा इस क्राप लोन को देने में. इसको इन्ट्रोड्यूस करने में जिस घड़ी में आप इस सिद्धान्त को मानेंगे कि क्राप लोन में बीज देंगें तो क्या जब आप क्राप लोन के अन्दर बीज देंगें तो क्या ३८ पर्सेन्ट मुनाफा ले सकते हैं? ३८ पर्सेन्ट रिटर्न ले सकते हैं? वहां पर कोऑपरेटिव सोसायटी के कानून के माफिक साढ़े सात पर्सेन्ट लेना चाहिए। वहां पर अगर साढ़े सात पर्सेन्ट के हिसाब से लेते हैं तो लगभग जाकर वह डेढ़ सेर की बाढ़ी आपकी बैठती है। अब सरकार की तरफ से यह सवाल हो सकता है कि डेढ़ सेर बाढ़ी साढ़े सात पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट के रूप में

Page No.63

श्री पी० के० चौधरी)

लेंगे तो प्राइस फ्लक्चुएशन जब होता है, जिस समय हम बीज सप्लाई करते हैं और जिस समय जाकर वसूल करते हैं तो उस पर प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। आम तौर पर यह जब प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वह ८ या १० पर्सेन्ट के बीच में रहता है आज प्राइस फ्लक्चुएशन इस समय में ८ से १० पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं होता है, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि प्राइस फ्लक्चुएशन का क्या करें। मान लीजिये कि प्राइस वैरीयेशन होता है, from 8 to 10 percent fall in prices होता है तो साढ़े सात पर्सेन्ट में १० पर्सेन्ट और जोड़ दें यानी साढ़े सत्तरह पर्सेन्ट लें। साढ़े सत्तरह पर्सेन्ट लेंगे तो वह तीन या साढ़े तीन सेर की बाढ़ी बैठती है। और सही मायने में आप देखेंगे कि आज जो कहा जाता है कि हारवेस्ट के बाद, फसल आने के बाद प्राइसेज़ गिर जाती हैं, लेकिन जब, प्रैक्टिस में हम देखते हैं तो दर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हम कह रहे थे कि खरीफ की फसल आने के बाद में प्राइसेज़ गिर जायेंगी, लेकिन आज आप देखते हैं कि खरीफ की फसल आ गई, लेकिन अनाज को सब ने हॉर्ड कर लिया है foodgrains have been withheld from the market. उसका नतीजा क्या हुआ कि प्राइसेज़ नहीं गिरीं। हमेशा यह रहता है कि जब-जब देश में यह मालूम होता है कि अनाज की पैदावार कम हुई है तो जो ग्रेन डीलर्स हैं, बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वह हमेशा अपने स्टाक को विथ-होल्ड कर लेते हैं, अपने स्टाक को बाज़ार में रिलीज़ नहीं करते हैं। इसलिए आप जो यह एक्स्पेक्टेशन निकालते हैं कि हारवेस्ट के बाद में भाव गिर जाते हैं, वह गलत है। इसलिये मैं समझता हूँ कि १० पर्सेन्ट का मार्जिन देते हैं तो वह भी न्यायसंगत नहीं होगा।

तीसरा सवाल आपकी तरफ से यह आता है वेयर एन्ड टेयर का। जो ट्रान्जेक्शन करते हैं उसमें हो सकता है बीज खराब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर में जो ग्रेन डीलर्स हैं, जो ग्रेन डील करते हैं उनका भी वेयर-टेयर होता है, लेकिन फिर भी हम उनको एलॉउ नहीं करते हैं १३ पर्सेन्ट प्राइस ज्यादा चार्ज करने के लिए। उसको हम एलॉउ नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ हम प्राइवेट सिटीजन को एलॉउ नहीं कर सकते हैं, उसको सरकार के लिये क्यों मान लें कि सरकार को एलॉउ कर देना चाहिए। यह तो कोई साइन्टिफिक रीजन्स नहीं है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि साढ़े सात सेर की बाढ़ी लेना ठीक होता है, क्योंकि साइन्टिफिक्ली हम देखेंगे तो बाढ़ी डेढ़ सेर या दो सेर की ले सकते हैं और प्राइस फ्लक्चुएशन को मानकर चलते है तो वह तीन, साढ़े तीन सेर की लगती है तो वह ठीक होती है। लेकिन इससे आगे कभी ठीक नहीं हो सकती। दूसरी बात यह भी सही है कि हम जानते हैं कि इसमें सरकार को नुकसान हो भी सकता है लेकिन, जो नुकसान होगा वह सरकार के मिसमैनेजमेन्ट की वजह से होगा। आज यहां जो सोढ़े सात सेर बाढ़ी देते हैं, हमने कई जगह देखा है कि जो बीज दिया जाता है, वह यह मान कर दिया जाता है कि बीज सब अच्छा है, लेकिन उसमें एक मन के पीछे तीन, चार सेर पत्थर, भूसा, करदा आदि निकलता है तो जहां आपने एक मन सप्लाई किया है वहां दरअसल में उसके पास एक मन नहीं पहुँचता है, बल्कि उसके पास बीज एक मन से तीन चार सेर कम पहुँचता है। इसलिये आपने किसान को जो बीज सप्लाई किया

(श्री पी० के० चौधरी)

और उस पर बाढ़ी लिया, वह यह जानकर लिया कि ४० सेर पूरा बीज सप्लाई किया, इसलिये ले रहे हैं। लेकिन हकीकत में ४० सेर उसको नहीं दिया गया है बल्कि उसमें से ३-४ सेर खराब निकलता है। यह तो आपने जो अच्छे से अच्छा बीज दिया है उसकी बात है, लेकिन आज जिस ढंग से बीज की सप्लाई चल रही है, मेरा खुद का तजुर्बा है, अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएन्सी में एक जगह ढाई हजार मन अनाज किसी विशेष शर्तें पर खरीदा गया बीज के लिये इसके बारे में मैंने शिकायत की कलेक्टर साहब के पास कि जो ढाई हजार मन अनाज आपने बीज के लिये खरीदा है, जोबनेर ब्लॉक में, उसमें से कुछ तो सीड के काबिल है और बाकी खराब है। उसके लिए कलेक्टर साहब की तरफ से बताया जाता है कि हमने इन्क्वायरी करा ली है और एम. एल. ए. साहब ने जो शिकायत की है, वह गलत है। मैंने जब इसकी जांच कराई तो मुझे पता चला कि वहां के जो एस. डी. एम. थे उनकी मार्फत इन्क्वायरी कराई गई थी और उन्हीं एस. डी. एम. की मार्फत बीज खरीदा गया था। उन्होंने जिससे बीज खरीदा था उसके रिश्तेदारों की गवाही लेली। जिसने ढाई हजार मन बीज की सप्लाई की है, वह या उसके रिश्तेदार कब कहेंगे कि बीज खराब है। मैंने फिर उनके पास आदमी भेजा उसने एस. डी. एम. से कहा कि आप खुद चलिये सांभर के गोदाम पर और अपनी नजरों से देख लीजिये कि कितना अनाज अच्छा है और कितना खराब है। तब एस. डी. एम साहब फरमाते हैं कि दिवाली की छुट्टी के बाद १७ तारीख को आप सबूत लेकर और गवाही लेकर आ जावें तब उसने कहा कि मेरी लड़की की शादी नहीं है जो मैं १७ तारीख को गवाही लेकर आऊंगा। आपको देखना है तो खुद चल कर देख लीजिये। आपने जिस आदमी से खरीद किया है उसी आदमी को और उसके रिश्तेदारों की गवाही लेते हैं और पूछते हैं कि अनाज खराब है या नहीं। इस तरह की गलती मैंने गवर्नमेन्ट की चलती है। आप जो बीज के लिये अनाज लाते हैं उसमें से ३० पर्सेन्ट, ४० पर्सेन्ट खराब निकलता है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सीड के पर्पज के लिये जो अनाज आया है वह पंजाब से खरीदा हुआ आया है, वहां पर वह अनाज सीड पर्पज के लिये स्टोर्ड नहीं था, बल्कि होडर्स से सीज किया हुआ था, जिसमें से ४० पर्सेन्ट करीब खराब था। यह मैं डेवलपमेन्ट कौंसिल के सामने जो बात आई थी, वह बता रहा हूँ। हमारे सामने एग्रीकल्चर ऑफीसर ने कहा कि बीज ठीक है, लेकिन एक सैंपल उसी मीटिंग में, उनके सामने रखा तो कहा कि यह तो मैंने खुद ने देखा है और एक दूसरे एम. एल. ए. साहब ने कहा कि यह बीज खराब है, आपने खुद ने सीज किया था तो उन्होंने कहा कि यह खराब है; इसका ४० पर्सेन्ट खराब है। जब नजर के सामने कोई चीज आती है तो उसको कबूल करते हैं, लेकिन कागजी रिपोर्ट कुछ और बनाई जाती है। मैंने यह पॉइन्ट इसलिए कहा कि आज सरकार की तरफ से आर्ग्युमेन्ट देते हैं कि साढ़े सात पर्सेन्ट बाढ़ी लेंगे तो हमको नुकसान रहेगा और हम मैनेजमेन्ट नहीं कर पायेंगे। लेकिन यह जो नुकसान है वह नॉर्मल ट्रान्जेक्शन का नहीं है। किसी मिडिल मैन को आप ३८ पर्सेन्ट ज्यादा नहीं दे सकते। १ या दो पर्सेन्ट ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन ३८ पर्सेन्ट ओवर ऑल चार्जेज मिडिलमैन को उसकी सर्विस के मिल जायें, यह कल्पना कोई आदमी नहीं कर सकता है। सर्विस चार्ज एक जगह कलेक्ट करके दूसरी जगह डिस्ट्रिब्यूट करने का चार्ज ३८ पर्सेन्ट हो

(श्री पी० के० चौधरी)

सकता है यह किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। आप यदि कहेंगे कि सिर्फ ट्रान्सफर एण्ड डिस्ट्रीब्युशन, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का चार्ज कोई व्यक्ति ३८ पर्सेन्ट करता है तो उसको चोरी, ब्लैक मार्केटिंग और कालाबाज़ारी कहेंगे। लेकिन सरकार इतना चार्ज देती है, लेकिन नॉर्मल ट्रान्जेक्शन में २८ पर्सेन्ट जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन आपके सही होता होगा और ३८ पर्सेन्ट चार्ज नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन यदि आपको नुकसान होता है तो आपके मिस-मैनेज़मेन्ट को वजह से होता होगा। मिस मैनेजमेन्ट की वजह से ट्रान्जेक्शन नहीं कर पाते तो यह आपका लैक ऑफ कन्ट्रोल, लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से है बल्कि मैं समझता हूँ मैनेजमेन्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आखिर मैंने शिकायत की थी, उनको सोचना चाहिये था कि एम० एल० ए० है, जिम्मेदार व्यक्ति है, उसने शिकायत की है तो उसमें सेन्स होगी और फिर जब मैं आदमी भेजता हूँ तो कहते हैं कि गवाही लेकर फलां तारीख को उस जगह पर आ जाना। क्या उसकी लड़की की शादी है जो गवाही लेकर वहां पर आयगा। यह गवर्नमेंट के खुद के इन्ट्रेस्ट की बात है। कोई कहता है कि माल आपके गोदाम में पड़ा है, देख लीजिए तो वहां जाकर देखते तो नहीं हैं, और कहते हैं कि गलत शिकायत है। तो मैं यह कह रहा था कि ३८ पर्सेन्ट का रिटर्न साबित नहीं हो सकता। सही माने में क्रोप लोन को लेंगे तो ७।। पर्सेन्ट होता है और उस पर १।। सेर की बाड़ी आती है और १७।। पर्सेन्ट से ज्यादा तो किसी भी हालत में नहीं देना चाहिये। १२।। पर्सेन्ट से ढाई सेर की बाड़ी आती है और १७।। पर्सेन्ट लेंगे तो ३।। सेर की बाड़ी आती है। तो यदि आपको बाड़ी लेनी है तो इतनी ले सकते हैं, लेकिन जो मिकदार है, उससे ज्यादा डिमान्ड करते हैं तो वह जस्टिफाइड नहीं है। आपके मिस मैनेजमेन्ट की वजह से किसानों को नुकसान भुगतना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है। आपका मैनेजमेन्ट अच्छा होता है तो आप इससे नफा कमाते हैं, साढ़े सात पर्सेन्ट लेते हैं तो आपको मुनाफा होता है you would have a profit or 20 percent. जो आपका मैनेजमेन्ट अच्छा होता तो आपका नो प्रोफिट नो लॉस इससे नहीं बढ़ता। लेकिन मिस-मैनेजमेन्ट के कारण you are compelling the peasants to pay the price of your mis-management to the extent of 20 percent of this purchase, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसे साइन्टिफिक बेसिस पर देखा जाय तो मूवर ऑफ दी रिज़ोल्युशन ने जो फिगर्स रखे हैं, ढाई सेर बाड़ी के, वह जाकर १२।। पर्सेन्ट पड़ता है, जो जस्टिफाइड है वही करना चाहिये। उन्होंने इसको अपने मन से ही नहीं रखा है। उन्होंने बताया है कि अजमेर राज्य में इतना ही लिया जाता था। अजमेर उस टाइम में सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कन्ट्रोल में था। वहां पर जो कुछ भी किया जाता था, वह सेन्टर की टैक्निकल एडवाइस पर किया जाता था। उन्होंने किसी साइन्टिफिक बेसिस पर किया है, यह नहीं कि किसी एग्रीकल्चर ऑफीसर के सिखावे में आ गये या मिनिस्टर के कहने में आ गये इसलिये किया है, बल्कि साइन्टिफिकल केल्कुलेशन करके मिडिल मैन को क्या देना चाहिये, वह दिया है। इसलिये जो ढाई सेर का रिज़ोल्युशन लाये हैं वह बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इसे मन्जूर करना चाहिये। वे रेवेन्यु लूज़ करते हैं तो मिस-मैनेजमेन्ट की वजह से करते हैं।

३ म० प०

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : आदरणीय सभापति महोदय, सदन के समक्ष जो संकल्प है, मैं उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूं। श्रीमान् यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ने वाला है कि सरकार यदि ढाई सेर फी मन बाड़ी के बजाय साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी के जो सरकार किसान से बीज वितरण के समय लेती है। सरकार ले सकती है, जैसा कि उसका निश्चय है, परन्तु इस प्रस्ताव में यह कहा है कि अजमेर राज्य ने यह कह दिया था कि बाढ़ी सिस्टम में हमें ढाई सेर फी मन बाढ़ी लेनी चाहिए, बजाय पांच सेर, या सात सेर या दस सेर के उसके पीछे एक भावना छिपी हुई थी और वह यह थी कि आज हम इस बात की घोषणा करते हैं हमने अपने सामने यह लक्ष्य रखा है कि हम देश में समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं। यह संकल्प, अथवा हमारा यह ध्येय, मैं मानता हूं बहुत दूर की चीज होगी प न्तु जो किसानों के सामने रोज़मर्रा के प्रश्न पैदा होते हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि किसान सोचता है कि सरकार उन प्रश्नों को किस तरीके से तय करना चाहती है। यदि हमारा दृष्टिकोण, जो दृष्टिकोण सन् १९४७ के पहले था, वही होता है तो चाहे उनके सामने कितने ही आदर्श रख दें, कितने ही बड़े बड़े ध्येय रख दें, उनके दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं आने वाला है। वह हरदम यह सोचेगा कि जिस प्रकार भेड़ होती है, अब चाहे भेड़ की लूनाई करने के काम को सेठ करे, किसान करे, करोड़पति करे या मज़दूर करे परन्तु उसकी ऊन की कटाई उसी प्रकार बारह मास में करते हैं, जिस प्रकार पहले आदमी करता आ रहा था तो उस भेड़ के कोई अन्तर नहीं है। तो श्रीमान, यह ठीक है कि जो चीज़ साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी आप लेने वाले हैं, आप ले लेंगे। परन्तु हमारे सौभाग्य की बात यह है कि कृषि मंत्रीजी, जिन्होंने किसान का हृदय पाया है, क्योंकि उन्होंने स्वयं किसान के घर में जन्म पाया है, मैं कहूंगा कि वे थोड़ा इस पर विचार करें। इस दृष्टिकोण से नहीं सोचें कि क्योंकि उन्होंने निश्चय किया है। जो सरकार का दृष्टिकोण है, इसके अनुसार काम करते आ रहे हैं। अजमेर में जिस समय बाढ़ी सिस्टम शुरू किया। उसका कारण यह था कि हमने वहां बम्बई मनी लैंडर्स एक्ट लगाया, और इस तरह से जो किसान पर बर्षों से कर्ज़ा चला आ रहा था, उसको बम्बई मनी लैंडर्स एक्ट के मातहत फैसला करना तय किया। हम यह जानते थे कि गांवों में जो बैंकिंग का वर्क है, किसान लोगों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बैंकिंग का काम महाजन किया करता था। अजमेर राज्य का इतिहास कर्नल डिक्सन ने लिखा है, उसमें उन्होंने बतलाया है कि मैंने गांव के निवासियों को किसान बनाया, क्योंकि पहले जो लोग गांवों में रहा करते थे, वे लूट मार किया करते थे। उन्होंने बतलाया है कि रूरल इकोनॉमी बनाये रखने का प्रश्न मेरे सामने था, यह भी प्रश्न था कि किस तरह किसानों को किसान बनाया जाय किस प्रकार उनको खेतिहर बनाया जाय, उन निवासियों को खेतिहर बनाये रखने के लिए बैंकिंग की आवश्यकता हुई, कौन उनको पैसा देगा तो गांवों में जा जा कर उन्होंने महाजनों को गांवों में बसाया, वे किसानों की बैंकिंग की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जब हम समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं और समाज के अन्दर हर चीज़ को निर्धारित कर देना चाहते हैं, तब यह प्रश्न पैदा होता है कि आज तक किसानों की पैसे की आवश्यकता को गांवों में महाजन पूरी किया करता था, अगर उस महा-

(श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा)

जन के प्रतिकूल इस प्रकार का कानून बनाया जाता है तो वह किसानों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा, तो सरकार के ऊपर यह उत्तरदायित्व आ जाता है, वह किसानों की आवश्यकता की पूर्ति करे। इसलिए किसानों के सामने जो रोज़मर्रा के प्रश्न पैदा होते हैं जब कि उससे ज़मीन का हासिल लिया जाता है उस जमीन का लैंड रेवेन्यु वसूल किया जाता है, तो यह देखें कि वह उसकी सीमा के मुताबिक है या नहीं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप ज़मींदारी और बिस्वेदारी अबॉलिश कर रहे जा रहे हैं किन्तु आपने माप-दंड वही रखा है। जो किसान उस समय वहां पर टिनेन्ट हैं, जो कर वे वहां दे रहे हैं, किसान जो राजस्व कर अपनी जमीन के ऊपर उस जमींदार को दे रहे थे, सरकार भी उनसे वही लेगी। लेकिन किसान से पहले महाजन एक मन के पीछे पांच सेर बाढ़ी ले रहा था, अब आप पांच सेर के बजाय साढ़े सेर बाढ़ी लेंगे। तो किसान के सामने आज अन्तर क्या हुआ। किसानों में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वे महसूस करते हैं, कि शहर के लोगों से जो आप इन्कमटैक्स वसूल करते हैं, उसके अन्दर एक स्लेब सिस्टम है, जो व्यक्ति तीन हज़ार से ज्यादा आमदनी पैदा करता है, उससे इन्कम टैक्स वसूल किया जायगा। लेकिन जो ढाई हज़ार या तीन हजार की आमदनी करता है उससे टैक्स वसूल कियाजायगा। किन्तु किसानों के लिए आपने रखा है कि हर किसान को लैंड रेवेन्यु देना पड़ेगा, अगर एक किसान के पास एक चप्पा ज़मीन भी है, तो लैंड रेवेन्यु देना पड़ेगा हासिल सरकार को देना पड़ेगा आप जिस दृष्टिकोण से चल रहे हैं उसी पर चलता रहना चाहते हैं। यह ठीक है कि पहले १/३ बांटा लिया जाता था, आधा बांटा लिया जाता है, आपने रेश्यो १/६ रखा है, लेकिन उन लोगों को आपने राहत नहीं दी जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी के हैं, जो अपने जीवन में अपना और बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकते। उनके सामने विशेष कठिनाई यह होती है कि वे किस तरह से अपनी उदर पूर्ति करें तो अब किसान को आवश्यकता के अन्दर महाजन बीज देगा नहीं, और कोई देगा नहीं, तब भले ही सरकार उससे साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी ले, उसे बीज लेने हैं क्योंकि वह अपनी आदत से लाचार है, उसने वर्षों तक खेती की है। इसका लम्बा इतिहास है, जिसकी वजह से उसे खेती से फायदा होता हो या नहीं होता हो, वह खेती करेगा। चाहे बरसात हो या नहीं, उसे यह विश्वास है कि बरसात होगी और पैदावार होगी। तो अगर सरकार उनसे, जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है, साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी लेती है तो भी वे बीज लेंगे। अजमेर राज्य में जब हमने बाढ़ी सिस्टम शुरू किया, एक इनेक्टमेंट लाये, उस समय उनको जो कर्ज़ा दे रहे थे, वह आठ आने ब्याज पर था अगर सिक्योर्डेड होता था, तो अगर किसान ने महाजन के पास में अपनी जमीन, अपना मकान अथवा अचल सम्पत्ति को मार्टगेज किया तो केवल ब्याज केवल आठ आने सैंकड़ा लगता था अगर सिक्योरडेंड नहीं है तो उससे १२ आने से ज्यादा वसूल नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमने यह तय किया कि अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा वसूल करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी, ऐसा कानून हमने बनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि महाजन लोगों ने, अथवा उन लोगों ने, जो उनको देते, उन्होंने नहीं देना शुरू किया। इस तरह जब रूरल इकोनॉमी

Page No.68

(श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा)

बनाने जा रहे थे, हमारे सामने प्रश्न यह आया कि जब महाजन पांच सेर बाढ़ी लेता था और गवर्नमेंट ने सात सेर या दस सेर बाढ़ी किसानों से लेना शुरू किया तो किसान के हृदय में किस प्रकार की भावना पैदा होगी, वह सोचेगा कि परिवर्तन वास्तव में हुआ है वास्तव में सरकार बदली है, अगर सरकार बदली है तो किसानों के लिए यह सोचती है या नहीं कि किसानों को तकलीफ होती है या नहीं। अगर सरकार ऐसा विचार नहीं करती है तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे महाजन से लेता है या सरकार से। वह सोचता है कि बोहरा किसान से एक मन पर पांच सेर बाढ़ी लेता था, उसके बजाय सरकार को साढ़े सात सेर देनी पड़ेगी। यह ठीक है, आज किसान को पता चल गया है कि उसके पास कोई दूसरा साधन नही हैं, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जिससे वह बाढ़ी को लेकर, धान को लेकर आये, इसलिए ला मोहाला लेना पड़ेगा, उसका जो हाल पहले था, इससे बदतर आज होता चला जा रहा है। सरकार कोई नियम नहीं बनाती है कि महाजन १०० रुपया देता है और १५० रुपया लिखवाता है और उसके लिए तकावी लोन देना शुरू किया। लेकिन यह बात है कि जो लोग किसानों की बैंकिंग का काम करते आ रहे थे, जो दूसरे लोग करते आ रहे थे, उससे किसान सम्बन्ध न रखें, तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि यह उत्तरदायित्व सरकार अपने ऊपर ले ले और ऐसे साधन जुटाये, किसानों की जो रोज़मर्रा की आवश्यकतायें हों, उनकी पूर्ति करें अगर सरकार ऐसा करती है तो वह बोहरों की आवश्यकता की पूर्ति कर देती है और फिर बोहरों को खत्म कर देती है तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आप ५ सेर बाढ़ी के बजाय साढ़े सात सेर बाढ़ी लेते हैं तो उनके सामने क्या फर्क पड़ता है हमारी केबिनेट के सामने प्रश्न आया था कि साढ़े सात सेर बाढ़ी, १० सेर बाढ़ी ली जाय। हमने कहा कि हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। इस प्रकार ढाई सेर बाढ़ी लेने का कैबिनेट ने फैसला किया और ढाई सेर बाढ़ी को वर्क आउट किया श्रीमान आप देखें, अगर स्टोरेज में डेस्ट्रक्शन वगैरह की दिक्कत आती है तो आपके पास वैज्ञानिक ढंग के साधन हैं, अगर आप यह कहें कि डेस्ट्रक्शन में बहुत जाता है तो महाजन साल भर तक अपना अनाज किस तरह अंबेर कर रख सकता है सरकार के पास तो वैज्ञानिक साधन हैं अनाज में लगने वाले कीटाणुओं को जो घुन लग जाते हैं, उनको किस प्रकार बन्द किया जा सकता है एक मकान में बन्द किया और वैज्ञानिक प्रयोग कीजिये इस प्रकार की दवा दीजिये कि सब खत्म हो जाय। यह कैसी अजीब बात है कि हम किसानों के दृष्टिकोण में चेंज नहीं ला सकते। एक तरफ तो हम समाजवादी सरकार का दावा करते हैं और दूसरी तरफ एक महाजन किसान से ५ सेर की बाढ़ी लेता है, उसके स्थान पर हम साढ़े सात की बाढ़ी लेते हैं; यह उचित नहीं कहा जा सकता। मैं आशा करता हूँ कि कृषि मंत्रीजी और सम्बन्धित अधिकारी बैठ कर इसको अच्छी तरह से वर्क आउट करेंगे और ढाई सेर की बाढ़ी का प्रबन्ध करेंगे।

अजमेर राज्य एक छोटी सी स्टेट थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज बहुत ज्यादा हो जाते थे, वहां राजस्थान इतनी बड़ी स्टेट है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज उसके रेश्यो से कम होने चाहिये। साढ़े सात लाख की पोपुलेशन पर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ बहुत ज्यादा होते थे। भारत सरकार का कोई प्रश्न इसमें पैदा नहीं होता। भारत सरकार इसे लेने

(श्री व्रजमोहनलाल शर्मा)

को तैयार है। तो मैं आशा करता हूँ कि कृषि मंत्रीजी इसकी घोषणा करेंगे और किसानों के अन्दर इस प्रकार से सोचने की भावना पैदा करेंगे कि महाजन किसान से बाढ़ी छीन कर रखता था, एक तरफ जमींदारी और बिस्वेदारी को खत्म कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ यह भी बहुत आवश्यक हो जाता है। एक दफा मैंने कृषि मंत्रीजी से बात की थी उन्होंने कहा था कि साढ़े सात सेर की बाढ़ी के बगैर काम नहीं चल सकता, सरकार को बड़ा नुकसान होता है। मेरा निवेदन है कि इसको अच्छी तरह से सोच कर वर्क आउट करें तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान भी होता है तो किसानों की भावना के अन्दर एक चेंज लाने के लिए, उनको राहत पहुँचाने के लिए वह बर्दाश्त किया जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): माननीय सभापति महोदय, जहां तक मैंने इस वाद-विवाद को सुना है, एक बात मेरी समझ में आई है कि साढ़े सात सेर की बाढ़ी से न किसानों को नुकसान है और न सरकार को नुकसान है। कारण यह है कि नियम इतने त्रुटिपूर्ण हैं कि सरकार को और काश्तकारों को इससे नुकसान नहीं है। नियम इस प्रकार के हैं कि बाढ़ी का अनाज वापिस लिया जाता है, उस वक्त ६० पर्सेन्ट प्रायोरिटी का अनाज देना चाहिये उस वक्त काश्तकार काइन्ड में देना चाहे तो साढ़े सात सेर के हिसाब से वापिस ले लेती है। सम्बन्धित अधिकारियों से मिलने और व्यक्तिगत अनुभव से मुझे पता लगा है कि किसान रद्दी अनाज देते हैं, इस कारण उसको बेचा जाता है, उसको दुबारा बीज के लिये नहीं दिया जा सकता। किसान अच्छे से अच्छा बीज लेते हैं और वापिस उसके बदले रद्दी से रद्दी देते हैं। सरकार के नियम हैं कि तोल का पूरा होना चाहिये। तौल का पूरा अनाज दे दिया है, तो सरकार के ऐसे नियम हैं कि सरकार को उस अनाज को लेना पड़ता है। साढ़े सात पर्सेन्ट के हिसाब से लेने के बाद में सरकार के पास जो अनाज आता है वह वापिस बीज के लिये नहीं जाता है। बीज के लिये हमें हमेशा बाहर से अनाज मंगाना पड़ता है और उस समय जो बीज के लिये अनाज आता है, वह मंहगा होता है। जो बाढ़ी का अनाज आता है, उसको सरकार नीलाम से बेचती है। बाज़ार में यदि २६ रुपये मन का भाव होता है तो वह १५-१६ रुपया मन के हिसाब से बिकता है। तो जो डिफरेंस पड़ता है उसमें सरकार को साढ़े सात का वापिस रखना पड़ता है, उसमें न सरकार को नुकसान होता है, न किसान को। इससे नुकसान होता है हमारे देश को, हमारे देश में जो खाद्यान्न की कमी है वह दूर नहीं होती है और इसके कारण हमारे सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार पनपता है। ऐसी सूरत में जब तक कि नियमों में सुधार नहीं कर दिया जाता, तब तक यदि ढाई सेर की बाढ़ी रखी जायगी तो इससे सरकार को नुकसान होगा। यह भी मालूम हुआ है कि सरकारी अधिकारी अच्छा अनाज रख लेते हैं, अपनी घर की जरूरियात के लिए सरकारी अधिकारी अच्छा अनाज रख लेते हैं और उसके स्थान में रद्दी घुना हुआ अनाज रख देते हैं और कह देते हैं कि यह अनाज किसानों से वापिस मिला है। जब तक इन सब बातों में सुधार नहीं हो तब तक यह दलील देना कि सरकार को नुकसान होता है, कोई माने नहीं रखता। ब्याज की दर को बाढ़ी के हिसाब से फैलाते हैं तो ३६ पर्सेन्ट पड़ता है जो हर

Page No.70

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हालत में उचित नहीं है । ब्याज की दर पर नियन्त्रण करने के लिये एक विधेयक सरकार ने बनाया था, जिसको प्रवर समिति में भेजा गया था, मन्त्री महोदय भी उस प्रवर समिति में थे तो उस दर से यह दर बहुत अधिक है । इसलिये, इसको कम करना चाहिये और सरकार को जांच करनी चाहिये कि आज किस तरीके से काम चल रहा है । आज हमें कैश में कहीं रकम नहीं मिलती है । कैश में लेना चाहिये, पर कोई काश्तकार कैश में नहीं देता । क्योंकि इसमें छूट मिली हुई है कि जितना रद्दी से रद्दी अनाज हो वह सरकार के माथे मढ़े । तो इससे काश्तकार भी आराम में हैं, सरकार भी आराम में है, न सरकार को नुकसान है, न काश्तकार को नुकसान है, और जो सरकारी अधिकारी हैं वे मौज में हैं ।

इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूं पर साथ ही मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि नियमों में सुधार किया जाय ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, अभी इसमें काफी वाद-विवाद हो सकता है, इस पर काफी वाद-विवाद चुका है, इसलिए, मैं मूव करता हूं कि now question be put.

श्री मुकिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, ढाई सेर की बाड़ी का श्री सज्जनसिंह ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं । मेरे पिताजी, दादाजी और पड़ दादाजी के समय की बात बताता हूँ कि ५ सेर से ज्यादा बाड़ी हम बनियों ने कभी नहीं ली । पर सरकार साढ़े सात सेर की बाड़ी लेती है और इतनी ज्यादा बाड़ी लेने पर भी जितनी डिग्री का अनाज एग्रीकल्चर महकमे को देना चाहिये, वह नहीं देता है, उतनी डिग्री का अनाज एग्रीकल्चर महकमे के पास है ही नहीं । साढ़े सात सेर की बाड़ी पर ५०-६० डिग्री का अनाज दे और साढ़े सात सेर की बाड़ी ले और जहां ब्लॉक खुले हैं वहां कहे कि आपके ब्लॉक में एग्रीकल्चर की ज्यादा तरक्की की जाय । यह कहां तक उचित होगा । राजस्थान में जितने ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स में ज्यादातर पैसा एग्रीकल्चर पर खर्च किया जाता है । ज्यादातर किसी एग्रीकल्चरिस्ट पर खर्च किया जाता है । परन्तु माननीय सभापति महोदय, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी जिस तरह का प्रबन्ध होना चाहिये, नहीं होता और मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऑफिसरों की मशीनरी में जो पैसा खर्च होता है बस वही खर्च होता है बाकी काश्तकारों के नाम लेकर, एग्रीकल्चरिस्ट के नाम लेकर जो ब्लॉक्स खोले जाते हैं उसका उपयोग उनके लिये नहीं होता है और मैंने अपने एरिया में ब्लॉक खोलने के बाद यदि एक रु० भी किसी काम में खर्च किया गया हो, ऐसा नहीं देखा और इस बात को आज ५ महीने हो गये हैं । इसलिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ७॥ सेर की बाड़ी है, उसको कौन लेगा । इसके लिये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने किया था । वे कहते कि ऑफिसर लोग लेंगे । आपके असेम्बली में पास हो गया । हम कम नहीं कर सकते । अगर कोई असेम्बली में गलत बात पास हो तो जिस तरह आप दूसरी बातों के लिये इमिडियेट नोटिस निकालते हैं, उसी तरह से इमिडिएट नोटिस निकालना चाहिये । ७॥ सेर बाड़ी के लिए......

एक माननीय सदस्य : असेम्बली में कब पास हुआ ?

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, ७॥ सेर की बाढ़ी जो है बहुत ज्यादा है । अगर एग्रीकल्चरिस्ट को उन्नत बनाना है तो सरकार को चाहिये कि जितनी डिग्री का माल देवे उसी डिग्री का माल वापिस ले । जब काश्तकार से माल वापिस आवेगा तो वह पड़ा रहेगा और दो साल के बाद वह माल ५० डिग्री का हो जाता है । यह आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी के रूज हैं । यानी ७५ डिग्री का माल दो या अढ़ाई वर्षों में ५० डिग्री का हो जाता है । मगर उस माल को भी यह बता कर कि यह माल ७५ डिग्री का या ८० डिग्री का है, उन काश्तकारों को देना जबकि वह माल उस डिग्री का नहीं है वह तो ५० डिग्री का ही है, यदि आप उस माल को ५० डिग्री का बताते हैं तो वह माल केवल ३० डिग्री का ही है ।

एक माननीय सदस्य : यह डिग्री क्या है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति महोदय, आखिर आपको एग्रीकल्चरिस्ट को देना है और माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया कि इसके लिये कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिये । इसको आपको पनपाना है । इसमें ७॥ सेर की बाढ़ी की बात कही है उसमें २॥ सेर के लिये जो बात है, अगर माननीय मन्त्री महोदय उसको मान लेते हैं तो बड़ी खुशी की बात है और अगर २॥ सेर की बात को नहीं मानते हैं तो मैं यह कहूंगा कि ३॥ सेर भी कर लें, तो भी बुरा नहीं है । सेर भर कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ रख ले और २॥ सेर गवर्नमेंट ले ले क्योंकि आप जानते हैं कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को भी खर्च करना पड़ता है । आदमी रखने पड़ते हैं, उसका खर्चा उसको लगता है । इसलिये इतना तो डिफरेन्स रखना चाहिये । मगर ७॥ सेर का है, वह गलत है । जब आप बाढ़ी ७॥ सेर लेंगे तो इस वक्त महंगाई का ज़माना है और गेहूँ का भाव अब भी बाज़ार के अन्दर जब दो-दो रुपये के गेहूं लोगों को मिलते हैं, लेकिन फिर भी गेहूं २४ रु० या २५ रु० मन का है । २४ रु० या २५ रु० के भाव में आप ले लें और बाढ़ी के अलावा कीमत दे दें । आज काश्तकार यह सोचता है कि बाढ़ी देंगे, उसमें हमको दिक्कत होगी । काश्तकार यह चाहता है कि हम पैसा दे दें और हमको अनाज मिल जावे और हम हाथ के हाथ पैसा ले लें । तो कीमतन के लिए भी मेरी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि कीमत और बाढ़ी दोनों का एक साथ हिसाब लेकर तय किया जावे तो पूरा पड़ सकता है क्योंकि सरकार को अनाज तो एग्रीकल्चरिस्ट के लिये देना है । इसके अलावा कुछ रूल्स भी तय करने चाहिये जो अभी तक नहीं किये गये हैं । रूल्स इस बात के लिये, कि किसी काश्तकार को कितना धान दिया जावे । किसी काश्तकार को एक मन की ज़रूरत है मगर वह दो मन अनाज ले जाता है । वह बाढ़ी जरूर देता है परन्तु सरकार को वैसा अनाज नहीं मिलता है, जिस प्रकार का अनाज किसान ले जाता है । इसके अलावा उन लोगों को जिनको अनाज की ज्यादा ज़रूरत होती है, उनको अनाज नहीं मिलता । इसलिये सरकार को सब तरह के अनाज रखने चाहिये, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा आदि । सरकार ने गेहूँ ही गेहूँ दे दिये और जौ, बाजरा व चना नहीं दिया, इससे किसान का काम रुक जावेगा । इसलिये, मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है कि सरकार को सब तरह के अनाज, काश्तकारों को देने चाहिये, और उनकी रेट और बाढ़ी आदि का हिसाब सब तरह से ठीक रखना चाहिये, तब तो काश्तकार संतुष्ट होकर अनाज

(मुक्तिलाल मोदी)

वापिस देंगे। यदि उनको बीज प्राप्त करने में कोई दिक्कत आई तो बनिये के पास से लेना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कहते हैं कि सरकार के बजाय तो उन ऑफि-सरों के पास जाना और जमा कराना और उन लोगों को रिश्वत देना आदि की सब दिक्कतें दूर हो जाती हैं। सरकार के अधि-कारियों के पास जाने से काश्तकारों को डर लगता है। क्योंकि काश्तकार पढ़े-लिखे तो बहुत कम होते हैं, वे हिसाब आदि भी नहीं समझते। इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि जो माल खरीदा जावे या बाड़ी से लिया जावे उसका हिसाब ठीक रखा जाना चाहिये। इसके अलावा किसानों को सब तरह का अनाज मिलना चाहिये। इसके अलावा काश्तकार से यदि घटिया किस्म का अनाज आवे, उसको सरकार को चाहिये कि बेच दे अपने पास नहीं रखे। उसे गोदामों में नहीं रखना चाहिये, वह काश्तकारों के पास चला जावेगा और बीज की क्वालिटी गिर जावेगी, और सरकार से तो मेरी यह प्रार्थना है कि इस पर ध्यान दें और काश्त-कारों के लिये जो रास्ता अच्छा हो, वही अपनावें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैंने निवेदन किया..........

श्री सभापति : मास्टर साहब को बोलने दीजिये।

श्री रामचन्द्र (डग) : सभापति महोदय, माननीय श्री सज्जनसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि बीज वितरण पर ७॥ सेर की बाड़ी ली जाती है वह बहुत अधिक है, उसे कम किया जाना चाहिये और उन्होंने इस संकल्प के सपोर्ट में लेखा-जोखा के साथ कुछ हिसाब भी पेश किया है कि ७॥ सेर बाड़ी लेने से किसान से सरकार को ३७ अथवा ३८ परसेन्ट ब्याज के रूप में मिल जाता है। अब हमें यह देखना है कि बीज वितरण में बाड़ी की प्रथा कोई नवीन प्रथा नहीं है। यह बहुत प्राचीन प्रथा है और आज इस पर विचार करने के पेश्तर हमें थोड़ा सा पुराने ज़माने की तरफ, जब अनाज सस्ता था, ध्यान देना होगा। आज अनाज वितरण पर जो बाड़ी ली जाती है वह केवल २॥ सेर ही अधिक ली जाती है यह तो एक साधारण सा प्रश्न है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि इस पर इतने वाद-विवाद का खास कारण आज की खाद्य समस्या है। महंगाई का ज़माना है। पुराने जमाने में दो सेर धान किसी को भी दे देना किसानों के लिये एक साधारण सी बात थी। आज २॥ सेर अनाज कम लिया जावे तो एक रुपये का फायदा होता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यह प्रस्ताव सदन में रखा गया है। सभापति महोदय, इसमें कमी करने से किसानों को एक रुपये का फायदा हो अथवा दो रुपये का या फायदा नहीं हो, प्रश्न यह नहीं है। मूल बात तो इसमें यह है कि सरकार ने बीज वितरण की जो प्रणाली बना रखी है वह प्रणाली किसानों के लिये ऐसी हानिकारक सिद्ध हो रही है कि किसान ७॥ सेर की बाड़ी से उतना नहीं घब-ड़ाता जितना उसको बीज प्राप्त करने में जो दिक्कतें आती हैं, उनसे घबड़ाता है। इसलिये मैं कहूंगा कि प्रस्ताव जो लाया गया है, उसके अनुसार ज़रूर किसानों को रियायत मिलनी चाहिये। साथ ही साथ सरकार ने जो किसानों को बीज वितरण के लिए वर्तमान प्रणाली बना रखी है उसको सुधारने की बहुत ज्यादा ज़रूरत है क्योंकि बीज प्रणाली को आप

(श्री रामचन्द्र)

जितनी ही सुविधाजनक बनावेंगे काश्तकारों को उतना ही अधिक रिलीफ मिलेगा, और आज अधिक अन्न उपजाओ का आन्दोलन चल रहा है, और जिसके लिए सरकार इतनी प्रयत्नशील है और करोड़ों रुपया खर्च कर रही है वह अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस रिलीफ के साथ-साथ सरकार की ओर से इस अपनी प्रणाली में भी संशोधन करने की आवश्यकता है।

अब हमें यह देखना है और सरकार को भी विचार करना है कि बाड़ी की जो प्रणाली चली हुई है, जिसकी वजह से आज हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ है, इसके समान ही और दूसरी प्रणाली कौन सी हो सकती है जिसके द्वारा किसानों को आसानी से समय पर बीज मिल सके और वे लोग अधिक अन्न उपजा सकें, इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार एक कमेटी का निर्माण करे और फिर एक नवीन सुगम प्रणाली का सुझाव मांगे और जांच करे कि वह किसानों की वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान रखते हुए और अनाज के बढ़ते हुए भावों को देखते हुए, बीज वितरण का सुगम से सुगम तरीका ढूंढ़ निकाले। क्योंकि आज बीज प्राप्त करने में किसानों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको जगह-जगह भटकना पड़ता है और बीज जिस ढंग का मिल रहा है और सरकार जितना रुपया खर्च कर रही है उसका किसानों को कितना फायदा हो रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यदि कमेटी विचार करेगी तो मैं आशा करता हूं कि किसान को जितना २।। सेर अनाज कम देने से रिलीफ मिलेगा उतना और उससे अधिक रिलीफ उस नई प्रणाली के द्वारा मिल सकेगा। वहां हमें यह भी देखना है कि बाड़ी की प्रणाली एक भारतीय प्रणाली है। क्या और देशों में भी किसानों को बीज वितरण करने के लिए इसके सामानान्तर कोई दूसरी प्रणाली है? अगर है तो हमारी और उनकी प्रणाली में कितना अन्तर है और उनकी प्रणाली कितनी लाभदायक सिद्ध हो सकती है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिये। इसलिये माननीय श्री सज्जनसिंह ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और यह निवेदन करूंगा कि इससे किसानों को रिलीफ मिलेगा। उनको अधिक लाभ होगा और साथ ही साथ मैं इस पर बात भी अधिक जोर दूंगा कि मौजूदा बीज वितरण की प्रणाली को और भी अधिक सुगम बनाने का प्रयत्न किया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): माननीय सभापतिजी, इस सदन के समक्ष जो एक प्रस्ताव बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया, वह मैंने गौर से पढ़ा और उस पर जो संशोधन इस सदन के दो माननीय सदस्यों ने रखे और वे जो शब्दों का रद्दोबदल चाहते हैं उनको भी मैंने देखा। इस सिलसिले में इस सदन के माननीय सदस्यों ने, जो इस प्रस्ताव के समर्थन में बोले हैं, मेरे ख्याल से इस प्रस्ताव के विपक्ष में इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोले, सब ही ने, अपनी अपनी दलीलें दी हैं। मुझे यह बड़ी खुशी हुई कि किसानों का फायदा, किसानों का हित और किसानों की भलाई की बात हमारे सदन के माननीय सदस्य, चाहे वे इधर बैठते हों, चाहे उधर बैठते हों, चाहे वे किसी पार्टी को बिलोंग करते हों, जो इस प्रस्ताव के सिलसिले में राय दी है उन सब ने ही यह कहा कि किसानों के लिए

Page No.74

(श्री नाथूराम मिर्धा)

७॥ सेर की बाढ़ी नहीं रखनी चाहिये, उसको २॥ सेर की बाढ़ी कर देना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, अगर इस तरह का प्रस्ताव इस सदन के कोई माननीय सदस्य यहां लाकर पेश करते कि किसानों से कोई भी बाढ़ी न ली जाय, जितना बीज उसको दिया जाय, उतना ही उससे वापिस ले लिया जाय, तो मेरे ख्याल में, उसके विरोध में कोई भी माननीय सदस्य खड़ा होकर नहीं कहता। मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूं कि अगर यह प्रस्ताव सदन में लाकर पेश कर दिया जाय कि किसानों को सरकार बीज वितरण मुफ्त में करे और उससे कोई पैसा न लिया जाय, बीज वसूली भी न की जाय, तो मैं यह मान कर चलता हूं कि फिर भी सदन का कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर यह नहीं कहेगा कि किसानों को बीज मुफ्त में न दिया जाय और उनसे वापिस बीज भी नहीं लिया जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह आपने कैसे मान लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) मैं मान कर चला हूं और कोई इस प्रकार का प्रस्ताव ले आये और यदि कोई उसके विरोध में बोले तो मैं आपको बताऊंगा।

मैं मानता हूं कि किसानों की अहमियत इस भारत देश में भी काफी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश की ८० फीसदी जनता किसान है और हमारे देश का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है जो वे कर रहे हैं, हमारे देश की इकोनोमी में किसानों का स्थान बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ाने के सिलसिले में जिन जिन साधनों की पहले कमी रही थी, उन साधनों को ज्यादा से ज्यादा रूप में उपलब्ध करने के लिए सरकार का क्या सहयोग हो सकता है, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि कृषकों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाय, सुधरे हुए तरीकों से खेती कराई जाय. सुधरे हुए तरीकों के लिऐ जो आवश्यकता हैं, उनको पूरा किया जाय। उन सब आवश्यकताओं में, मैं समझता हूं किसानों के बीज की कमी को पूरा करना--और सुधरे हुए बीज व औजारों की कमी को पूरा करना, हो सकता है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है उसको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा. जब से हमारे देश में स्वतन्त्रता आयी है, जब से जनतन्त्रवाद इस देश में शुरू हुआ है, उनके लिए उसके बाद से प्रयत्न शुरू हुए हैं। राजस्थान जिस समय बना था, अलग अलग रियासतें थीं, ४६ की बात है कि उस वक्त कई रियासतों में, एक-दो को छोड़ कर, कृषि नाम की संस्था नहीं थी। राजस्थान का एकीकरण हुआ, हमारे राजस्थान में कृषि विभाग कायम हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना में सारे का सारा नहीं कर पाये। पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक हमने यह सोचा कि किसानों को सुधरे हुए बीज की जरूरत को पूरा करने के लिए हमको कुछ इस दिशा में कदम उठाने चाहिये। कृषि विभाग ने इसमें कुछ काम करना शुरू किया। किसान को बीज हमेशा जमीन में बोना पड़ता है और बीज को लाने के लिये, मैं यह भी महसूस करता हूं कि आज से कुछ साल पहले सिवाय २०-२५ फीसदी किसानों को छोड़ कर बाकी के किसानों को बीज बोने के वक्त किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता था, बीज लाने के लिए उनको साहूकार या किसी आदमी के पास पहुंचना पड़ता था, या बड़े किसानों के पास पहुंचना पड़ता था। रकम उधार

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लेकर या तो बीज खरीदा या बोहरे से बीज लिया और बाढ़ी के हिसाब से लिया। बाढ़ी जहां तक चार्ज होती है, मुझे याद पड़ता है आज से करीब पांच-छ: साल पहले सब से कम जो बाढ़ी की रेट थी वह दस सेर फी मन की थी। यहां तक कि दस सेर से ऊपर १५ और बीस और कहीं कहीं डेढ़ मन तक की भी बाढ़ी थी।

एक माननीय सदस्य : कहां थी? आपके मारवाड़ में होती होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : मारवाड़ के इलाके में होती थी. वहां फी मन बहुत ज्यादा चार्ज होता था। इसके बाद में जब हमने सोचा कि हमें सुधरे हुए बीज का प्रयोग किसानों को सिखाना है, इतने बड़ी तादाद में इतना सुधरा हुआ बीज कहां से प्राप्त कर सकेंगे, उसके वितरण करने के लिये हमको क्या कदम उठाना चाहिये जिसकी वजह से जिस स्कीम को हम चलाना चाहते हैं, उसको हम पूरी भी कर पायेंगे या नहीं। जब यह मामला सरकार के सामने आया उसने बीज वितरण की योजना बनायी। राजस्थान के एकीकरण के बाद में कृषि विभाग द्वारा यह काम चालू किया गया, उस समय तक हरेक जगह अलग अलग रेट चलती थीं। बहुत कम ऐसे इलाके थे, जैसे किशनगढ़ का इलाका और भी एक-दो इलाके जहां फी मन पाँच सेर बाढ़ी ली जाती थी। अजमेर के बारे में जिसको बुनियाद बनाकर यह प्रस्ताव ड्राफ्ट किया गया है वहां पर ढाई सेर फी मन की बाढ़ी रखी गई। अजमेर को बुनियाद मानकर जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, उस सम्बन्ध में माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि अजमेर पार्ट 'सी' स्टेट थी, उसके फाइनेन्सेज के साधन अधिकतर सेन्टर द्वारा पूरे किये जाते थे. साल में करीब १४०. १५० लाख रुपया डेफीसिट रहता था। उसे स्टेट का काम चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार को डेढ़ करोड़ रुपये की मदद प्राप्त होती थी। वैसी हालत में जिस स्टेट का डेफीसिट डेढ़ करोड़ रुपया था उसको चलाने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें और ज्यादा मुसीबत में केन्द्रीय सरकार के सामने हाथ बढ़ाना पड़ता था। जिस स्टेट की आबादी सात-आठ लाख हो जो राजस्थान के एक जिले जितना भी नहीं हो, इतनी छोटी सी पोपुलेशन को सर्व करने के लिये ढाई सेर फी मन बाढ़ी ली जाती थी, जैसा कि ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के हित के लिये अजमेर की सरकार ने यह किया, कुछ कानून का भी हवाला दिया, उसमें कठनाई महसूस होने लगी फिर भी ढाई सेर फी बाढ़ी मुकर्रर किया। साढ़े सात लाख की आबादी को सर्व करने के लिये जहां सेन्टर से डेढ़ करोड़ की मदद ली जाती थी, वहां इस प्रकार हो सकता है। किन्तु राजस्थान बनने के बाद जो हमारा वीट कल्टीवेशन का एरिया है, वह तीस-पैंतीस लाख एकड़ है। यहां की टोटल सीड रिक्वायरमेन्ट साढ़े पांच या छ: लाख मन के करीब है। हमने बहुत थोड़े से काम शुरू किया। बीज वितरण कई प्रकार के अनाज से हो सकता है। सिर्फ अब तक जो काम किया गया वह हमने गेहूं के बीज वितरण का किया गेहूँ का अच्छा बीज जो स्टेट में सभी जगह चल रहा है उसमें राजस्थान का गेहूं सी ५, ६ हम ज्यादा तौर से सप्लाई करते हैं। इसके अलावा और भी किस्म का बीज निकला है,

(श्री नाथूराम मिर्धा)
जो उससे भी ज्यादा कामयाब हुआ है और उस बीज को ज्यादा तादाद में मल्टीप्लाई करना और डिस्ट्रिब्यूट करने का इरादा रखते हैं, लेकिन अभी तक इस बीज का उत्पादन इतनी तादाद में हो नहीं सका, है। 'सी' फाइव को हमने काम में लिया पिछले साल करीब डेढ़ लाख मन वितरण किया। वहां इस साल हमने विशेष तौर से रवी अभियान के कारण इस ओर विशेष ध्यान दिया है और ज्यादा तादाद में गेहूं देने का निर्णय किया है। हमारा यह टार्गेट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सारे एरिया को, वीट एरिया को हम उन्नत बीज सप्लाई कर सकें। हमने यह इरादा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया था और हमें आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम काल तक हम सुधरा हुआ बीज सारे एरिया को सप्लाई कर सकेंगे। इस साल हमने तीन लाख मन उत्तम बीज वितरण किया है जिसकी कीमत करीब ५० लाख रुपया होती है। पचास लाख रुपये इस काम के अन्दर हम लगा दें जो कि महत्वपूर्ण काम है, इससे किसानों को सुधरा हुआ बीज मिल सकता है। हम उसको साढ़े सात सेर पर बाड़ी के हिसाब से वसूल करते हैं आप इसके पहले चार-पांच साल पहले की हालत को देखिये जिस समय १० सेर बाड़ी का चार्ज करते थे, वह आज हम साढ़े सात सेर ही करते हैं। यह कहा गया कि अजमेर में ढाई सेर की बाड़ी ली जाती है। अजमेर और किशनगढ़ और एकाध जगह के अलावा कहीं भी दस सेर से कम की बाड़ी नहीं ली जाती थी। हम भी चाहते हैं कि हम जितना इसमें कमी कर सकते हैं, करना चाहिये। हमने इस पोजीशन को एग्जामिन किया और अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि साढ़े सात सेर पर बाड़ी ठीक है। इसके अन्दर क्या तथ्य है, यह मैं बाद में बताऊंगा, इस सदन में जिन माननीय सदस्य ने वह प्रस्ताव रखा है उन्होंने स्वयं ने कुछ आंकड़े बताये हैं और वे काफी हद तक ठीक तरीके से रखे हैं और सोचकर रखे हैं, वे आंकड़े ज्यादातर हमारे आंकड़ों से मेल खाते हैं। उसमें वे क्या भूल गये, क्या वे छोड़ गये, यह मैं बताऊंगा। उन्होंने एक मन की कीमत १६ रुपये मानी है और साढ़े सात सेर की बाड़ी, उस हिसाब से तीन रुपया और अधिक बताया। हम भी यही मानते हैं अब झगड़ा यह रहा कि साढ़े सात की बाड़ी पर ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज क्या पड़ते, हैं, यह वे बताना भूल गये। इससे कम अगर हम रेट को कर देते हैं तो हम पूरी मात्रा में ठीक समय पर उन्नत बीज पहुँचा नहीं पायेंगे। यह बात हो सकती है कि सुधरा हुआ बीज देने के लिये सरकार यदि चार पांच लाख का घाटा खा लेती है तो उससे सरकार का क्या बिगड़ने वाला है? यह बात भी कही गई और कही भी जा सकती है। बीज जैसी जरूरी चीज ही केवल हमारी आवश्यकता हो, तो इतना घाटा सहन भी किया जा सकता है किन्तु आज सब जगह से यह मांग आती रहती है कि हमारे यहां सड़कें नहीं हैं, स्कूल्स नहीं है, अस्पताल नहीं है, तालाब बनाना जरूरी है ये सब चीजें भी उतनी ही आवश्यक है, जितनी बीज की आवश्यकता। आप ही अब बताइये कौन सा काम हमें पहले करना चाहिये...........

श्री मोहरसिंह : रोटी का सवाल सब से पहले है।

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) रोटी तो सभी खा रहे हैं भूखों थोड़ा ही मर रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था, प्रायोरिटी सब

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तरह से देखनी पड़ेगी सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, हम जिस जमाने से निकल रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारा खर्च करने का तरीका कैसा है, आम तौर से हमारे यहां की हालत क्या है, इन सारी चीजों पर विचार करना पड़ेगा।

कई माननीय सदस्यों ने इस मामले को इतना अपीलिंग तौर से रखा और कहा कि मैं किसान की बात को जानता हूं, उनकी हालत का मुझे अन्दाज़ है। यह मैं मानता हूं, किसान की क्या मुश्किलातें हैं, उनकी इकोनॉमी किस तरह से चलती है इसका भी ज्ञान रखता हूं, इतना सब ज्ञान होते हुये भी मुझे सारे राजस्थान की विकास सम्बन्धी सभी योजनाओं का ज्ञान भी मुझे रखना पड़ता है। क्योंकि मैं इस जगह जब बैठ कर सारी तस्वीर को देखता हूँ तो सारी चीजों का ज्ञान रखना पड़ता है और इसलिये मैं एक छोटी बात को अलग रखकर अलग तरीके से उसे देख नहीं सकता। भावनाओं में बहना भी नहीं चाहता।

किसानों पर बीज के लिये क्या हालत गुजरती है, क्या दिक्कतें उठानी पड़ती हैं आदि कहा गया। ठीक है। इसमें कुछ तथ्य भी हो सकता है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। आज हम कुछ ऐसी हालत में से गुजर रहे हैं जिसे ट्रान्जीशनल पीरियड हम कह सकते हैं। फिर किसान भी बे-पढ़ा-लिखा है। अपने अधिकारों को ठीक समझ नहीं पाता। इसलिये सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को उसके साथ जैसा बर्ताव करना चाहिये, नहीं करते, कहीं-कहीं। यह मैं स्वयं महसूस करता हूँ। पर यह स्थिति केवल चर्चा और शब्दों से बदलने वाली नहीं है। किसान का ज्ञान बढ़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति ज्यों-ज्यों वह जागरूक होता जावेगा, त्यों-त्यों इस स्थिति में अन्तर आवेगा।

रबी अभियान क्रिटिसाइज़ किया गया। मैंने बताया हमने १।। लाख की जगह तीन लाख का वितरण किया। पर इस के बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया पर यह कहा गया कि सबको बीज नहीं दिया गया। एक भाई तो यह कह रहे थे कि साढ़े सात सेर की बाढ़ी अधिक सिद्ध हो रही है और इसलिये किसान बीज लेता ही नहीं, जहां दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि बीज मिला ही नहीं। तो यह परस्पर-विरोधी बातें हैं। हम यह मानते हैं कि कुछ जगह हम समय पर बीज नहीं पहुँचा पाये। इसमें कुछ तथ्य है। पर मैं निवेदन कर दूँ कि आज किसान जागरूक है। वह जानता है कि 'सी' ५६ अच्छे किस्म का बीज है। उसे बोना चाहिये। ज्यादा-ज्यादा एरिया में बोना चाहिये। इसलिये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बीज मिले। मांग की कमी नहीं है। मांग को पूरा करना, हम स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम इसमें असमर्थ रहे हैं, क्योंकि यह सारा बीज हमारे राजस्थान में उपलब्ध नहीं, बाहर से लाना भी सीमित है। अपने-अपने एरिया में सब जगह जरूरत है, इस दृष्टि से हिन्दुस्तान की सारी तस्वीर को देखने पर सीमित मात्रा में ही हमें मिल पाता है। उसे हम राजस्थान में लाये हैं और वितरण किया है। इसलिये इन बातों को देखते हुए, बीज देने के पहले हमारे यह के भावों की हालत और वापिस रिकवर करते हुए भावों की हालत क्या होती है, इसका किसी ने भी जिक्र नहीं किया। जिस समय हम बीज वितरण करते हैं गेहूं की रेट मैक्सीमम होती है। जब वापिस लेते हैं हारवेस्ट का टाइम होता है और तब गेहूँ के भावों में काफी गिरावट आती है।

Page No.78

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसके अलावा जो हमारे विभाग से बीज का गेहूँ खरीदना चाहता है उस पर यह कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि बाढ़ी ही पर लेना होगा, बस कैश क्रेडिट पर भी ले सकता है। उस पर चार रुपया ग्यारह आने का ब्याज लिया जाता है। इसका उस बाढ़ी के पर्सेंटेज़ से कम पर्सेंटेज़ है जो कि ३७ पर्सेंटेज़ पड़ता है, इसमें अब क्या-क्या इन्वॉल्व्ड है यह मैं जिक्र आपके सामने करूंगा।

साढ़े सात सेर बाढ़ी से कोई किसान घबराता नहीं है। फिर भी पांच सेर हो जावेगी तो उसको खुशी होगी। और फिर एक स्टेज यह भी आ जावे कि बीज वितरण की जरूरत ही नहीं रहे, स्वयं किसान अपने आपको इतना मजबूत बना ले कि अपनी जरूरत का बीज अपने पास स्टोर कर ले तो यह काम ही समाप्त हो जावेगा। सरकार को भी इसमें बड़ी खुशी अनुभव होगी। सरकार स्वयं चाहती है कि किसान को राहत ज्यादा से ज्यादा दी जावे। पर उस हालत में जबकि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि विकास के हर क्षेत्र का इक्वली महत्व है। वे सब भी किसान के हित के लिये हैं। तो इन सारी चीजों को इग्नोर करके बीज में ही सरकार थोड़ा-थोड़ा नुकसान उठाती रहे और यह थोड़ा-थोड़ा नुकसान सब जगह उठाती रही तो फिर सब तरफ घाटा ही घाटा हो जावेगा, और घाटे में विकास और उन्नति की ये सारी बातें करना ही बेकार हो जावेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमने साढ़े सात सेर की बाढ़ी तय की है, वह ठीक है। उसके कुछ आंकड़े मैं रखना चाहता हूँ।

हम इस तरह मानकर चलते हैं कि जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसमें एक मन पर ३) खर्च आता है और वह इस तरह खर्च आता है:—

कैपिटल ब्याज का	बारह आना
ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज पेटे	डेढ़ रुपया

श्री भैरोंसिंह : ब्याज किस हिसाब से है यह ?

श्री नाथूराम (मिर्धा) : आप इस पर कैलकुलेट कर लीजिये।

श्री सज्जनसिंह: माननीय मन्त्रीजी माफ करें, मैं उन्हें इन्टरप्ट तो नहीं करना चाहता पर यह जो १६) रुपये पर इन्टरेस्ट बताया है वह १२ आना है तो अब वे स्वयं देखें कि रेट ऑफ इन्टरेस्ट का क्या पर्सेंट पड़ेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यही १६) रु० पर बारह आना मैंने बताया है।

इसके बाद में लोडिंग और

अनलोडिंग का	तीन आने
क्लीनिंग के	दो आने
गनी बैग्स के	चार आने
शार्टेज के	तीन आने

अब माननीय सदस्य ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनमें अधिक अन्तर नहीं है। जैसे आपने बोरे का चार आने और सूतली के दो आने बताये। हम सूतली को बोरी में ही समझ लेते हैं तो यह दो आना दूसरी तरफ जोड़ लीजिये। आदमी, भाड़ा वगैरह आपने बताया चार आने, वह हमारे आंकड़े में नहीं है। पर दूसरी हैडिंग में है, वह आप देख लें। छीजत का आपने छः आने मन गिना। हमने तीन आने मन। अब ट्रान्सपोर्टेशन में आपने दोनों तरफ का एक रुपया गिना

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है। हमारा कुछ ज्यादा पड़ता है। तो इस तरह से तीन रुपया से कम में बैठता नहीं है हिसाब। एक बात और कहूं आजकल आठ आना मन में पहुँच सकता है। यातायात के साधन बढ़ गये हैं। यह सही बात है। जयपुर से जोधपुर, दिल्ली के बीच में, सीकर के बीच में, जहां पक्की सड़कें हैं वहां मोटरें आसानी से चली जाती हैं और कम्पिटीशन भी होने की वजह से भी काफी सस्ता ट्रान्सपोर्टेशन पड़ता है। परन्तु राजस्थान के इन्टीरियर कोरनर में जहां सड़कें तक नहीं हैं, हमें तो वहां तक भी पहुँचाना पड़ता है वहां हमारे विकास सेन्टर हैं, अलग-अलग बीज वितरण के वहां तक सेन्टर है तो हमें तो वहां तक पहुँचाना पड़ता है और कुल मिला कर ट्रान्सपोर्टेशन में इससे अधिक किफायत नहीं हो सकती। हमें वहां से फरोख्त करके वापिस गोदामों तक लाना भी पड़ता है। हम किसानों को मजबूर नहीं करते कि वे सेंटर तक ले जाकर जमा करावें। आप भी इसको अच्छी तरह से करके देख सकते हैं। राजस्थान के सभी कोनों में जब बीज हमें पहुँचाना पड़ता है तो हमारे ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज़ इससे कम में पड़ते नहीं। तो ये आकड़े आपके आंकड़ों से ज्यादा भिन्न नहीं हैं। फिर यह सारा मामला नो प्रोफिट नो लोस के बेसिस पर चलाया जा रहा है। इसलिये अगर घाटा खाकर इसको पूरा करें तो ठीक तौर से यह मामला पूरा भी नहीं पड़ेगा। अब जो डिफरेन्स रह जाता है वह केल्कुलेशन में रह जाता है। या तो हमारे में कुछ फर्क हो सकता है या उनके में फर्क हो सकता है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने दस सेर से साढ़े सात सेर किया है और इसके लिये हमने किसी प्रस्ताव के आने की आवश्यकता महसूस नहीं की। हमने स्वयं ही कर दी बिना प्रस्ताव के ही। यह निर्णय साल भर पहले लिया गया। आज भी हमारा दिमाग बन्द हो गया हो, ऐसी बात नहीं है कि साढ़े सात सेर कर दिया इसलिये यह हमेशा ही रहेगा। सरकार का दिमाग खुला है। इसकी बीज वितरण की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ सुविधायें और मिल जाती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ या जो खर्चा होता है, उसमें कमी आती है।

४ म० प०

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

हो सकता है, आज भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जरिये बीज वितरण का काम काफी होता है और जो क्रेडिट सोसाइटीज़ गांवों में किसानों की बनी हैं, उनकी मार्फत ज्यादा तौर से कह सकता हूं कि ७० फीसदी बीज का वितरण को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मार्फत किया है, जहां पंचायतों ने कुछ किया है वहां पंचायतों की मार्फत बीज का वितरण हुआ है। इन्डीविजुअल्स की मार्फत किसानों को बीज देते हैं। कुछ बड़े काश्तकार हैं जिनके पास अच्छी जमीन है, उनका अपना फार्म है उनको भी सुधरे हुए बीज दिये हैं........

श्री अध्यक्ष : को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा कितना दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब ७० फीसदी दिया। हमने बीज अधिक तो को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये दिया है, और जो बीज को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये दिया जाता है उस पर बाढ़ी ५ सेर की ली जाती है। इसलिये आज भी कोई ज्यादा डिफरेन्स

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की बात नहीं है। जैसा आप स्वयं महसूस करेंगे जो आंकड़े मैंने बताये उनसे आपको संतोष हुआ होगा। जिस विचारधारा से आपने प्रस्ताव रखा, उसकी मैं सराहना करता हूं और जिस दृष्टिकोण से आपने सदन में बातें कहीं उसको भी बहुत अच्छी तरह महसूस करता हूं कि बहुत अच्छी परम्परा इस सदन में बह रही है कि किसानों की बेहतरी के लिए सभी विचार करते हैं। सदन के एक भी सदस्य ने नहीं कहा कि नहीं, किसान के लिये ऐसा नहीं होना चाहिए........

श्री मोहरसिंह : किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिये आप मान भी गये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि मेरी तो मजबूरी है। आपको तो एक ही दृष्टिकोण से देखना होता है मगर मुझे तो एक दृष्टिकोण के अलावा और भी दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। इसलिए मैं आपकी भावना की कद्र करते हुये, आपकी सारी दलीलों की सराहना करते हुए, इन सारी चीजों को महसूस करते हुए, फिर यह कहता हुआ कि मेरा दिमाग भी खुला है अगर इस बाढ़ी सिस्टम में कमी हो सकती है तो कमी करनी चाहिये, बाढी की रेट को घटाया जाय तो मैं कहता हूं कि घटाया जाये। हम सहकारिता के आधार पर ५ सेर की बाढी लेते हैं, हम तो चाहते हैं कि बीज वितरण का काम करने की आवश्यकता ही न रहे। सब के सब अपना बीज रखने लगें। गेहूं का ही बीज नहीं बल्कि चने का, जौ का और दूसरे अनाजों का भी बीज रखें।

दूसरे बतलाया गया कि बीज अच्छा नहीं था। दूसरी प्रकार के बीज हमारे पास कोई सुधरे हुए नहीं हैं। झकरोड़ा वगैरह के बीज के लिये कहा तो वह तो हमारा अच्छी किस्म का बीज है और इस बीज को जहां अच्छे किस्म की खेती नहीं होती और वहां पर अगर पैदावार में ज्यादा फायदा पहुँचाना आवश्यक है तो वहां पर हम उसका वितरण कर देते हैं। वैसे जो दूसरी जगह का अच्छा बीज है, उसको दिया जाता है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल यह कह दूं कि इसमें कोई गलती नहीं है या कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। यह कहने की धृष्टता तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ आगे बढ़े हैं। इस चीज को किसान भी महसूस कर रहे हैं कि हमें सहूलियत मिली हैं और आगे भी सहूलियत मिलेगी। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह उतावले न हों। इसके लिये मेरा दिमाग हमेशा खुला है कि जिस स्थिति में जैसा विचार किया जाना चाहिये जरूर विचार किया जायेगा और अगर रेट भी घटाई जा सकती है तो भी उसे घटाने की कोशिश की जायेगी। मगर इस वक्त मैं आगे कुछ करने से मजबूर हूं। इसलिए माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उनसे मैं विनयपूर्वक निवेदन करूंगा कि इस सारी बहस के बाद वह अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे। बाकी आपकी सारी बातें रेकॉर्ड में आ ही गई हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या सरकार सदन की भावना को सामने रखते हुए इस पर शीघ्र विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : वह तो कह दिया कि इस पर सरकार विचार करेगी। डॉ० बहादुरसिंह इस पर आपका संशोधन है.

डॉ. बहादुरसिंह : अगर वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लेते हैं तो फिर मेरे संशोधनों का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सज्जनसिंह : Should I continue, Sir.

श्री अध्यक्ष : yes, yes.

श्री सज्जनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संकल्प के ऊपर सदन में इस ओर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो भाव व्यक्त किये और जो सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त किया, उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। साथ ही मैंने माननीय मंत्री महोदय का विद्वत्तापूर्ण भाषण, जो उन्होंने सदन के माननीय सदस्यों के सामने दिया है, उसको भी सुना। उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ, जो राज्य सरकार द्वारा कृषि के उत्पादन के बढ़ाने निमित्त जो कार्यवाही हुई है, उसका दिग्दर्शन कराया। मैं समझता हूं कि सदन का कोई भी सदस्य इस बात से असहमत नहीं होगा कि इस डेमोक्रेटिक सरकार के आने के बाद में हमारे राज्य में काफी उन्नति हुई है, काफी प्रगति हुई है। लेकिन मैंने जो संकल्प रखा था उसमें उस प्रयत्न के अन्दर जहां त्रुटियां थीं उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह संकल्प रखा था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने उन सब बातों को स्वीकार किया और यह महसूस किया कि यह सम्भव हो सकता है कि जो कुछ आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं और मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किये हैं उनमें कुछ थोड़ा बहुत अन्तर हो, यह स्वाभाविक है। परन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया है कि जो कुछ भी इस समय बाढ़ी ली जा रही है वह फाइनल नहीं है और सरकार, समय आने पर उस पर फाइनल विचार करेगी और अगर सम्भव होगा तो उसको कम करने का प्रयत्न भी किया जायेगा। मुझे यह आश्वासन सुनकर बड़ी प्रसन्नता है और बड़ी खुशी है और साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ मैंने आंकड़े दिये हैं और मंत्री महोदय ने दिये हैं, मेरा भी इससे मतभेद हो। यदि मंत्री महोदय चाहें तो मैं उनके सामने अपने विचार इस सिलसिले में रख सकता हूं और बहुत सम्भव है यदि वे उपयुक्त पायें जायें तो इस दिशा के अन्दर काश्तकारों को काफी राहत मिलने की सम्भावना हो सकती है और बहुत सम्भव है कि मेरे आंकड़े गलत हों तो मैं इस चीज को मानकर कि जो कुछ आंकड़े मैंने रखे थे वे गलत हैं और आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह सही है। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बाढ़ी की रेट को कम करने के बारे में कहा कि कई राज्यों में पहले १० सेर बाढ़ी ली जाती थी, कहीं ५ सेर की बाढ़ी ली जाती थी और कहीं इससे भी कम थी। तो इन सब बाढ़ी की मीन निकाल कर के यह ७॥ सेर की बाढ़ी अपने यहां तय की। मैं समझता हूं कि यह ७॥ सेर की बाढ़ी किसी साइन्टिफिक तरीके से नहीं आती। यह तो एक बाई मीडिया निकाल दिया। लेकिन वास्तव में ७॥ सेर की बाढ़ी से काश्तकार के ऊपर कितना आर्थिक बोझ पड़ता है उसे दृष्टिकोण में रखते हुए उसका फिक्सेशन होना चाहिए। साथ ही जैसा मैंने अपने संकल्प में अर्ज किया है कि नो प्रोफिट नो लास के ऊपर मेरा संकल्प है। मैं उसे अब भी आगे रखता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उस बाढ़ी को ध्यान में रखते हुए और जो सब्सिडी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और राज्य सरकार 'ग्रो मोर फूड' के मातहत मिलनी चाहिए, उसके आधार पर यह मान्यता है कि मंत्री महोदय उसमें काफी सुधार कर सकते हैं और उसका फल यह होगा कि जो सुधरा हुआ बीज आप काश्तकार को उपलब्ध करायेंगे उससे राज्य का उत्पादन बढ़ेगा,

(श्री सज्जनसिंह)

काश्तकार की सम्पत्ति बढ़ेगी और देश की खाद्य समस्या भी हल होगी। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया, उससे आगे चलकर किसी न किसी रूप में इसको मानने की सम्भावना हो सकती है। इसलिए, मैं अपने संकल्प को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संकल्प को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, संकल्प के अमेन्डमेन्ट्स के बारे में क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : जब संकल्प ही वापस हो गया तो अमेन्डमेन्ट्स का क्या। उनके बारे में जवाब देना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : पहले यह विद्ड्रा करें अपने अमेन्डमेन्ट्स उसके बाद में ऑरीजिनल रिजोल्युशन विड्रा होगा।

डॉ० बहादुरसिंह : संकल्प ही नहीं रहा तो अमेन्डमेन्ट्स का क्या?

श्री भैरोंसिंह : यह डिसीज़न नहीं हुआ है कि संकल्प नहीं रहेगा। पहले इसके अमेन्डमेन्ट्स डिस्पोज ऑफ होंगे। उसके बाद में मूल प्रस्ताव डिस्पोज ऑफ होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संकल्प को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां पक्ष जीता।

भैरोंसिंह : 'नां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का जवाब बड़ा संतोषप्रद था, इसलिए

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : 'नां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से हां पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य (विपक्ष की ओर से) : नहीं साहब, 'नां' पक्ष जींता।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सज्जनसिंह ने रखा है, उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : You want division in the lobbies?

श्री सोहनलाल भटनागर : No division, they are not serious about it.

श्री अध्यक्ष : You want division in the lobbies or in the House?

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां खड़े होकर कॉउन्ट कर लें।

श्री अध्यक्ष : कॉउन्ट तो आवाज से हो गया।

श्री भैरोंसिंह : लॉबीज़ में नाम लिखा जायगा, इसलिए नहीं जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

(श्री अध्यक्ष) .

मेरे सवाल से एक संकल्प और है उस पर आप बहस करें, बनिस्बत इसके कि इसमें वेस्ट करें, वह संकल्प भूमि सुधारों का है ।

अनेक माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष की ओर से) : कोई देर नहीं लगेगी ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : विरोधी पक्ष वाले भूमि-सुधार नहीं चाहते हैं ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : यहीं खड़े होकर, जो इसके पक्ष में हों, कृपया खड़े हो जायं ।

(सरकारी पक्ष की ओर से सदस्यों के खड़े होने पर)

अनेक माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष की ओर से) : क्या इनको सज़ा दी है खड़े होने की ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : जो उसके पक्ष में नहीं हों, कृपया वे खड़े हों ।

(विरोधी पक्ष के सदस्यों के खड़े होने पर)

आप लोग जल्दी बैठ जाइये ।

श्री अध्यक्ष : 'हां' पक्ष जीता । संकल्प को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाती है ।

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूँ ।

४.१५ म० प०

भूमि-सुधारोंको क्रियान्वित करने हेतु सख्त कदम उठाने विषयक अ-शासकीय संकल्प

श्री सोहनलाल भटनागर (सालूम्बर): माननीय अध्यक्ष, मेरा संकल्प इस प्रकार का है :

"सदन की यह राय है कि राजस्थान में में भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिये सख्त कदम उठाये जायं ।"

श्री अध्यक्ष : इतने अमेन्डमेन्ट्स तो आ रहे हैं, लैण्ड रेवेन्यु और टिनेन्सी एक्ट में । फिर भी आप कहते हैं कि तेज कदम उठाये जायं ।

श्री सोहनलाल भटनागर : बाकी रह गये हैं, उसके बारे में हैं । जब मैंने यह पेश किया था, तब नहीं थे ।

अनेक माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष की ओर से) : इसको वापिस ले लीजिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान में ७० प्रतिशत जनता भूमि पर आश्रित है, इसलिए भूमि-सुधारों और भूमि से सम्बन्ध रखने वाले कानूनों का राजस्थान की बहुत बड़ी जनता से ताल्लुक है और राजस्थान में ही नहीं, मेरे ख्याल से, सारे हिन्दुस्तान की जनता का मुख्य धन्धा खेती है । और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए जब विधान बना था, उसमें डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल थे कि भूमि के सम्बन्ध में जितने भी प्रोविज़न हैं जो कि किसान हज़ारों और सैंकड़ों वर्षों से दबा आ रहा था, उनको राहत पहुंचाने का प्रावधान रखा जाय । इसी दृष्टिकोण को रखते हुए जब हमारे देश में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी थी, उसमें भी काफी बातें भूमि-सुधारों को लेकर रखी है, और हमारे प्रदेश के अन्दर कैसे भूमि-सुधार होंगे और क्या क्या होंगे, उसका

(श्री सोहनलाल भटनागर)

पेटर्न और उसके बारे में भी डाइरेक्टिक्स प्लानिंग कमीशन के जो भी सिद्धान्त हैं, उसके अन्दर पाते हैं। उसी दृष्टिकोण से देखते हुए हमें देखना है कि राजस्थान के अन्दर गत ७-८ वर्षों के अन्दर क्या क्या भूमि-सुधार हुए हैं।

भूमि-सुधार के दो-रूप हो सकते हैं, एक तो भूमि के सम्बन्धों को देखते हुए कानून का निर्माण करना और दूसरा उनको क्रियान्वित करें। भूमि के सुधार के सम्बन्ध में जो कानून थे, उनका निर्माण करना एक बात हो सकती है। मैं इस सदन में आपके द्वारा यह निवेदन कर सकता हूं कि राजस्थान में भूमि-सुधार के सम्बन्ध में जितने भी कानून बने हैं, ये दूसरे प्रदेशों के कानूनों के बनिस्बत काफी प्रगतिशील रहे हैं, उस दृष्टिकोण को मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो इतने वर्ष गुजर गये हैं, उनमें इस बात को देखना है कि भूमि-सुधारों का क्या हुआ ? वे खाली किताबों में रखे हुए हैं या क्रियान्वित भी किये जा रहे हैं ? या जो किसान दबे हुए चले आ रहे हैं, हम मानते हैं कि जो पिछड़े हुए किसान हैं, उनको इससे राहत मिली है या नहीं। इसी दृष्टिकोण से देखते हुए मैंने यह संकल्प सदन के सामने रखा है।

भूमि-सुधार में एक मेन आॅस्पेक्ट होता है मध्यस्थों की समाप्ति, दूसरा लैण्ड लॉर्ड और टिनेन्ट के सम्बन्धों को नियमित करना, यानी सिक्योरिटी आॅफ टैन्योर हो और काश्तकार को सरकार के डाइरेक्ट सम्बन्ध में लाना, तीसरा भूमि का पुनर्वितरण करना जो कि सीलिंग द्वारा हो सकता है और जो अधिक भूमि बचे उसे लैण्डलैस टिनेन्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चौथा कन्सोलिडेशन आॅफ स्केटर्ड होल्डिंग्स, पांचवा हो सकता है प्रिवेन्शन फ्रेगमेन्टेशन आॅफ होल्डिंग्स, और छठा है डेवलपमेन्ट आॅफ कोआॅपरेटिव फार्मिङ्ग।

इन सारे आॅस्पेक्ट्स को देखते हुए मैं सदन के सामने कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। जहां तक मध्यस्थ का सवाल है राजस्थान में खास तौर से मध्यस्थ थे, जागीरदार, और उनके पास जितनी भूमि थी वह यहां की कुल भूमि की ७९ प्रतिशत थी सारे राजस्थान के अन्दर, और जो राजस्थान में ३३४१८ ग्राम हैं उनमें से १६७८० ग्राम जागीरदारों के थे। हमने इस बात पर खास तौर से देखा है जब यह संकल्प पेश किया था, उस वक्त यह स्थिति जरूर थी कि कई जागीरें जब्त नहीं हुई थीं लेकिन अब राजस्थान सरकार ने २००) रु० तक की जागीरें समाप्त कर दी हैं, और जागीरों का जहां तक सवाल है उस दिशा के अन्दर हमने काफी प्रगति की है।

श्री अध्यक्ष : चाहते क्या हैं आप ?

श्री सोहनलाल भटनागर : खाली भूमि सुधार में जागीरों की समाप्ति नहीं है, लेकिन उसके दूसरे पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जागीरों को समाप्त करने में स्टेट भी डाइरेक्टली कन्सर्न्ड थी, क्योंकि उसको जो इनकम आने वाली थी, वह स्टेट के पास जाने वाली थी। स्टेट पर लायबिलिटी आ रही थी। उनको कम्पेन्सेशन देना था, इसलिए आवश्यक स्टाफ मुकर्रर किया, सब कुछ किया, और उस दिशा में प्रगति की है, लेकिन दूसरे जो पहलू जागीर उन्मूलन के जो कानून हैं, उनके सम्बन्ध में भी उनके बारे में भी निवेदन करना चाहूँगा और वह है, एक खुदकाश्त की जितनी

(श्री सोहनलाल भटनागर)

भूमि उनको दी है, वह बहुत ज्यादा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो किसानों को तकलीफ देता है, वह खुद काश्त की डेफिनिशन है। प्लॉनिंग कमीशन ने भी कहा कि इनके बारे में पांच चीजें क्लीयर होनी चाहिये उनमें से एक तो है पर्सनल कल्टीवेशन, सुपरविजन, कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबरर्स आदि इन चीजों से कल्टीवेटर्स को दिक्कत होती है यहां पर जो जागीर कानून पास किया गया है, उसमें पर्सनल कल्टीवेशन की चीज़ नहीं है उसकी डेफिनिशन इतनी वाइड है कि लैंड लार्ड चाहे कहीं भी रहे वह पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन में आ जाता है और एबसेन्टी लॉर्ड की भावना को प्रोत्साहन दिया गया है इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चहता हूँ। और मैं निवेदन करूंगा कि पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनेशन को बदला जाय और जागीर अबॉलिशन एक्ट में अमेन्डमेन्ट लाया जाय। पर्सनल सुपरविज़न एट दि प्लेस ऑफ रेज़िडेन्स का प्रोविजन कानून में करना चाहिये।

दूसरी बात, जागीर पुनर्ग्रहण अध्यादेश है उसमें यह है कि खुदकाश्त के पहले सैटलमेंट हुआ था उसमें जो खुदकाश्त की एन्ट्री कर दी थी चाहे जागीरदार उस पर काश्त करता है या नहीं उसको खुदकाश्त की जमीन मान लिया गया। यह समस्या सदन के सामने भी आई थी कि सैकड़ों और हजारों बीघा जमीन जो किसानों के पास जानी चाहिये थी, वह उनके पास न जाकर जागीरदारों के पास ही रही। यह बात सही है कि सीलिंग के बाद यह जमीन उनसे छीन ली जावेगी। लेकिन वे खातेदार रह जायेंगे और इसलिये उनको मुआवजा देना पड़ेगा। गत अधिवेशन में इस बारे में एक संशोधन लाया गया था, उसको क्यों नहीं पास किया गया पता नहीं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो विधयक पेन्डिंग है उसको, जल्दी से जल्दी पास करें ताकि जागीरदारों के पास खुदकाश्त की अधिक जमीन नहीं रह सके।

दूसरा मध्यस्थों और जागीरदारों का सवाल है, उन के पेमेन्ट ऑफ कम्पेनसेशन का सवाल है। कई जागीरदार सदस्य समझते होंगे कि यह संकल्प उन पर ज्यादा असर करनेवाला है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, इससे जागीरदारों का ही सम्बन्ध नहीं है बल्कि काश्तकारों और खातेदारों शब्द भूमि-सुधार में आते हैं उन पर जल्दी से अमल होना चाहिये। लेकिन एक बात अवश्य है कि कम्पेनसेशन देने का तरीका कॉम्पलीटेड रखा गया है और उनको समय पर कम्पेनसेशन नहीं मिला, इसके आंकड़े मौजूद है, कम्पेसेशन जल्दी मिलना चाहिये था उसके लिये काफी तकलीफ उठानी पड़ी।

दूसरा मध्यस्थता का सवाल जमींदारी उन्मूलन का था। यह समस्या केवल ८ जिलों तक ही सीमित है और इसमें ८६७ गांव ही आते हैं, इसलिए यह समस्या सारे राजस्थान की समस्या नहीं है। इसके लिए एक समिति सन् ५५ में बिठाई थी उसने ८ फरवरी १९५८ को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस छोटे से मामले में काफी समय लग गया। लेकिन हमें खुशी है कि इस सम्बन्ध में एक विधेयक सदन के सम्मुख रखा है और आशा है कि इसके पास होने के बाद राजस्थान में कोई मध्यस्थता नहीं रहेगी और जमींदारी समाप्त हो जायगी।

तीसरी बात यह है कि हमारी राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम बना है उसके

(श्री सोहनलाल भटनागर)

प्रोविजन्स को देखें तो विदित होगा कि यह काफी प्रगतिशील अधिनियम है ।

श्री भैरोंसिंह :अध्यक्ष महोदय, आपका प्रस्ताव यह है कि सदन की राय है कि राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम जो विधान सभा द्वारा पारित किये गये हैं,उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सख्त कदम उठाया जाय, लेकिन आपने अब तक सख्त कदम किस तरह से उठाये जांय इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा । यदि इस तरह से ही उनको भाषण देना है तो बाद में समय दे दें ।

श्री मूलचन्द डागा : कानून तो है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है, इसलिये कह रहे हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर : काश्तकारी अधिनियम में सबसे पहले दफा १५ की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । इस धारा के द्वारा हमने अधिकार दिया था कि जो सब-टिनेन्ट्स नहीं हैं उनको खातेदारी अधिकार दिया जाय और जो गैर काश्तकार हैं उनको भी खातेदारी अधिकार दिया जाय । यह एक अच्छा प्रोविजन रखा है लेकिन इस पर अमल किस कारण से नहीं हुआ, शायद श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य को इत्तिला नहीं है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो पहले से जागीरदार और खातेदार चले आ रहे थे वे खातेदार बन गये लेकिन राजस्थान में आज सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो शिकमी और गैर खातेदार दर्ज हैं । आज तीन वर्ष इस कानून को लागू हुए हो गये लेकिन फिर भी रेकॉर्ड के अनुसार उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये । पटवारी लोग उनको परेशान करते हैं रिश्वत लेते हैं.......

श्री भैरोंसिंह : आपकी सरकार है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह जो भूमिसुधार की चीज़ बनाई गई है, उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो रहा है इसलिए दफा १५ में जो अधिकार शिकमी और गैर काश्तकारों को दिया गया था, उसको जल्दी अमल में लाया जावे और उन काश्तकारों को अधिकार दिलाये जावें ।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये फिफ्थ अमेन्डमेन्ट बिल आया है ।

श्री अध्यक्ष : और ठोस कदम बताइये

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर : दूसरा जो हमने मुख्य प्रोविज़न रखा था दफा १६ में जो शिकमी काश्तकार और खुदकाश्त टिनेन्ट्स हैं उनको खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बारे में । उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं अर्ज करूंगा क्योंकि फिफ्थ अमेन्डमेन्ट सदन के सामने रखा था; जिस समय सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा उस वक्त मैंने अपने विचार व्यक्त किये थे, और भी जो कमी थी वह उक्त विधेयक द्वारा पूरी हो जायगी ....

श्री भैरोंसिंह : और कोई सख्त कदम हो तो बता दें ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : आप तो उधर की तरफ देखिये ही मत ।

श्री सोहनलाल भटनागर : एक बात संशोधन के बारे में थी, वहां भी तीन संशोधन हो गये हैं लेकिन उसमें एक

(श्री सोहनलाल भटनागर)

चीज़ रह गई है । उसमें मैंने दो संशोधन रखे थे और श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने फर्स्ट रीडिंग के समय उसे सपोर्ट किया था लेकिन आगे जाकर पता नहीं क्यों बदल गये । उसमें यह बात थी कि जो सरेन्डर काश्तकारों ने किया है और गैर ढंग से कानून के प्रोविज़न्स के विपरीत किया है तो उनको रेस्टोर किया जाय । लेकिन सरकार ने मेरे संशोधन को नहीं माना, जिनसे बेजा ढंग से सरेन्डर कराया है और उनको जमीन से वंचित रखा है उनको वापिस रेस्टोर किया जाय, इसलिये यह जरूरी है कि इस प्रोविज़न को वापिस लाया जाय ।

दूसरा प्रोविज़न आता है दरख्तों के बारे में । आये दिन किसानों को दरख्तों की काफी आवश्यकता होती है । आज हमने अधिकार दिया है कि किसान की खुद की जमीन पर जो भी दरख्त उगा हो उसे बिना इजाजत काम में ले सकता है । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अब भी पुरानी परिपाटी चली आती है और बिना इजाजत दरख्त काटने पर उनको तंग किया जाता है । कई मामले ऐसे पड़े हैं जिनमें किसानों ने अपनी होल्डिंग्ज में से दरख्त काटे हैं फिर भी कई केसेज़ उनके खिलाफ चल रहे हैं तहसीलों में ।

तीसरी बात आती है रेन्ट के बारे में । हमने इसके लिये जो प्रावधान रखा है वह काफी प्रगतिशील है । यहां तक कि केरल जैसी स्टेट ने वन फोर्थ से वन फिफ्थ तक रखा है जिसे हम प्रगतिशील कह रहे हैं । उससे भी ज्यादा अच्छा प्रोविज़न हमने रखा है । हमारे यहां लोग आधा या एक तिहाई लेते हैं जिसके बदले में हमने जो प्रोविजन रखा है वह काफी प्रगतिशील है, लेकिन वह वाली किताब में ही रह गया है, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है । आज हम देख रहे हैं कि शिकमी काश्तकारों से और दूसरे भूमिधारियों से आधा और तीसरा बांटा ले रहा हैं । हमने जो कानून बनाया है वह किताबों में ही रह गया है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसका पालन कराने के लिये सरकार प्रयत्नशील होगी तभी किसानों को राहत मिलेगी, वरना राहत मिलने वाली नहीं है ।

क्योंकि जितने भी इस सम्बन्ध में केसेज़ हैं वे बहुत कम हुए हैं । इसका अमल करते हैं वह या तो केसेज के द्वारा या आपसी समझौते के द्वारा हो सकता है; आपसी समझौते में । आज एक भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर किसान अपने खातेदार, सब टिनेन्ट को १/६ बांटा देता हो । जैसा मैंने पहले निवेदन किया आज भी आधा और तीसरा बांटा लेते हैं । अब एक तो आपसी समझौता हो सकता है या अदालत में जायं, मुकद्दमा लड़ें । जैसा मैंने पहले निवेदन किया इस मुतल्लिक केसेज राजस्थान में बहुत कम हुए हैं । क्योंकि किसानों में इसका प्रचार नहीं हुआ है । आज भी गांव के लोग दबे हुए हैं, वे गरीब हैं, कई ऐसे लोग हैं, जिनका पुराना अधिकार जमाया हुआ है । इसलिए आज आवश्यकता है कि इसका प्रचार करें, लोगों को प्रोत्साहित करें कि जो कुछ प्रावधान अधिनियम में रखा है, उसका वे अच्छी तरह से पालन कर सकें ।

दूसरे, सिक्योरिटी आॅफ टेन्योर के बारे में है । माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस अधिनियम, सिक्योरिटी आॅफ टेन्योर के अनुसार काश्तकारों को यह घोषणा की हुई है कि बारह सौ की आम-

(श्री सोहनलाल भटनागर)

दनी से अधिक भूमि पर से बेदखल नहीं होंगे । इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब १९४९ के अन्दर राजस्थान प्रॉटेक्शन टिनेन्सी एक्ट निकला था, उसके बाद देखा गया कि काफी संख्या में ऐसे केसेज हुए । उसके बाद की हालत देखते हैं तो विदित होता है कि उसके बाद उसका पालन ठीक तरह से नहीं हो रहा है । जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया जो लोग अभी दबे हुए हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि जो कुछ अधिनियम यहाँ रखे गये हैं उनका पालन करने के लिए, उनको सहूलियतें देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किस तरह पालन हो सकता है । जागीर अधिनियम का पालन करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए हमने देखा कि सरकार ने एक तरफ जागीरदारों की ओर से वकीलों की व्यवस्था की, दूसरी तरफ सरकार ने वकील मुकर्रर किये और जितना फायदा दे सकते थे, उतना दिलाने की कोशिश की । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या गरीब किसानों के लिए जो आज दबे हुए हैं कानूनों का पालन कराने के लिए, कानूनों द्वारा राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने इस प्रकार कोशिश की है ? हमें विदित होगा कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है ।

दूसरी बात सीलिंग के बारे में है । यह सदन के सामने आ चुकी है, इसलिए इस बारे में निवेदन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं को-ऑपरेटिव फार्म्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । इसके बारे में सरकार की तरफ से, कोई कदम नहीं उठाया गया है । जैसा कि पं० जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि सरकार जब तक को-ऑपरेटिव फॉर्मिंग को प्रोत्साहन नहीं देगी तब तक देश में उत्पादन नहीं बढ़ सकता ।

अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य बातें थीं, वे मैंने निवेदन कीं । कई कानूनों में संशोधन इस सैशन में पेश किये हैं । जिस समय मैंने संकल्प ड्राफ्ट किया था उस समय तक ये संशोधन नहीं थे । मुझे खुशी है कि जो मुख्य बातें थीं उनको स्वीकार किया है अधिनियमों में संशोधन लाकर । अब जो कमी है उसको जल्दी से जल्दी आप पूरा करेंगे । जो कानून बने हुए हैं उनका पालन करने के लिए सक्रिय कदम उठाने हैं । जिस प्रकार जागीरदारों के लिए वकील मुकर्रर किये, जनता में उत्साह का वातावरण पैदा किया, उसी तरह किसानों में उत्साह का वातावरण पैदा करना है । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस संकल्प का स्वागत करेंगे ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प में छोटा सा संशोधन मेरा है और वह संशोधन इस प्रकार का है कि शब्द 'सख्त' के स्थान पर 'यथाशीघ्र' स्थापित कर दिया जाय......

श्री भैरोंसिंह : मज़ा चला जाएगा ।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह शासन कोई तानाशाही शासन नहीं है इसलिए वह सख्त कदम उठाये । आखिर राज्य की व्यवस्था होती है और कोई भी कानून जो विधान सभा में स्वीकार किया जाता है, उसको एक तौर और तरीके से सरकार इम्प्लीमेंट करती है । 'सख्त' शब्द मुझे नहीं जंचा । इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई इस प्रकार के किसानों के हित के

(डॉ० बहादुरसिंह)

कानून हैं उनको सरकार अपने तरीके से चलाती है और तरीके से ही उनका प्रयोग करती है और वह तरीका उसका इस प्रकार का हो सकता है। हां, हमारी यह भावना है और उस भावना को हम व्यक्त करना चाहते हैं कि जो किसानों के हित के कानून हैं उनको सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे। इसलिए मेरा संशोधन था। लेकिन इन कानूनों को लागू करने में कौन रोड़े अटकाता है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों से जो कि वकालत करते हैं, उनसे इस वक्त कहना चाहूँगा। वे ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कानूनों में सबसे पहले रोड़े अटकाते हैं। मैं उन सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसानों के हित के कानून हैं आप इस बात की प्रतिज्ञा करके जाइये कि अगर किसानों के हित के कानून हों तो उनको लागू करने के लिए, यदि दूसरी पार्टी चेलेंज करेगी तो हम बगैर किसी फीस के उनकी मदद करेंगे·········

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं किसानों के सिवाय किसी का मुकदमा नहीं लेता।

श्री भैरोंसिंह : किसी के आते ही नहीं होंगे।

(हंसी)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उनसे फीस लेते हैं या नहीं ?

डॉ० बहादुरसिंह : इसलिए वे कानून जब ही कामयाब हो सकते हैं, जब कि जो वकालत करते हैं वे सहयोग दें और किसानों को समझायें कि आपके हित के लिए यह कानून है, इस कानून के अन्दर यह है। यदि कोई दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कार्यवाही करती है, किसी प्रकार की कार्यवाही करती है जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है तो वकील लोग उनकी मदद करें। तब मैं समझता हूं कि राज्य सरकार जो कानून बनाती है उनका अच्छी तरह प्रयोग हो सकता है। मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 'सख्त' शब्द जिसका संकल्प में प्रयोग किया गया है।

(हंसी)

वह ज्यादा उपयुक्त नहीं है। राज्य सरकार का एक तरीका है, राज्य सरकार उस तरीके का ही प्रयोग करे। इसलिए मैंने इसमें 'यथाशीघ्र' शब्द जोड़ा है। आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हजारों टन गीता आज तक हिन्दुस्तान में बिक चुकी है। मेरे ख्याल से लाखों टन गीता हिन्दुस्तान में बिकने वाली है। लेकिन यदि गीता के अनुसार आचरण किया जाय तब ही ज्यादा लाभ हो सकता है। दुनियां में कितनी ही रामायण की पुस्तकें बिक चुकी हैं, कुरानों की किताबें बिक चुकी हैं। भर पेट कानून असेम्बली पास करती जाय, लेकिन उनका आचरण होता है या नहीं, यह संकल्पकर्त्ता की मन्शा है। आप चाहें कितने ही कानून पास करें, जैसा कवि ने कहा है, जो कवि सम्मेलन हुआ, उसकी सूचना मैंने समाचार पत्र में पढ़ी।

कानून ये हैं, नियम ये हैं, पैसे वालों के।
जिनसे हक छीने जाते हैं कंगालों के॥

यह कानून है क्या ? जो गरीब लोग हैं, जो मानसिक गरीब हैं, आर्थिक गरीब हैं, उनके

(श्री मूलचन्द डागा)

हक छीनने के लिए कानून बनाये जाते हैं। उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होती। जिसके पास इस थैलीवाद के जमाने में थैली होती हैं, उनकी पूजा होती है। आज कोर्ट में सत्यनारायण को नहीं पूजते, झूठनारायण को पूजते हैं। इसलिए प्रस्तावकर्ता ने बराबर प्रस्ताव रखते हुए चिन्ता बतलाई है कि आपने भूमि सुधार के सम्बन्ध में कानून बनाया, सैटलमेंट के बारे में कानून बनाया, टिनेन्सी कानून बनाया, आज भी बनाते जा रहे हैं। आपने भूमि सुधार कानून को बना कर राजस्थान के गजट में साया कर दिया, आपकी किताब में यह कानून है। लेकिन अब समस्या इस बात की पैदा होती है कि सख्त कदम का मतलब क्या लिया जाय। आप चाहते हैं कि इस कदम को हम समझाने की कोशिश करें, जैसे संस्कृत में कहते हैं चरण इसके बढ़ रहे हैं तो कदम का मतलब क्या है ? आप अल्प बचत योजना में हजार रुपया खर्च करें, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हकीम वीरूमल के एडवर्टाइजमेंट मैंने जगह जगह देखे हैं। क्या आपके पास कृषि सुधार कानून की कोई पुस्तिका है, हिन्दी भाषा में ? क्या आपने उन्हें पंचायतघरों में पहुंचाया है, क्या आपने पंचायत घर के सामने चिपकाया है ? हम चाहते हैं कि जो कानून बनाये हुए हैं, उन कानूनों की प्रतियां सीधी सादी भाषा में, जिसमें संस्कृत के भारी शब्द न हों, कास्तकारों के द्वार तक पहुंचायें और उनको बतलायें कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया है जो आपको अपने अरमानों को पूरा करने का मौका देता है। राजस्थान सरकार नये किसान बनाना चाहती है, सामाजिक ढांचे को बदलना चाहती है, जो चीजें पुरानी और निकम्मी हो चुकी हैं, उनको नया रूप देना चाहती है, नई तस्वीर बनाना चाहती है, जो खेतिहर हैं, जिन्हें ज्यादा उत्पादन करना चाहिए, उन्हें नया जीवन देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। एक यह चेतावनी है राजस्थान सरकार को, गवर्नमेंट को कि आपने कानून पास किये असेम्बली में, बड़े बड़े व्याख्यान दिये, 'लोकवाणी', 'राष्ट्रदूत' निकाले गये, पर कौन पढ़ता है इनको गांवों में। छोटी छोटी पुस्तिकाओं द्वारा आपको इन बातों से गांवों में रहने वाले लोगों को अवगत कराना चाहिये। आपकी औषधियां डॉक्टर के घर में रखी हुई हैं, डॉक्टर के पास एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो उसकी दवाइयां कोई कीमत नहीं रखतीं। राजस्थान गवर्नमेंट से निकलता है विकास, कलाकारों और औरतों के नृत्य, उसके स्थान पर अपनी भाषा में निकालिये तब गांवों के लोगों को पता चले कि आप उनके लिये क्या कर रहे हैं। कलेक्टर गांव गांव में घूम घूम कर तथा जाकर इस बात का प्रचार करे कि भूमि सुधार के कानूनों को असली रूप दिया गया है कि नहीं। वहां यदि असली रूप नहीं दिया गया है तो पंचायतों से मिल कर उनको असली रूप दे।

आज, एक जागीरों के पुनर्ग्रहण का कानून पास किया गया, एक जागीर का बड़ा महकमा खोला हुआ है। एक बार मुझे वहां जाने का मौका मिला, मैंने वहां देखा, असिस्टेन्ट कमिश्नर के दफ्तर में जाकर देखा तो उसकी टेबिल पर फाइलों का ढेर पड़ा हुआ है, एडिशनल कमिश्नर के यहां देखा कि फायलों का नाम नहीं मानों कोई काम ही नहीं है, होल्डर दवात की जरूरत नहीं। आठ आठ दस दस साल के केसेज पेन्डिग पड़े हुए हैं। जो जागीरदार अपना मुआवज़ा लेने का तरीका जानते हैं, उनको मिलता

(श्री मूलचन्द डागा)

है । आपका कानून होते हुए भी, उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है । एडिशनल कमिश्नर कमिश्नर के बराबर का ओहदा रखता है, वह बहुत कम मालियत के मुकदमात तय कर सकता है । डिप्टी कमिश्नर्स जिनको आपने डिस्ट्रिक्ट्स में मुकर्रर कर दिया है बहुत कम मालियत के मुकदमात तय कर सकते हैं । अगर जागीर विभाग के मंत्री विशेष हैं वे देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके यहां कितनी कितनी साल के मुकदमात पेंन्डिंग हैं । आठ २, सात २, और छः २ साल के मुकदमात पेन्डिंग पड़े हैं । उन मुकदमात में कोई सवाल तय नहीं हो पाता, क्योंकि इतने उलझे हुए हैं । दूर दूर से आने वाले लोग जयपुर में शायद चौड़ी सड़कें देख कर खुश होते हैं पर जब जेब से पैसा चला जाता है तो उनकी अक्ल चौड़ी हो जाती है और देखते हैं कि जागीर कानून बना, पंतजी ने संशोधन किये पर उसका असली रूप यह है कि एक की जेब से पैसा निकाल कर उसकी जेब में पैसा वापिस दे दिया । जागीर पुनर्ग्रहण कानून का सख्ती के साथ पालन नहीं किया जाता । जागीर पुनर्ग्रहण के नीचे जांच की जाय तो मालूम होगा कि बड़े बड़े फार्म्स हैं, उनको जा कर देखिये आपको वहां जागीर पुनर्ग्रहण की नंगी और गन्दी तस्वीर देखने को मिलेगी । वहां फार्म्स में देखिये जागीरदार ट्रैक्टरों को लेकर, मशीनों को लेकर दिन रात काम करवा रहे हैं । जहां बिनोवा भावे कहते हैं कि हम मशीनों को खत्म कर के लोगों को नई जिंदगी देना चाहते हैं, वहां इन फार्म्स में खुद काश्त की आड़ में मशीनीकरण किया जा रहा है । राजस्थान सरकार ने ऐलान किया कि हमने कानून बनाया । मैं कहता हूं कि इन कानूनों की हत्या करने के लिये पास किया जाता है । आखिर आप देखते हैं कि आपके विभाग में क्या हो रहा है । एक मुआवजे के मामले को लिया, वहां तहसीलदार खड़ा होता है, कलेक्टर जो कि आठ सौ, नो सौ रुपया महावार पाता है उसको मुकर्रर किया पर उनके आंकड़े कौन तैयार करता है, जिसे पुलिस में एक एस० एच० ओ० या हैड कॉन्स्टिटेबिल जो तय कर देता है, आई० जी० पी० भी वही करता है, उसी तरह २० हजार, ४० हजार रुपयों के मुकदमात उन्हीं पटवारियों की रिपोर्ट पर तय होते हैं जिनको कि ६० रुपया माहवार मिलता है । दो सौ, तीन सौ रुपयों में एक ६० रुपये माहवार पाने वाला पटवारी आसानी से मुआवज़े और खुदकाश्त के सम्बन्ध में मुआवज़ा क्लेम करने वाले की इच्छानुसार रिपोर्ट कर सकता है, दो सौ, तीन सो में वह पटवारी खुदकाश्त और मुआवज़े का नक्शा बदल देता है और इस तरह ६० रुपया माहवार पाने वाले पटवारी की रिपोर्ट पर जागीर पुर्नग्रहण कानून का नाश हो जाता है ।

इस कानून की आड़ में, खुदकाश्त की आड़ में हजारों बीघा जमीन उनके पास चली गई । मेरा पहला सवाल था कि मुआवज़े की आड़ में तीन किश्तें चुक जाती हैं । एक सवाल आया जोधपुर डिविज़न का, एक जमाना था जब वाच एण्ड वार्ड की ड्यूटी जागीरदार करते थे । एक जागीरदार के जिम्मे तीस-चालीस गांव होते थे, माफी के पट्टे में उनका नाम देखकर जागीर ऐक्ट की मंशा को बिना मुआवज़े की किश्तें दे दी जाती हैं । सवाल तो यह है कि हमने ऐसी नौकरशाही मुकर्रर कर दी है कि उसे इन कानूनों को पढने की फ़ुर्सत नहीं, वह इन कानूनों को पढ़ नहीं सकती, इतने धड़ाधड़ कानून निकालते हैं कि

(श्री मूलचन्द डागा)

उनको वे पढ़ नहीं सकते, वे दिन भर दफ्तरों में काम करते हैं, फिर बीबी-बच्चों से उनको फुर्सत नहीं, कानून पढ़ते नहीं और यों ही आॅर्डर दे देते हैं कि मुआवज़ा मुकर्रर कर दो। जो लोग जोधपुर में किसी जमाने में वाच एन्ड वार्ड का काम करते थे, उन्होंने लाखों रुपया खज़ाने से उठा लिया और कहते हैं कि हमारा पट्टे में नाम लिखा हुआ है। मुआवज़े में यह गड़बड़ी हो गई कि सांसणदार कहने लगे कि हासिल लेने वाले हम हैं, ये जागीरदार थे, हमसे लाग लेते हैं, सेस लेते हैं। ४६ में मारवाड़ सेस एबोलिशन एक्ट के मातहत सेस खत्म हो गई है। कहते हैं कि आपका पट्टे में नाम नहीं। सारी जमाबन्दी झूठी, तांबापात्र झूठे, सिर्फ जिसका पट्टे में नाम लिखा हुआ है उसको जागीरदार मान लिया। पट्टे में नाम लिखा हुआ होने के बाबत हाईकोर्ट का फैसला है कि सिर्फ पट्टे में नाम दर्ज होना ही कोई वकत नहीं रखता। तो यह जागीर पुनर्ग्रहण का नकशा है। फिर यहां से लैटर जाता है, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का कि कैसे रुपया दे दिया, कैसे मुआवजा दे दिया तो कहते हैं कि साहब हम क्या करें, वह एम.-एल. ए. कह कर चले गये। लाखों रुपया राजस्थान गवनमेंट का जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के नीचे गया। तो पहली हत्या इस जागीर पुनर्ग्रहण कानून की यह हुई कि उन किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा उन लोगों को दे दिया गया।

दूसरा सवाल पैदा होता है कि खुदकाश्त के नाम पर गवर्नमेंट ने यह किया कि लघु सिंचाई योजना में, स्मॉल स्कीम्स में रुपया लगा दिया और रुपया लगाने के बाद इन्जेक्शन निकल जाता है; जागीर कमिश्नर से कि यह पर्सनल प्रोपर्टी में दर्ज है। काश्तकार ने दिन-रात मेहनत की, श्रमदान दिया, मेहनत करके अपनी कमर तोड़ दी और कह दिया कि यह जागीरदार की पर्सनल प्रोपर्टी में दर्ज है। ७ महीने बाद जागीरदार नींद से उठता है, उसको कहते हैं कि आराम की नींद लो, हम आपकी रक्षा करने वाले हैं।

यह है आपके कानून की हत्या और इसीलिए वे कहते हैं कि सख्त-से-सख्त कदम उठाया जावे। किताबों में रखे हुए कानून कानून नहीं होते हैं, कानून वे होते हैं जिनको उनकी रक्षा करने वाले लोगों को अमली जामा पहिनाए। इन्सान का मकसद जिन्दा रहना नहीं, मगर इन्सान वह है जो कुछ कर गुजरे। हमने राजस्थान विधान सभा में वे कानून पारित किए हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर उसको अमली जामा पहिनाएँ तो बहुत फायदा हो सकता है। मैं आपका ध्यान राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण की तरफ दिलाना चाहता हूँ। तीन बातें, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे यहां तालाबों में खेती होती है, नीमाज़ का तालाब है, मेरे वहां का लावा का तालाब है वहां पर ३० हजार रुपये की पैदा होती है। जागीरदारों ने अपना कब्जा कर लिया। उसके लिये काश्तकार दौड़े, उनके एम. एल. ए. दौड़े और दौड़-दौड़ कर दुबले हो गये। सरपंच की टोपी उड़ गई और कोशिश करते करते पगड़ी फट गई, मगर कुछ नहीं हुआ। प्रश्न यह पैदा होता है कि जागीरदारी पुनर्ग्रहण के विषय में गवर्नमेंट अमेन्डमेंट करती है और जिस समय हम कहते हैं कि खुदकाश्त के लिए इन्क्वायरी करानी चाहिए परन्तु उस समय उसकी कोई इन्क्वायरी नहीं होती। बाद में इन्क्वायरी कराते हैं। भागते भूत की लंगोटी ही खोजते हैं। उन्होंने

(श्री मूलचन्द डागा)

अमेन्डमेंट पेश किया और कहा कि खुदकाश्त की इन्क्वायरी करा लें। कानून पास हुआ। बड़ा अच्छा लगा। मगर इतने अर्से में तो सोते हुए लोग भी जग जाते हैं। आप कानून सोते हुए को जगा कर पास करते हैं। आप यह समझते हैं कि वे आराम से नींद ले रहे हैं। मगर वे आराम से नींद का बहाना करके सोते रहते हैं और वे सारी बातें आपकी सुनते रहते हैं। वे सोते हुए ही आपकी सारी बातों को सुनते रहते हैं। ये सब होते हुए भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बावजूद दरख्वास्तों और शिकायतों के खुदकाश्त के लिये कोई इन्क्वायरी सेट अप नहीं हुई और आज तो हम मानते हैं कि यह पहला प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : The time is up.

श्री मूलचन्द डागा : अगले टर्न पर रख दीजिये। मैंने तो अपनी बातें कही ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपने अपना अमेन्डमेंट प्रस्तुत कर दिया।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने अपने अमेन्डमेंट पूरे प्रस्तुत नहीं किये हैं। मुझे तो अभी इस पर बहुत कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : आपका एक अमेन्डमेंट और बाकी रहा है, आप उसको पेश कर दें।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तो मैंने भूमि सुधार कानून के बारे में ही कहा है।

श्री अध्यक्ष : एक अमेन्डमेंट आपका और है और अब समय नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं कि अगले टर्न पर जारी रखूं।

श्री अध्यक्ष: अभी आपका एक अमेन्डमेंट और है, उस पर बोल दें।

श्री मूलचन्द डागा : कलेक्टर गांव गांव में घूम कर कानूनों को अमली जामा पहना दे। इस सम्बन्ध में कौन कौन से कानून हैं उन पर अमली रूप दिया जा सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि अब दूसरा प्रश्न आता है गोचर भूमि का। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धाराओं में जो चेप्टर दो में एक से ६ प्रकाशित हुई है उसमें रूल निकला है, वह यह निकला है कि एस. डी. ओ. के पास कोई पंच अपनी दर्ख्वास्त पेश करे और एस. डी. ओ. ऑक्युपाइड लैन्ड पर यह घोषित करे कि यह जमीन गोचर भूमि घोषित की जावे। वह अपना रेकार्ड लेकर कलेक्टर के पास पेश करे। आपको यह तो मालूम ही है कि राजस्थान में सैटलमेंट डिपार्टमेंट ने आज तक कोई गांवों में, कानून के होते हुए भी गोचर भूमि नियत करने की कोशिश नहीं की और यह किया कि जिस भूमि में गायें चरती थीं उसको किसी बड़े बड़े आदमियों के नाम दर्ज कर दी।

राजस्थान में गोचर भूमि का प्रश्न सदन में बार बार आता है और उसमें आपने अन-ऑक्युपाइड लैन्ड के सम्बन्ध में कही। पहले आपने जब बहुत कुछ जोर दिया तो गाय और भैंसों के लिये ८ बीघा जमीन रखी और उसके बाद में भेड़ और बकरी के लिये कहा तो उसके लिये भी आपने ऑर्डर निकाले। मगर आज भी कानून के होते हुए भी कलेक्टर और एस. डी. ओ. ने गोचर भूमि मुकर्रर करने की कोई कार्यवाही नहीं की। आप हमारे यहां पर पशुधन को बढ़ाना चाहते हैं। मगर आज भी हमारे सारे के सारे गावों में गोचर

(श्री मूलचन्द डागा)

भूमि के झगड़े उसी तरह से मौजूद हैं जिस प्रकार पहले थे। उन जमीनों पर लोग काश्त करते हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में, १८३ के जो पावर्स दिये हुए हैं और उसके अनुसार उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अगर चाहें तो। मगर अभी तक कोई केस इस प्रकार का नहीं हुआ। आपने १८३ के पावर्स तो दे दिये, मगर किसी का आज तक चालान नहीं हुआ। मैं यह मानता हूं कि आपने कानून में १८३ और १८६ धाराएं रखी हैं मगर उनका पालन अभी तक नहीं हुआ है और आज भी वही गोचर भूमि की समस्या हमारे सामने है।

इसलिये, मेरी यह प्रार्थना है कि कलेक्टर महोदय इस बात की जांच करें कि कानून के अन्तर्गत अन-ऑक्युपाइड लैन्ड जो गोचर के लिये है, उस पर कौन काश्त करता है। लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की दफा १०१ और १०२ के अन्तर्गत गोचर भूमि की डेफिनेशन तीन डेफिनेशन हो चुकी है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में पॉशाचर लैन्ड वही है जो सैटलमेंट में दर्ज नहीं है लेकिन विभाग वाले डेफिनेशन को नहीं पढते। वे कहते हैं कि सैटलमेंट वह मुकर्रर की हम नहीं मानते। हम तो ग्रोमोर फूड के ऑर्डर को मानते हैं। सैटलमेंटवालों ने प्राइस कन्ट्रोलवालों ने किया वैसे कर दिया। टिनेन्सी एक्ट की धारा है उसके अन्तर्गत वह जमीन जो गांव के लोग गोचर के काम में लाते हैं वह गोचर भूमि है। लेकिन इस धारा का उल्लंघन करते हुए वे सैटलमेंट के रेकार्ड को सही मान कर गोचर भूमि को काश्त के लिये दे देते हैं। यह है राजस्थान में सबसे बड़ा मसला और इसके लिये हमने कम से कम दो चार प्रश्न इसी बात पर किये कि आज यह मसला तय क्यों नहीं हो रहा है। मैंने अपने तहसील के प्रश्न पूछे।

श्री आबिद अली : लैन्ड रेवेन्यू १२५ में यह भी प्रोविजन है कि जो कुछ भी एन्ट्री होगी उसको कलेक्टर सही माने। क्या कलेक्टर उसको सही माने या नहीं या उसको सही माने जिसकी कोई एन्ट्री नहीं है। इस पर माननीय सदस्य प्रकाश डालें।

मूलचन्द डागा : मैं इस पर······

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त कर ही रहे हैं। प्लीज वाइन्ड अप इन टू मिनिट्स।

श्री मूलचन्द डागा : १२५ में यह है कि अगर सैटलमेंट का रेकार्ड डिपोजिट करता है तो वह एविडेन्स में प्रिजम्पशन सही नहीं माना जावे। इसके अन्तर्गत पॉशाचर की डेफिनेशन सैटलमेंट ने रेकार्ड कर लिया है। अभी जो माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है तो उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एविडेन्स एक्ट की धारा ३५ की तरफ उसका सैटलमेंट रेकार्ड है उसको रिब्यूटल कर सकता है।

एक माननीय सदस्य : On a point of information, Sir, time is up.

श्री अध्यक्ष : हम ऐसा मानेंगे कि आपने अपने संशोधन प्रस्तुत कर दिये।

श्री मूलचन्द डागा : अगले समय में जारी ····

श्री अध्यक्ष : अगले समय में डॉक्टर चन्द्रकला अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगी। अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

५ म. प.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ म० प० अगले दिन दिनांक १ दिसम्बर, ५८ को ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ४२१३

ग्राम सुधार के इन्सपेक्टर द्वारा झूठा बिल बना कर रकम हजम कर लेना।

महाराणा कॉलेज, उदयपुर के खजान्ची की बकाया रकम।

वन विभाग, कोटा के अधिकारियों द्वारा एक ठेकेदार के साथ दुर्व्यवहार।

ट्यूशन फीस।

बूसी वृहत् सरकारी समिति का ऑडिट।

कोटपुतली की खानों का ठेका।

चाकसू से कोटखावदा सड़क का निर्माण।

एजुकेशन सेमिनार को आर्थिक सहायता।

लालसोट-गंगापुर सड़क का निर्माण।

राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को रायफल शूटिंग सिखाना।

एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए धन की स्वीकृति।

राजस्थान स्टेट गेरेज की मंत्रियों पर बकाया रकम।

बालिका विद्यालय, बारां का टेलर मास्टर।

मिडिल स्कूल, रामगढ़ तथा मंडावरी के भवन का निर्माण।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के दो प्रकाशन "विकास" और 'संयुक्त राजस्थान"।

शिक्षा विभाग के 'ग' श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में कमी।

राजस्थान प्रदर्शनी का अकॉउन्टस्।

राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कार्य।

जयपुर शहर में कुछ अधिकारियों द्वारा अपने खुद के मकान होते हुए भी सरकारी मकानों में रहना।

कुओं का बोरिंग।

गंगानगर शुगर मिल्स के निमित्त केशर, कस्तूरी और मसालों के के लिए टेन्डर।

छबड़ा एवं छीपाबड़ौद के हाई-स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा मंजूरी।

अशासकीय कार्य

१. विधायी कार्य

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ ४२५६

Page No.96

स्कम्भ स्कम्भ

श्री जनार्दनराय नागर, सदस्य विधान सभा, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित किया।

राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन विधेयक, १९५८ ४२६२

श्री अर्जुनदास, सदस्य विधान सभा, के इस प्रस्ताव को कि राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय, सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

किसानों को बीज वितरण हेतु अशासकीय संकल्प ४२७०

१. श्री सज्जनसिंह, सदस्य विधान सभा, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—

"इस सदन की सम्मति है कि कृषि विभाग से काश्तकारों को बीज 'न मुनाफा न नुकसान' के आधार पर (नो प्रोफिट नो लॉस बेसिस) जिस रेट पर, याने ७।। सेर फी मन के हिसाब से छः माह के लिये दिया जाता है वह अत्यधिक है और साहूकार की पांच सेरी बाढ़ी से ड्योढ़ी तथा भूतपूर्व अजमेर राज्य में ली जाने वाली बाढ़ी २।। सेरी से तिगुनी है तथा काश्तकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं उन्नत बीज की मात्रा बढ़ाने में बाधक सिद्ध होती है। अतः यह सदन राजस्थान सरकार से सिफारिश करता है कि काश्तकारों की आर्थिक उन्नति तथा 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार बीज पर बाढ़ी २।। सेर फी मन ही लिया जाने के आदेश जारी करें।"

इस संकल्प पर डॉ० बहादुरसिंह एवं डा० चन्द्रकला ने अपने अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री बालमुकुन्द
२. ,, लक्ष्मीचन्द
३. ,, युगलकिशोर चतुर्वेदी
४. ,, तेजाराम गहलोत
५. ,, पुरुषोत्तमलाल शर्मा
६. ,, रामकरणसिंह
७. ,, मोहरसिंह
८. ,, ज्ञानचन्द मोदी
९. ,, मूलचन्द डागा
१०. ,, अनूपसिंह
११. ,, रामनारायण
१२. ,, किशनसिंह
१३. ,, रामधन
१४. ,, दयाकृष्ण विजय
१६. ,, पी. के. चौधरी
१६. ,, बृजमोहनलाल शर्मा
१७. ,, जगदीशप्रसाद माथुर
१८. ,, मुक्तिलाल मोदी
१९. ,, रामचन्द्र

कृषि मंत्री के उत्तर के पश्चात् उपरोक्त संकल्प वापस ले लिया गया।

भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने हेतु अशासकीय संकल्प।

तत्पश्चात् श्री सोहनलाल भटनागर, सदस्य विधान सभा, ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है :—

"सदन की यह राय है कि राजस्थान में भूमि-सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए सख्त कदम उठाये जावें।"

इस संकल्प पर डा. बहादुरसिंह व श्री मूलचन्द डागा ने अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

सोमवार, दिनांक १ दिसम्बर की कार्य-सूची

राजस्थान नगरपालिका विधेयक,' ५७ (खंडश: विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६५ का उत्तर देखिये)

सूची माइनिंग लीज़ेज

क्रम संख्या	नाम ठेकेदार	नाम खान	नाम खनिज़	एरिया	डेड रेट सालाना	अवधि
१.	श्री जगदीशप्रसाद लाटा	मोहनपुरा तह० कोटपुतली	पत्थरकली	२००×१००	५००) रु०	३ साल १७-५-५८ से १६-५-६१
२.	,, जानकीप्रसाद	,,	,,	,, ,,	,,	२६-५-५८ से २५-५-६१
३.	,, हीरालाल	,,	,,	,, ,,	,,	,,
४.	,, नत्थूराम	,,	,,	,, ,,	,,	,,
५.	,, रामेश्वरप्रसाद	,,	,,	,, ,,	,,	,,
६.	,, महावीरप्रसाद	कुनजोरा	,,	,, ,,	,,	,,
७.	,, उमरावसिंह	मोहनपुरा	,,	,, ,,	,,	२२-८-५८ से २१-८-६१

[सूची ठेका रॉयल्टी कलेक्शनस]

क्रम संख्या	नाम खान	नाम ठेकेदार	नाम खनिज	नाम तहसील	रकम ठेका सालाना	अवधि
१	२	३	४	५	६	७
१.	भोजावास	मूलचन्द	इमारती पत्थर	कोटपुतली	६५०)	१-४-५८ से
२.	काला सीकरी	बन्सीधर	पत्थर चेजा	,,	११)	३१-३-५६
३.	मेंढा भांकरी	,,	,,	,,	११)	,,
४.	टोड़दा	,,	,,	,,	११)	,,
५.	पंच पहाड़ी	,,	,,	,,	११)	,,
६.	आकेड़ा	,,	,,	,,	११)	,,
७.	भूरी डूंगरी	,,	,,	,,	१५)	,,
८.	भोनास	,,	,,	,,	११)	,,
६.	बिलोडाला डूंगर	,,	,,	,,	११)	,,
१०.	राजनोरा	,,	भाजड़ा कर	,,	११)	,,
११.	मेंढा	,	,,	,,	११)	,,
१२.	टीकरिया	,,	,,	,,	११)	,,
१३.	कीतपुरा पीथारी	,,	,,	,,	१५)	,,
१४.	भोनास	,,	बजरी	,,	२१)	,,
१५.	कारोली	,,	,,	,,	११)	,,
१६.	दांतल	रामा ओतार	पत्थर चेजा	,,	११)	,,
१७.	नारेड़ा	,,	,,	,,	११)	,,
१८.	गुलाबगढ़	,,	,,	,,	११)	,,
१६.	पूवाना	,,	,,	,,	११)	,,
२०.	जीनगोर	,,	,,	,,	११)	
२१.	बकराना	,,	,,	,,	३५)	,,

१	२	३	४	५	६	७
२२.	सोटा पूवाना	रामाश्रोतार	बजरी	कोटपुतली	१३)	१-४-५८ से ३१-३-५६
२३.	शामपुरा	चांवन्डा प्रबल	पत्थर चेजा	,,	२६)	,,
२४.	हसनपुरा	,,	,,	,,	५१)	,,
२५.	पिरानपुरा	रामेश्वर	,,	,,	४६)	,,

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०२ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE DISTRICTWISE ACHIEMENT OF PERSIAN WHEELS AND PUMPING SET DURING THE YEAR 1957-58.

S. No.	District	Pumping set	Persian Wheels.
1.	Udaipur	4	2
2.	Chittorgarh	5	12
3.	Bhilwara	2	2
4.	Banswara	4	6
5.	Alwar	4	4
6.	Bharatpur	5	20
7.	Jaipur	18	28
8.	Nagaur	4	6
9.	Pali	4	2
10.	Sirohi	3	12
11.	Tonk	1	4
12.	Sikar	3	20
13.	Ajmer	17	...
14.	Kotah	4	1
15.	Jhalawar	2	32
16.	Sawai Madhopur	2	...
17.	Jodhpur	...	20

१	२	३	४
18.	Jalore	...	20
19.	Baramer	...	14
20.	Bundi	...	28
		82	223

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ का उत्तर देखिये)

LIST OF OUTSTANDING DUES AGAINST EX-MINISTER RELATING TO THE MOTOR GARAGE DEPARTMENT, RAJASTHAN, JAIPUR.

S. No.	Name of the Ex-Minister.	Amount. Rs.
1.	Shri Jai Narain Vyas.	861. 16 N. P.
2.	„ Ram Karan Joshi.	620. 06 „
3.	„ Tikaram Paliwal.	865. 06 „
4.	„ Narsingh Kachawa.	50. 22 „
5.	„ Shah Alimuddin Ahmad.	246. 37 „
6.	„ Mathuradas Mathur.	728. 81 „
7.	„ Kumbharam Arya.	3,148. 53 „
8.	„ Ramchandra Chaudhary.	24. 00 „
9.	„ Ram Niwas Mirdha.	63. 30 „
10.	„ Khet Singh.	36. 85 „
11.	„ Kamla Beniwal.	534. 70 „
12.	„ Brij Sunder Sharma.	254. 70 „
13.	„ Manikya Lal Varma.	536. 72 „
14.	„ Adhin Hariji.	295. 05 „
15.	„ Th. Bahadur Singh	11. 62 „
16	„ Chiranjilal.	150. 00 „
17.	„ Mangal Singh.	15. 50 „
18.	„ Bhola Nath.	38. 50 „
19	„ Shobha Ram.	25. 50 „

१	२	३
		Rs.
20.	Shri Gopilal Yadav.	730. 84 N. P.
21.	,, Mangilal.	555. 58 ,,
22.	,, Jugal Kishore Chaturvedi.	461. 08 ,,
23.	,, Aditendra.	208. 19 ,,
24.	,, Desh Raj.	166. 80 ,,
25.	,, Shyamlal.	306. 44 ,,
26.	,, Raghubir Singh.	142. 25 ,,

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६११ का उत्तर देखिये)

CONDITIONS UNDER WHICH THE RAJASTHAN IVORY ASSOCIATION PALI IS AUTHORISED TO IMPORT METERIAL ON BEHALF OF DIRECTORATE OF INDUSTRIES & SUPPLIES.

1. The sale price of the Ivory both upper and core will be fixed with the approval of the Director of Industries, Rajasthan, Jaipur.

2. The applications will be invited for distribution of ivory from actual users in Rajasthan within a period of three weeks.

3. Distribution will be made to actual users obly by a Committee consisting of Assistant Director of Industries, Jodhpur, Assistant Director of Industries, Jaipur and three representatives of the association. The President of the Association who will be one of the representative of the Association will be convener and the Assistant Dirrector of Industris, Jodhpur will be the Chairman. Due to unavoidable absence of any official member the Director of Industries will nominate any other officer to attend on his behalf.

4. The Association shall not sell this imported Ivory to any one at price higher than that fixed with the approval of the Director of Industries.

5. The Association shall not sell the imported Ivory to any one other than the person recommended by the aforesaid Committee.

6. In case of difference of opinion in the Committee as to the distribution of this ivory or core or allied matters the matters will be referred to the Director of Indutries whose decision will be final.

7. The Association will deposit a sum of Rs. 2,000/- which will be liable to be forfeited if any of the aforesaid conditions are not fulfilled.

————

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २८ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४२२६	५	जगदीशप्रासाद	जगदीशप्रसाद
४२३१	१	(श्री घौरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह
४२४२	१८	emplopment	employment
,,	अन्तिम पंक्ति	स्वोकृत	स्वीकृत
४२५१	१	(श्री मैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
४२५८	६	सदरयों	सदस्यों
४२६०	शीर्ष	शक्षिण	शिक्षण
४२६४	,,	[४६६४	[४२६४
,,	१३	cradicate	eradicate
,,	अन्तिम से ३	Tbere	There
४२६७	२१	प्रपोज	अपोज
४२७०	शीर्ष	मिवारण	निवारण
४२७८	३	।बड़ी	बाड़ी
४२७९	२	आवकश्यतानुसार	आवश्यकतानुसार
४२९१	२६	उतरदातयित्र	उत्तरदायित्व
४२९५	५-६	ि स्ट्रिब्यूट	डिस्ट्रिब्यूट
४२९७	अन्तिम से ८	काश्तकारों	काश्तकारों
४२९८	१५	कभी करता	कमी करता
४३१४	३	गही	यही
४३१५	५	तरह इस	इस तरह
४३२०	१४	अतिश्याक्ति	अतिश्योक्ति
४३३२	अन्तिम पंक्ति	ढोंग	ढोल
४३४६	१८	आवश्यनता	आवश्यकता

१	२	३	४
४३६७	१५	रयवं	एवं
४३७८–	शीर्ष	किसानों से ली जाने वाली बाढ़ी	भूमि सुधारों को क्रियान्वित
४४००		प्रश्न पर संकल्प	करने विषयक संकल्प
४३८०	२–३	प्रिवेन्शन फ्रेगमेन्टेशन	प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन
४३८२	१७–१८	कम्पेसेशेन	कम्पेन्सेशन
४३८६	अन्तिम से ६	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
४४११	३	Baramer	Barmer
४४१२	११	Shah Allimuddin Ahmad	Shah Allimuddin Ahmed
४४१४	१०	obly	only

———